LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Fifteen of the Clock

Thursday, September 17, 2020 / Bhadrapada 26, 1942 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, September 17, 2020 / Bhadrapada 26, 1942 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

OBITUARY REFERENCE	1
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 691-920)	2-231

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakshi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, September 17, 2020 / Bhadrapada 26, 1942 (Saka)

(Please See the Supplement)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, September 17, 2020 / Bhadrapada 26, 1942 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

FELICITATIONS TO HON'BLE PRIME MINISTER ON HIS BIRTHDAY	**232**
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**232**
RE: MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	**232-33**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**234-39**
COMMITTEE ON PETITIONS	**239**
5th to 8th Reports	
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	**240**
Study Visit Report	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 4TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT – LAID	**240**
Shri Kiren Rijiju	
MOTION RE: 16TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	**240**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**241-49**
Shri Ravindra Kushwaha	**241**
Shri Rajiv Pratap Rudy	**241**
Shri Naranbhai Kachhadiya	**242**
Shri Gopal Shetty	**242**

Shri Rajendra Agrawal	243
Shri Ramdas Tadas	243
Shri P.P. Chaudhary	244
Shri Nihal Chand Chauhan	244
Shri Devendra Singh Bhole	245
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	246
Shri Raja Amareshwara Naik	246
Adv. Ajay Bhatt	247
Shri Karadi Sanganna Amarappa	247
Shri Deepak Baij	248
Shri Margani Bharat	248
Shri Krupal Balaji Tumane	249
Shri Mohammed Faizal P.P.	249
RE: BUSINESS OF THE HOUSE	250
(i) STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FARMERS PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATON) ORDINANCE AND FARMERS PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATON) BILL	251-340
AND	
(ii) STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ORDINANCE AND FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES BILL	

Adv. Dean Kuriakose	**251**
Shri Narendra Singh Tomar	**251-53**
Shri N.K. Premachandran	**253**
Motions for Consideration	**254**
@ Shri Ravneet Singh	**255**
Shri N.K. Premachandran	**256-58**
Shri Virendra Singh	**259-66**
Shri K. Shanmuga Sundaram	**267-69**
Shri Kalyan Banerjee	**270-72**
Shri Talari Rangaiah	**273-74**
Ritesh Pandey	**275-76**
Shri Arvind Sawant	**277-79**
Shri Anubhav Mohanty	**280-82**
Shri Santosh Kumar	**283-84**
Shri Manne Srinivas Reddy	**285-86**
Dr. S.T. Hasan	**287**
@ Shri Sunil Dattatray Tatkaray	**288**
@ Shri Gurjeet Singh Aujla	**289**
Shri Jagdambika Pal	**290-95**

@ For English Translation of the speech made by the Hon. Member Shri Ravneet Singh in Punjabi, please see the Supplement (PP255A-255J)

@ For English Translation of the speech made by the Hon. Member Shri Sunil Dattatray Tatkare in Marathi, please see the Supplement (PP288A-288B)

@ For English Translation of the speech made by the Hon. Member Shri Gurjeet Singh Aujla in Punjabi, please see the Supplement (PP 289A-289B)

Shri P.R. Natarajan	**296**
@ Shri Dhanush M. Kumar	**297**
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	**298-300**
Sushri Mahua Moitra	**301-03**
Shri B.Y. Raghavendra	**304-05**
Shri P.K. Kunhalikutty	**306-07**
Shri Sukhbir Singh Badal	**308-10**
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	**311-13**
@ Shri Om Pavan Rajenimbalkar	**314**
Shri Dileshwar Kamait	**315**
Shri Dushyant Singh	**316-18**
Shri Syed Imtiaz Jaleel	**319**
Sushri S. Jothimani	**320-21**
Shri Ram Shiromani Verma	**322**
Shri B.B. Patil	**323-24**
Shrimati Navneet Ravi Rana	**325**
Shri P. Raveendranath Kumar	**326**
Shri Prajwal Revanna	**327-28**
Shri Janardan Mishra	**329-30**
Shri C.N. Annadurai	**331**
@ Shri Bhagwant Mann	**332**

@ For English Translation of the speech made by the Hon. Member Shri Dhanush M. Kumar in Tamil, please see the Supplement (PP297A-297B)

@ For English Translation of the speech made by the Hon. Member Shri Om Pavan Rajenimbalkar in Marathi, please see the Supplement (PP314A-314B)

@ For English Translation of the speech made by the Hon. Member Shri Bhagwant Mann in Punjabi, please see the Supplement (PP 332A)

Shri Ajay Mishra Teni	**333-34**
Shri Hemant Patil	**335**
Shri Jasbir Singh Gill (Dimpa)	**336**
Shri Malook Nagar	**337**
Shri M.K. Raghavan	**338**
Shri Shantanu Thakur	**339**
@ Shri S. Muniswamy	**340**

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)

xxxx

@ For English Translation of the speech made by the Hon. Member Shri S. Muniswamy, in Kannada, please see the Supplement (PP340A)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, September 17, 2020 / Bhadrapada 26, 1942 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS PAGES

XXX XXX XXX XXX

Xxx xxx xxx xxx

Xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

(i) STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FARMERS PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATON) ORDINANCE AND FARMERS PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATON) BILL AND — 255A-55J & 288A-89B & 297A-97B & 314A-14B & 332A & 340A & 341-62

(ii) STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ORDINANCE AND FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES BILL

xxx xxx xxx xxx

Shri Ravneet Singh 255A-55J

xxx xxx xxx xxx

	Shri Sunil Dattatray Tatkaray		288A-88B
	Shri Gurjeet Singh Aujla		289A-89B
xxx	xxx	xxx	xxx
	Shri Dhanush M. Kumar		297A-97B
xxx	xxx	xxx	xxx
	Shri Om Pavan Rajenimbalkar		314A-14B
xxx	xxx	xxx	xxx
	Shri Bhagwant Mann		332A
xxx	xxx	xxx	xxx
	Shri S. Muniswamy		340A
	Shri Narendra Singh Tomar		341-48
…			349-50
	(i) Statutory Resolution - Negatived		351
	Motion for Consideration – Adopted		352
	Consideration of Clauses		352-56
	Motion to Pass		356
	(ii) Statutory Resolution - Negatived		357
	Motion for Consideration – Adopted		358
	Consideration of Clauses		358-62
	Motion to Pass		362

(1500/KN/VR)

1500 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजे समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे साथी, श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव वर्तमान सदस्य थे, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के सदस्य थे।

इससे पहले, श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव आंध्र प्रदेश विधान सभा के चार कार्यकाल के लिए सदस्य रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का निधन 16 सितम्बर, 2020 को 64 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ।

अपने साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए यह सभा शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ॐ शांति। शांति।। शांति।।।

\- - -

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1502 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1600/CS/SAN)
1600 बजे

लोक सभा सोलह बजे पुनः समवेत् हुई।
(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय प्रधान मंत्री जी को जन्मदिन की बधाई

माननीय अध्यक्ष : आज माननीय प्रधान मंत्री एवं सदन के नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं पूरे सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश सेवा एवं राष्ट्र सेवा के पुनीत कार्य में निरन्तर समर्पित रहें। यह हम सबकी तरफ से प्रधान मंत्री जी को बधाई है।

कई माननीय सदस्य : बिल्कुल सर।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1602 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के संबंध में घोषणा

1602 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस परिस्थिति में कुछ विषयों पर हमें चर्चा करनी होगी। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि सदन में सभी दलों के नेताओं को, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूँ, लेकिन यह परिस्थिति आपके सामने कुछ ऐसी है कि इस परिस्थिति को देखते हुए जो आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं, उन पर अभी अनुमति देना उचित नहीं है। आज हम अविलंब लोक महत्व के विषय, शून्य काल को भी नहीं ले रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जिन माननीय सदस्यों का शून्य काल में बोलने के लिए नाम लाटरी में आया हैं, मैं निश्चित रुप से उन्हें बोलने का अवसर दूँगा। आपके विषयों पर भी, जो विषय आप रखना चाहते हैं, मेरी जानकारी में हैं, मैं उन पर भी आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर निश्चित रुप से दूँगा।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, हमारा जीएसटी कंपनसेशन का विषय है।…(व्यवधान) जो व्यवस्था जीएसटी के बारे में डिस्कस की थी,…(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। आप इसके लिए थोड़ा चर्चा का टाइम दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): इसे जीरो ऑवर में उठाने से कोई फायदा नहीं है। इसके लिए चर्चा का टाइम दीजिए। ऑनरेबल वित्त मंत्री जी यहाँ उपस्थित रहें और उसका रिप्लाई भी आना है। इसी हाउस में एक्ट पास करके जीएसटी कंपनसेशन राज्यों को देना था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बीएसी में इस पर चर्चा कर लेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब बीएसी होगी तो उसमें इस पर चर्चा कर लेंगे। आपके विषय पर बीएसी में चर्चा कर लेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने बोल दिया है कि मैं आपको मौका दूँगा।

…(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1605 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2 से 7, माननीय मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री किरेन रिजीजू की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन,, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री आर. के. सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 जो 27 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 जो 27 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(3) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 27 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/13/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

.....

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री मनसुख एल. मांडविया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) (एक) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 529(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(दो) सा.का.नि. 530(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(तीन) सा.का.नि. 531(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(चार) सा.का.नि. 532(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(पांच) सा.का.नि. 533(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(छह) कोचीन पत्तन न्यास (डिसट्रेन्ट ऑर अरेस्ट एण्ड सेल ऑफ वेसेल्स) विनियम, 2019 जो 5 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 161(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कोचीन पत्तन और डॉक विनियम, 2020 जो 22 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 460(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोलकाता पत्तन न्यास (स्टीवडोरिंग एण्ड शोर हैण्डलिंग लाइसेंस) विनियम, 2020 जो 11 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 370(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दीनदयाल पत्तन न्यास (लाइसेसिंग ऑफ स्टीवडोरिंग एण्ड शोर हैण्डलिंग लाइसेंस) विनियम, 2019 जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।

.....

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री रतन लाल कटारिया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) दि इंटरनेशनल सैंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

(1605/RV/RBN)

याचिका संबंधी समिति
पांचवां से आठवां प्रतिवेदन

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) श्रीमती सुमन डूडी के पति कर्नल (टीएस)(सेवानिवृत्त) रण सिंह डूडी को अनुवर्ती परिलाभ दिए जाने से इंकार करते हुए उनके साथ हुए कथित अन्याय तथा तत्संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित उनके अभ्यावेदन के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के प्राधिकारियों द्वारा कार्य पूरा हुए बिना मैसर्स महालक्ष्मी इंफ्राकान्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड को किए गए भुगतान के संबंध में कथित घोर वित्तीय अनियमितताओं के बारे में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 47वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(3) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) द्वारा मैसर्स सद्भाव अन्नपूर्णा (जेवी) को कार्य पूरा किये बिना पूर्ण अनुबंधित राशि के भुगतान के संबंध में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 51वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(4) तेजपुर रेलवे स्टेशन तक बड़ी रेल लाइन के विस्तार के संबंध में श्री जितेन्द्र चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित श्री जितेन सुण्डी और अन्य से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 54वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी द्वारा जनवरी, 2020 के दौरान चेन्नई, पुदुचेरी, गोवा और मुंबई का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 4th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT – LAID

1605 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay a Statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Ministry of Minority Affairs.

MOTION RE: 16TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I beg to move:

> "That this House do agree with the Sixteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 16th September, 2020."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 16 सितम्बर, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 16वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 12 - माननीय वित्त मंत्री जी - उपस्थित नहीं।

…(<u>व्यवधान</u>)

नियम 377 के अधीन मामले - सभा पटल पर रखे गए

1607 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज नियम-377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। आप अपने मामले के अनुमोदित पाठ को बीस मिनट के अन्दर, उससे ज्यादा समय भी दे देता हूं, व्यक्तिश: रूप से सभा पटल पर रखें।

Re: Need to run a Rajdhani Express on Delhi-Lucknow-Barauni section and a Shatabdi Express on Lucknow-Gorakhpur-Varanasi section

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर- बरौनी होते हुए हावड़ा रेलखण्ड देश के अति महत्वपूर्ण रेल लाइनों में से एक है। इस रेल खण्ड पर पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार के लाखों यात्री यात्रा करते हैं, फिर भी इस रेल खण्ड की हमेशा उपेक्षा की गयी। इस रेल खण्ड पर दिल्ली से मुजफ्फरपुर-बरौनी-बावड़ा के लिये कोई राजधानी या महत्वपूर्ण ट्रेन नहीं है और इस रेल खण्ड पर विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रेल खण्ड पर मुजफ्फरपुर-बरौनी से लखनऊ होते हुये दिल्ली तक दर्जनों माननीय सांसद यात्रा करते हैं। इस रेल खण्ड पर वैशाली और बिहार सम्पर्क क्रांति के अलावा कोई अन्य ट्रेन नहीं है जिससे लाखों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही लखनऊ-गोरखपुर-वाराणसी रेल खण्ड पर गोरखनाथ एक्सप्रेस के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण ट्रेन नहीं है । मैं इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि दिल्ली-लखनऊ-बरौनी रेल खण्ड पर एक राजधानी एक्सप्रेस और लखनऊ-गोरखपुर-वाराणसी रेल खण्ड पर एक शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन किया जाए।

(इति)

Re: Need to amend the Motor Vehicles Act

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): The Motor Vehicles (Amendment) Act passed in 2019 was a laudable step in improving road safety and compliance with traffic norms. However, certain gaps remain and are responsible for loss of life. While we have safety protocols for the driver and co-drivers, passengers on the rear seats remain vulnerable to accident injuries due to insufficient awareness on safety norms. Similarly, many two wheelers are seen being driven without rear-view mirrors everyday, posing a threat to themselves and to other motorists around.

Since the offences and penalties under the Motor Vehicles Act are listed in the main act itself, I request the Ministry of Road Transport & Highways for urgent amendments in the act to include the following:-

1. Mandatory use of rear view mirrors in all two-wheelers on the road with suitable penalties for violations
2. Mandatory use of seat-belts on all seats, including rear-seats, along with awareness on use of child-lock.

(ends)

Re: Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Amreli, Gujarat

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का मामला पिछले कई वर्षों से लंबित है और Challanging Method Committee की बैठक नहीं होने के कारण अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुल पा रहा है। मैं इस गंभीर विषय को पिछले कई वर्षों से सदन में उठाता आया हूँ तथा मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर अवगत करवा चुका हूँ। मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी यह मामला अभी तक लंबित है। इतने प्रयासों के बाद अमरेली की जनता को केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र मिलना चाहिए जिससे कि अमरेली के बच्चे भी केन्द्र विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द Challanging Method Committee की बैठक बुलाकर अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए।

(इति)

Re: Need to acquire land of charitable organizations lying vacant for years and utilize it in public interest

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): आज देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे चेरीटेबल संस्थाओं की संख्या काफी अधिक है, जिन्हें राज्य सरकार से समाज के उत्थान/रचनात्मक कार्य हेतु सस्ती दर पर भूमि आवंटित की गई है, लेकिन उनके द्वारा आवंटित भूमि को सही तरह से उपयोग/रचनात्मक कार्यों में नहीं लाया गया है और भूमि रिक्त पड़ी हुई है। लेकिन, दूसरी ओर ऐसा वर्ग भी है, जिनके पास धन है, नई सोच है, ज्ञान और क्षमता है पर भूमि नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि ऐसे ट्रस्ट जिनके पास भूमि रिक्त पड़ी हुई है, उन्हें जनता को सुविधा देने के लिए 5 साल के अंदर विकास संबंधी/रचनात्मक कार्यों को शुरू . करके पूरा करने की अवधि दी जाए और यदि ये ट्रस्ट ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो सरकार उनकी रिक्त पड़ी भूमि को सरकार भाव से एक्वायर करके दूसरी संस्थायें, जो वित्तीय क्षमता रखती हैं, उन्हें उस भूमि का आवंटन करना चाहिए, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को शैक्षणिक, आरोग्य, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा मिलना प्रारम्भ हो सके।

(इति)

Re: Need to remove the encroachment in and around Ulta Khera Tila and Pandav Tila sites of archaeological importance in Hastinapur in Uttar Pradesh

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): हस्तिनापुर स्थित उल्टा खेड़ा टीला एंव पांडव टीला को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1920 के तहत राष्ट्रीय स्मारक स्थल में संरक्षित घोषित किया गया था। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 2010 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय संरक्षित स्थल के निषिद्ध क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। परंतु महोदय, कुछ असामाजिक तत्वों ने इन टीलों पर अतिक्रमण कर लिया है तथा यहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा तंत्र क्रियाएँ करने तथा अवैध निर्माण करने के समाचार भी आए हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के लिए त्वरित कार्यवाही करे ताकि पुरातात्विक महत्व के इन अवशेषों को बचाया जा सके।

(इति)

Re: Need to provide compensation to farmers of Wardha parliamentary constituency, Maharashtra who suffered loss of crops due to pest attack

श्री रामदास तडस (वर्धा): सदन के माध्यम से मा. कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के वर्धा एंड अमरावती में किसानों के महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि सोयाबीन समेत अन्य फसलों में ऊंट झल्ली, खोड़ मक्खी समेत अन्य कीटों ने भारी नुकसान पहुंचाया है जिस कारण किसानों के लागत भी निकालना मुश्किल है इस करोना काल में किसान ने कर्ज लेकर फसलों की बुआई की थी। फसल उत्पादन नहीं होने के कारण किसान चिंतित एंव परेशान हैं।

अत: मा. कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि किसानों की समस्या के निदान हेतु विशेष टीम भेजकर एंव जांच कराकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सोयाबीन के किसानों को मुआवजा देने का कृपा करें जिससे कि किसानों की समस्याओं का निदान हो सके।

(इति)

Re: Regarding setting up of Centre for Rural Health by AIIMS, Jodhpur in Pali parliamentary constituency, Rajasthan

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं आपका ध्यान पश्चिमी राजस्थान में मेरे संसदीय क्षेत्र पाली की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा की यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की भारी कमी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जोधपुर शहर में अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थान उपलब्ध हैं । एम्स जोधपुर द्वारा व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सेन्टर फार रूरल हेल्थ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस सेन्टर के माध्यम से एम्स में कार्यरत डाक्टरों व अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उक्त सेन्टर पर भेजा जाएगा। इन सेंटर्स पर इंडोर व आऊट डोर मरीज सेवा के अतिरिक्त हास्टल, ऑपरेशन थियेटर, वेक्सीनेशन व एम्बूलेंस सहित समस्त चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध हो सकेगी।

(इति)

Re: Need to augment railway services in Ganganagar parliamentary constituency, Rajasthan

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): जिला हनुमानगढ़ में एक वाशिंग लाइन का निर्माण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। हनुमानगढ़ में वाशिंग लाइन हेतु पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध है और इसकी साध्यता भी है। यदि हनुमानगढ़ में वाशिंग लाइन का निर्माण किया जाता है तो इस क्षेत्र को भी लम्बी दूरी के शहरों को रेलमार्ग द्वारा जोड़ा जा सकता है। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल के अमृतसर रेलवे स्टेशन से वाया लुधियानाफिरोजपुर-फाजिल्का-अबोहर-श्रीगंगानगर-श्रीकरणपुर-रायसिंहनगर-सूरतगढ़ होते हुए बीकानेर तक गरीबरथ रेलगाड़ी के संचालन हेतु रेल विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन अभी तक इसका संचालन नहीं हुआ है। अमृतसर-बीकानेर वाया श्रीगंगानगर रेलगाड़ी का संचालन जल्द से जल्द किया जाए। गाड़ी संख्या 13007/13008 हावड़ा-श्रीगंगानगर-हावड़ा (उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस) को स्थायी रूप से. बंद किये जाने का प्रस्ताव विभाग को भिजवाया गया है। इस रेल सेवा को बंद नहीं किया जाए।

(इति)

Re: Need to establish an All India Institute of Speech and Hearing in Kanpur Nagar district, Uttar Pradesh

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश एवं प्रदेश के लिए दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

महोदय, मूक बधिरों एवं दिव्यांगजनों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था प्रदेश एवं देश में नहीं है जिसके कारण न जाने कितने दिव्यांग आज भी अपनी दिव्यांगता को कोसते एवं लाचारी के कारण बेहतर जिदगा को तरसते हैं। प्रदेश में दिव्यांगजनों की ऐसी दशा को देखते हए मैंने माननीय मंत्री जी से ऑल इंडिया इंस्टिटयट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना कराये जाने हेत आग्रह किया था। मेरे आग्रह के पूर्व से उक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जनपद कानपुर नगर में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग सेण्टर की स्थापना हेतु 20 एकड़ निशुल्क भूमि की मांग की गयी थी जिस पर मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर ने अपने कई पत्रों के माध्यम से जिला प्रशासन को उक्त सेंटर हेतु भूमि आवंटित कराये जाने की मांग की थी जिस पर अपर जिलाधिकारी, द्वारा ग्राम सुरार में 20 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर, ने उक्त के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को अवगत कराया किन्तु उक्त प्रकरण में प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये के चलते सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुनः अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से पुन: अनुरोध किया जिस पर कार्यवाही कर तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा भूमि स्थानांतरित किए जाने हेतु स्पष्टीकरण, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 13-03-2018 को अपने पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है एवं औपचारिकताओं के संबंध में उप सचिव, चिकित्सा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी कानपुर को अपने पत्र दिनांक 30-08-2018 के माध्यम से आदेशित किया था जिस पर जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को अपने पत्र दिनांक 11.01.2019 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में कार्यवाही अत्यधिक धीमी गति से की जा रही है जिसके चलते उक्त ऑफ कैम्पस सेण्टर के निर्माण में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण उत्तर प्रदेश के मूक बधिरों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुपोषण एवं अन्य परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के मूकबधिरों की भारी संख्या को देखते हुए केन्द्र की स्थापना की महती आवश्यकता

अतः आपसे निवेदन है कि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को उक्त संस्थान की स्थापना एवं निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने हेतु आवश्यक आदेश/निर्देश करने की कृपा करें जिससे जनहित में मूकबधिरों एवं दिव्यांगजनों को राहत मिल सके।

(इति)

Re: Special package to the KBK region

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): The KBK comprising Koraput, Balangir and Kalahandi regions, is one of the poorest and most backward regions of the country. Despite years of focussed development, intervention by both Central and State Governments, a large proportion of rural poor and tribals in KBK region continue to face chronic hunger and reportedly starvation deaths. Reduced forest cover, farmer distress, no visible employment opportunity — force people to migrate to other States in search of jobs.

Central assistance for Area Development Programmes like Special Plan for KBK, Backward Region Grant Fund (BRGF) and Integrated Action Plan has been discontinued. Several Schemes have been delinked from Centre support.

I request the Government of India to provide a special package to the KBK region outside the framework of "Aspirational Districts" for continuation of some of the previous programmes from the budget provision available with NITI Ayog.

(ends)

Re: Following of Environmental rules by Yermarus Thermal Power Station in Karnataka

SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK (RAICHUR): Yermarus Thermal Power Station authorities are not following Environment rules, hence still water and air pollution is increasing day by day which causes health hazards. The report sent by the KPSC authorities are far from actual situation, hence an expert team should visit the YTPS and give a fair report. YTPS is not planting trees in and around the plant thus disturbing the local climate. Local people are not getting job in spite of acquisition of their lands for the YTPS. Its operation and maintenance is done by a Hyderabad based agency. This is the first plant in Karnataka State handed over to a private company, which is against Art. 371J. There is no alternative system provided for the health of public who were actually affecting. Therefore, I request the Government to issue directions to the State Government for strict compliance of Environmental, Health and Safety Guidelines for YTPS, Raichur.

(ends)

Re: Need to provide ownership rights of land to ex-servicemen in Udham Singh Nagar district, Uttarakhand

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): महोदय, उत्तराखंड राज्य के अधम सिंह नगर जिले के अन्तर्गत खटीमा, नानक मत्ता एवं सितारगंज विधान सभाओं के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सेवा निवृति के बाद आपसी सहमति से अपने आवास एवं कृषि कार्य हेतु जनजाति (एस. टी.) के लोगों से जमीन खरीदी।

खरीद के दिन से ही इस भूमि पर खरीददार पूर्व सैनिकों का कब्जा है तथा निर्बाध रूप से ये इस भूमि पर खेती-बाड़ी कर रहे हैं एवं मकान बनाकर रह रहे हैं, परन्तु आज तक इन सैनिकों को कानूनी अड़चनों के कारण मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये 50-60 सालों से इस भूमि पर रह रहे हैं। मालिकाना हक नहीं मिलने से इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही इन सैनिकों को हक मिल सकता है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए पूर्व सैनिकों को मालिकाना हक दिलाने हेतु नियम कानूनों को संशोधित कर मालिकाना हक दिलाने की कृपा की जाए।

(इति)

Re: Railway broad gauge line from Gangavathi to Daroji in Karnataka

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Gangavathi Taluk is situated in Koppal District in Karnataka. This area is rich in paddy cultivation and the paddy grown in Gangavathi has a very wide market and has best quality of rice. There are rice mills and good local transportation facility. Gangavathi has Aanegondi pilgrimage place which is the birth place of Lord Hanuman which is of high tourism importance.

It is the request and demand of the Public and Farmers of Gangavathi City and Taluk that if a railway broad gauge line is laid from Gangavathi to Daroji which is at a distance of 35 KMs, it would be in the interest of the Public. There is Deer Park in Daroji which is an added attraction for tourism. The Railway line from Daroji gets connected to Ballari and Bengaluru. This new Railway broad gauge line will also connect Raichur-Munirbad-Mehaboobnagar Railway line.

Therefore, creation of new railway broad gauge line from Gangavathi Railway Station to Daroji Railway Station is more appropriate and serves both business and tourism requirement of the public and Gangavathi taluk.

I earnestly request the Respected Minister to kindly consider request for creation of new broad gauge railway line from GANGAVATHI, KOPPAL TO DAROJI, BALLARI on priority basis and send this proposal to Government for early implementation.

(ends)

Re: Need to review the privatization of Nagarnar Steel Plant in Bastar district of Chhattisgarh

श्री दीपक बैज (बस्तर): बस्तर के खजिन सम्पदा का दोहन वर्षों से चल रहा है। एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट, बस्तर का केन्द्र सरकार निजीकरण कर रही है। प्लांट हेतु 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित है, 211 हेक्टेयर जमीन छत्तीसगढ़ के प्लांट के इस्तेमाल हेतु है। आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु इस क्षेत्र में पेसा कानून 1996 लागू है। नियमों की अनदेखी करते हुए नगरनार प्लांट का निजीकरण अव्यवहारिक है। 20 हजार करोड़ रूपये की लागत से तकरीबन 15 वर्षों से बन रहे प्लांट से धुआं निकलने वाला ही था कि सरकार इसे निजी हाथों में बेच रही है। बस्तर की जनता आंदोलित है, प्लांट में नौकरी का सपना टूटते देख नौजवान आकोषित हैं। जनता की भावनाओं के विरूद्ध राष्ट्र की सम्पदा बेची जा रही है।

मेरी मांग है कि आदिवासी हितों हेतु इस प्लांट का निजीकरण रोक दिया जाए और प्लांट से उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु बस्तर के नौजवानों को इसमें रोजगार दिया जाए।

(इति)

Re: Cargo facilities at Rajahmundry airport

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY) : Now-a-days, time is the essence of any activity, be it business or private; and, it becomes more important when it comes to transportation of goods. And, the best transport of goods is none other than air. So, there is a need to start cargo facilities at more and more airports in the country for quick transportation of goods for pushing the economic activity.

To address this issue, GOI asked Airports Authority of India Cargo Logistics and Allied Services Co., Ltd., to develop air cargo facilities at airports managed by AAI. As a part of its mandates, AAICLASCL has identified some airports for international cargo facilities, international courier facilities and domestic cargo facilities. And, Rajahmundry has been chosen as one of the airports for commencing domestic cargo facilities.

Rajahmundry airport was built during British time. Then our beloved leader, Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Garu, signed MoU with AAI in 2007 for its modernization and works completed in 2011. Then, AAI extended runway to facilitate landing of A320 and A321 aircraft and 800 acres have been acquired for this purpose with an objective to make it an international airport.

As I said, A.AICLASCL decided to start cargo facilities and also make an integrated cargo terminal at Rajahmundry. But, so far no progress has been made. Since all the necessary facilities are available at Rajahmundury Airport, I request Government of India to immediately take steps to start cargo facilities from Rajahmundry and international courier and cargo facilities as soon as Rajahmundry airport is declared as international airport.

(ends)

Re: Need to assess loss incurred by farmers and provide financial assistance to them in Ramtek parliamentary constituency, Maharashtra

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): नागपुर में सोयाबीन 1,2,222, धान 90,337, कपास 2,11,803 हेक्टेयर में उगाई गई। जिले में लगभग 50 हजार हेक्टेयर में संतरा, 15 हजार हेक्टेयर में मौसंबी के बगीचे हैं। अगस्त में बारिश के चलते किसान खेती का काम नहीं कर सके। नतीजन विभिन्न रोग सोयाबीन पर फैल गए और येल्लो मोज़ेक ने 90 प्रतिशत सोयाबीन को नष्ट किया। धान की फसल भी 50 फीसदी तक संकमित हो गई और कपास, संतरा और मौसंबी का भी यही हाल है। बारिश के कारण फफूंद और अन्य रोग फलों पर दिखाई दिए हैं और बड़ी मात्रा में संतरा और मौसंबी पेड़ों से गिर रहे हैं, इस कारण से किसानों का बहुत नुकसान हुआ।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक में किसानों को हुए नुकसान का जायजा स्वयं लें और प्रभावित किसानों को केन्द्र से आर्थिक सहायता राशि जारी करें।

(इति)

Re : Proper functioning of fleets and transport sector in Union Territory of Lakshadweep

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Perhaps Lakshadweep administration might be the only agency operating large number of passengers cum cargo ships in India. Nearly 28 to 30 number of fleets are under operation now. Since ships are the life line of Lakshadweep, it’s equally important to establish an administrative establishment in the form of a corporate with efficient marine human resources to manage the task. At present it’s done by Lakshadweep Development Corporation which is totally under capacitated with technical expertise and they have to depend upon a third party always. Moreover LDCL's (Lakshadweep Development Corporation Ltd.) formation aims at marketing of agricultural produce of Lakshadweep including fisheries. Hence, it is very much essential to establish an independent body for proper functioning of the fleets and transport sector of UTL.

(ends)

सभा के कार्य के बारे में

माननीय अध्यक्ष: अर्जुन राम मेघवाल जी।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, माननीय मंत्री जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए।…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आइटम नं. 15, आइटम नं. 16, आइटम नं. 17 और आइटम नं. 18, ये करीब-करीब सेम नेचर के हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन्हें एक साथ ले लिया जाए। मेरे ख्याल में, यह सभा के लिए भी उचित होगा।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। अब बिल शुरू कर देते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, क्या बिल का इंट्रोडक्शन नहीं होगा?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब मंत्री जी आएंगी, तब इंट्रोड्यूस करा देंगे। आपको उसमें पर्याप्त अवसर देंगे।

मेरे विचार में, यह सभा, माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव से सहमत है। मद संख्या 15, 16, 17 और 18 को हम एक साथ चर्चा के लिए ले सकते हैं।

माननीय सदस्यगण, चूंकि मदों के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अलग-अलग समय आवंटित किए गए थे, लेकिन मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की है।

(1610/MY/SM)

उस चर्चा के बाद मद संख्या 15, 16, 17 और 18 को एक साथ कम्बाइन्ड करके चार घंटे का समय आवंटित किया जाता है।

माननीय मंत्री जी अपना उत्तर शुरू करेंगे, इसके पहले मैं माननीय सदस्यों को अपनी बात कहना चाहता हूँ।

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FARMERS' PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) ORDINANCE

AND

FARMERS' PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) BILL

AND

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ORDINANCE

AND

FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES BILL

1611 बजे

माननीय अध्यक्ष: एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, आप केवल सांविधिक प्रस्ताव रखें।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

> "That this House disapproves of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 10 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020."

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप बिल को मूव करें।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

> " कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम प्रमुख रूप से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पर विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं।

यह विधेयक आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। हम सब भलीभाँति जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा भाग खेती का है। हमारी खेती लाभप्रद बने, इस दिशा में लगातार, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की कोशिश और सभी का प्रयत्न होता रहता है। इस दिशा में हम लोग विचार करते रहते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कृषि के क्षेत्र में जिन योजनाओं का सृजन हुआ है, उनका भी लाभ लगातार खेती के क्षेत्र को मिल रहा है, लेकिन कुछ कानूनी बदलाव करना निश्चित रूप से आवश्यक है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी यह बताना चाहता हूँ कि जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है, इसके मामले में किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह अध्यादेश कृषि के क्षेत्र में आजादी उपलब्ध कराने वाला है। अभी तक हम समझते थे कि किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा हुआ था। इस अध्यादेश के माध्यम से उसको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। आज हम जिस विधेयक पर चर्चा करेंगे, इस विधेयक से एपीएमसी जो राज्य का एक्ट है, उस एक्ट का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं होता है। एपीएमसी राज्य में रहेगी, लेकिन एपीएमसी के परिधि के बाहर जो एरिया है, उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सकेगा और इस विधेयक के बनने के बाद किसान अपने खेत से, अपने घर से और बाकी सभी स्थानों से ट्रेड कर सकने के लिए स्वतंत्र होगा।

दूसरे, जो कीमत आश्वासन वाला एक्ट है, उसके बारे में मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ, हमारे देश में 86 परसेंट किसान छोटे हैं। जो छोटे किसान हैं, वह छोटा किसान न तो स्वयं निवेश कर पाता है और न उसके पास तक निवेश पहुँच पाता है। अगर उसको किसी कानून के माध्यम से पहले से कीमत निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से किसान फायदे की खेती कर सकता है।

आज जो कानून चर्चा के लिए आए हैं, यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं। इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी।

(इति)

(1615/AK/CP)

1615 hours

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

> "That this House disapproves of the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (Ordinance No.11 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020."

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि-कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण और उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि ये जो दोनों विधेयक हैं, ये खेती को मुनाफे में लाने वाले, किसान को आजादी दिलाने वाले और खेती को उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के माध्यम से किसान को अपनी उपज किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा और मंडी की परिधि के बाहर जो भी व्यापार होगा, उस पर न राज्य का कोई टैक्स होगा और न ही केन्द्र सरकार का कोई टैक्स होगा। अभी सामान्य तौर पर मंडी के भीतर 50-60 लोग ही व्यापार करते हैं और उन्हीं के बीच में कृषि उपज की प्रतिस्पर्धा होती है।

इस विधेयक के बनने के पश्चात निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। निजी निवेश गांवों तक पहुंचेगा, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और ये दोनों जो विधेयक हैं, निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती से जो देश की अपेक्षा है, आवश्यकता है, उसको पूरा करने में समर्थ होंगे। किसान अच्छी फसलों की तरफ आकर्षित होगा। वह महंगी फसलें पैदा करेगा, तो वह मुनाफा भी कमायेगा और कृषि की ग्रोथ में भी योगदान देगा। इससे कृषि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इन दोनों रिफॉर्म्स के कारण निश्चित रूप से आने वाले कल में किसान सीधा बड़े व्यापारी से भी जुड़ सकेगा, निर्यातक से भी जुड़ सकेगा और अपनी खेती को मुनाफे में ला सकेगा।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्याक 10) का निरनुमोदन करती है।"

और

"कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

और

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है। "

और

"कि ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि-कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण और उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

माननीय अध्यक्ष : श्री रवनीत सिंह।

(p. 255A)

1618 hours

*SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, I have written that I will speak in Punjabi as the matter concerns the farmers of Punjab. Today is Modi ji's birthday.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, there is no translation. …(*Interruptions*)

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Yes, Sir. There is no translation. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इनका पंजाबी से हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें।

…(व्यवधान)

*SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): On this day, farmers should be freed from the yoke of these 3 black laws. These are draconian ordinances. I do hope that Shri Modi ji will listen to the genuine demands of farmers and free them from the tyranny of these proposed laws.

Sir, I would like to talk about COVID-19. Sir the Corona pandemic is raging throughout the world. Sir, when the entire country was in a lockdown due to COVID-19, when the shops, factories and offices were closed, the labourers were hapless on the roads.

(1620/NK/SPR)

When the Prime Minister declared that labourers will be provided ration, till the first week of April, till 17th September, that is till today, अगर पंजाब के गोदाम न भरे होते, आज चालीस से पचास रैक सारे देश में अनाज देने के लिए पंजाब से जा रहा है। यह क्यों हुआ?

----

*Original in Punjabi

(p.255B)

आज हम कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म करनी चाहिए। अगर एमएसपी न होती तो गोदाम कैसे भरते? भगवान न करे कल फिर कोई हमारे ऊपर तकलीफ आती है, कोई महामारी आती है और अगर गोदाम खाली हो जाएगा तो आज जैसे अस्सी करोड़ लोगों को राशन और अनाज दिया, वह कहां से देंगे?

मंत्री जी ने बार-बार कहा, कल मैं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साहब का इंटरव्यू सुन रहा था। आप यह बताएं कि तीनों बिलों में कहीं एक बार भी एमएसपी गारंटी शब्द यूज किया है? आप यहां कह रहे हैं। जो संविधान था, संविधान बदल दिया गया। क्या आप एमएसपी की गारंटी देंगे? कानून बदल दिए गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसे हमने बदल दिया, आपने एमएसपी शब्द तीनों बिलों में कहीं भी नहीं डाला, हम आपकी गारंटी कैसे मान जाएं।

आपका सबसे पुराना सहयोगी अकाली दल है, वह आपके अगेंस्ट यहां बोल कर गया। अब तो आप जागो, वह क्यों बोला? आज पूरा पंजाब कोरोना के बीच सड़कों पर है। किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है। न कांग्रेस, न अकाली दल और न बीजेपी का, किसी कॉमरेड का सपोर्ट नहीं है। पन्द्रह-पन्द्रह हजार लोग अपनी घरवाली और बच्चों के साथ हर जीटी रोड को बंद करके बैठे हैं। आप समझते हैं कि आप ही इंटेलिजेंट है, आप ही होशियार हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता है? क्यों पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और यूपी के लोग सड़कों पर है? उनको आपके ऊपर कहीं न कहीं शंका और शक है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप पंजाबी में बोल सकते हैं।

*SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA) : Sir, why are the farmers suspicious of the moves of the Central Government? Whatever the centre has promised, has not been delivered. So, the farmers are apprehensive. You have already seen Shri Sukhbir Singh Badal changing his colours in this House earlier. He is our Punjabi brother. You have granted Bibi Harsimrat Kaur the Ministry of Food Processing. It is a minor ministry. The head of the Badal family has been the Chief Minister of Punjab 5 times. So, I urge upon the SAD to resign from ministership and announce it in this august House. We have the instance of Shri Beant Singh who sacrificed his life for

(p.255C)

the sake of nation. A ministership is nothing. If SAD is genuinely concerned about the farmers, their minister should resign forthwith from the cabinet. But they do not have the guts. Their blood has turned white.

Secondly, let me say sir, please do not commit atrocities on farmers. If you go for the jugular vein of farmers, they are bound to agitate and protest. You may indulge in police-brutality. But, if you take away the means of livelihood of farmers, farmers will protest vehemently. Please do not commit atrocities upon the farmers through these bills. You have a brute majority in Lok Sabha. So, you have forgotten about the plight of farmers.

Sir, in the 1960s, we were deficient in food grains. You were importing wheat from U.S.A. At that time, Shri Pratap Singh Kairon was the Chief Minister of Punjab. With the help of Dr. Swaminathan, the farmers of Punjab ushered in the Green Revolution in three years. We fed millions of people in India due to our hard labour. This is Punjab, but, now, you are trying to sell the interests of farmers to big MNCs, corporates and magnates.

स्पीकर साहब एक उदाहरण है, अगर आज बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज घाटे में है और उनको ऑनर अपने मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, आप रोज एजिटेशन देखते हैं। अगर प्राइवेट आधार इतनी ही अच्छी है, उनके पास इतने पैसा है तो वह अपने मुलाजिमों को तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज एक किसान है, जो आज बचा हुआ है। आज सुरक्षित है, वही कारोबारी किसान को खरीदेंगे, किसान की फसल को खरीदेंगे, क्या यह कभी हो सकता है? आर्डिनेंस लाए हुए छह महीने हो गए हैं। इस आर्डिनेंस के बीच एक फसल मक्के की आई है, मेज की फसल आई है, उसका एमएसपी 1700 रुपये से ऊपर है।

(1625/SK/UB)

अगर यह ऑर्डिनेंस इतना अच्छा है तो रेट 700 रुपए प्रति क्विंटल क्यों मिल रहा है? अभी तो ऑर्डिनेंस लागू है, मक्की 700 रुपए प्रति क्विंटल क्यों बिक रही है? अगर

(p.255D)

यह ऑर्डिनेंस अच्छा होता तो मक्की 1700 से 2000 रुपये में बिकनी चाहिए थी। जिस दिन पंजाब में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, सब पार्टियां थीं, बीजेपी, अकाली दल, लेकिन उस दिन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में 700 रुपए प्रति क्विंटल मक्की बिक रही थी। ये हालात थे।

आज मूंग का क्या रेट है? आप जानते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान में दाल होती है। क्या उनको एमएसपी मिल रही है? बाकी बात छोड़िए, एमएसपी पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह कम है, आप दूसरे स्टेट्स में आजमा कर देख लीजिए। पंजाब और हरियाणा को छोड़ दीजिए। अगर यही तीनों मॉडल कामयाब होते हैं तो बाकी स्टेट्स में आजमा कर देख लीजिए, फिर पंजाब और हरियाणा को देख लेना। वहां तो आज कोई एमएसपी नहीं है, खरीद नहीं है। मैं आपको यूपी के हालात बता देता हूं। जब हमारा अनाज आया, हमारा अंदाजा था कि इतने लाख टन आएगा, पंजाब की जितनी प्रोक्योरमेंट थी, गोदामों में आ गई। हम आपसे पैसे लेते हैं, 2700 करोड़ रुपये आपके जाते हैं और 35000 करोड़ रुपये के करीब एफसीआई का पैडी सीजन में जाता है, 27000 करोड़ रुपये व्हीट के जाते हैं। गोदाम ज्यादा कैसे भरे पड़े हैं? एफसीआई तो एक टाइम के लिए है, अगर व्यापारी अच्छे होते, अंबानी, अडानी, टाटा और महिन्द्रा अच्छे होते तो क्या यूपी वाले वहां बेचते? 500 रुपये से कम यूपी वाले बेचकर पंजाब और हरियाणा में गए, इसके आंकड़े आपके पास हैं कि इतना अनाज यूपी से पंजाब और हरियाणा में सस्ते में बिका। आटे की चक्की वाले और लोग जिन्होंने और काम करना था, वहां सस्ते एमएसपी में ले आए। ये हालात तो आपके सामने हैं।

आप ध्यान में एक बात रखिए, यह हमारी धमकी नहीं है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। If you give trouble to the farmers of Punjab, if you put Punjab – a border state, in crisis, the country will suffer. Today, we already have a tense situation on the Indo-Chinese border. We in Punjab daily face the threats emanating from Pakistan. In the Galwan Valley of Ladakh, Punjab's youth are fighting against the Chinese. They are getting martyred. Earlier, the slogan given was: Jai Jawaan, Jai Kisan. Today, it is our youth from Punjab, Haryana and Rajasthan who are taking on the enemy in Galwan Valley and getting martyred. Their relatives in Punjab are sending them messages that MSP is

(p.255E)

being done away with. They are concerned. If you commit atrocities on the farmers of Punjab & Haryana, how will the country function. Our soldiers too hail from Punjab and Haryana. There is bound to be a reaction. There will be unrest. You create difficulties regarding SYL canal and MSP. What will you gain out of it except unrest?

Sir, I want to talk about Bihar and U.P. The small and marginal farmers over there are ruined. Those having small holdings of 2 acres cannot sustain themselves. They come to Punjab for finding work as labourers. It is because they do not get MSP in Bihar and UP. As they do not get MSP for foodgrains, they are bound to migrate to Punjab during the crop season to work as laoburers. Do you want the farmers of Punjab & Haryana too to be reduced to labourers?

Sir, the centre needs labourers in the cities in big factories etc. So, this is being done under a strategy. So, you want to reduce the farmers into poor labourers so that they can work for these big MNCs and corporates. We will not allow them to snatch our land from us. I have already given you the instance of Bihar and U.P.

Sir, Punjab's farmers are not very affluent. 75% of Punjab's farmers have small holdings of 2 or 3 acres only. So, what are you doing? Our markets or 'mandis' are very strong mechanisms in Punjab. For years together, we have strengthened this system. I would like to give you an instance, Hon'ble Speaker Sir.

जब मंडी में हमारी फसल जाती है, तीन परसेंट एमडीएफ और आरडीएफ व्हीट, पैडी, राइस और बार्ले का लेते हैं। कॉटन का एक परसेंट, मेज़ का एक परसेंट, पटेटो का एक परसेंट, वेजीटेबल और फ्रूट्स का दो परसेंट है।

(1630/MK/KMR)

अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। इससे पूरे साल मंडियों में 3631 करोड़ रुपये इकट्ठे होते हैं। इससे हम, ऐसे तो आयुष्मान भारत है, लेकिन यदि किसी

(p.255F)

किसान का कुछ नुकसान हो गया हो, उसको चोट लग गई तो उसके लिए पैसे देते हैं। यदि उसकी फसल खराब हो जाए तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। जो एशिया के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं यहां देश की बात करूंगा। सबसे बड़ी रूरल रोड पंजाब में है, जो 64870 किलो मीटर है। हम इन्हीं पैसों से सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का काम चला रहे हैं, जो करीब 70,000 किलो मीटर है।

यदि हम प्रोविजन की बात करें, पहली बात तो आपको किसने कह दिया कि यह कंकरेंट लिस्ट में है। आपका तो डोमेन ही नहीं है। आप इसको बार-बार क्यों छेड़ते हैं? विधान सभा किसलिए है, असेम्बली किसलिए बनी हुई है? क्या आप सबको छोड़ देंगे, क्या आप सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर ले आएंगे? यह नहीं होगा। राज्य सभा में जो मेम्बर्स आते हैं, उनको भी एमएलए चुनकर भेजते हैं। यहां एक एमपी के पास नौ एमएलए हैं। हिमाचल और पहाड़ी इलाकों में 20-20 तक हैं। क्या हम उनसे सब अधिकार छीन लेंगे? कोई कहता है आढ़ती अच्छा है, कोई कहता है आढ़ती खराब है, लेकिन उसके पास पंजाब या अन्य जिस स्टेट में है, लाइसेंस तो है, उसको पकड़ सकते हैं। आज खरीदी कौन करेगा? पैन कार्ड वाला खरीदी करेगा। पैन कार्ड किसका है? पैन कार्ड की सारी ताकत आपके पास है। गाजियाबाद या नोएडा में बैठकर कोई दो एकड़ वाले की खरीद कर लेगा तो हम क्या करेंगे, हम किसको पकड़ेंगे? आप एसडीएम और डीसी की बात कर रहे हैं। क्या एसडीएम और डीसी के पास किसानों का केस लड़ने के लिए टाइम है? तहसीलदार और एसडीएम के पास दो-दो एकड़ वाले किसानों का, जिनका टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा से डिस्प्यूट होगा, क्या उनका केस लड़ने का टाइम है? क्या दो एकड़ वाला किसान एसडीएम और डीसी के पास जाएगा? क्या यह संभव है? लिखने में, देखने में यह बड़ा सुन्दर लगता है। आप उस किसान को देखिए जो घर से खेत जाता है या खेत से घर जाता है, उसके पास तो बीज लेने का भी टाइम नहीं है। जो बीज उसके घर में है, उसको भी लूट लिया जाता है। बड़ी-बड़ी कंपनियां को पहुंचा दिया जाता है। वह बेचारा अम्बानी और अडानी से कैसे लड़ेगा?

दूसरा, ट्रेड एरिया का प्रश्न है। हमने पहले से मंडी बनाई हुई है। पंजाब ने 2200 करोड़ रुपये मंडियों पर खर्च किए हैं। सारी मंडियां 2200 करोड़ रुपये की हैं। इसमें नोटिफाइड एरिया में कोई मंडी नहीं है। कहीं भी किसी गोदाम में, कहीं किसी डिपो में, कहीं किसी जगह पर बिजनसमैन अपनी मंडी बनाएगा और वहां से खरीद करेगा। क्या

(p. 255G)

करेगा, क्या नहीं करेगा, हम किसको पकड़ेंगे? उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। वह मंडी के बाहर खरीद करेगा। किसान मंडी में आता है, उसे पता होता है कि हमें किससे बात करनी है, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं। जहां तक एफसीआई की बात है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन, पंजाब और हरियाणा के लिए एफसीआई जान है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में हमारे स्टेट की भी खरीद होती है, प्राइवेट खरीद नहीं होती है, एफसीआई सारे देश के लिए खरीद करती है। इसको आपने खत्म कर दिया। मैंने मार्केट फीस की भी बात की है। हम कहां से मार्केट फीस लेंगे? बाहर से कोई अपने-आप खरीद कर ले जाएगा, स्टेट को एक रुपया भी नहीं मिलेगा। पहले आपने स्टेट से जीएसटी छीन लिया। जीएसटी हमारे पास नहीं है, मंडियां आप ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या आपके पास ठूठा लेकर बैठ जाएं? हम कहां से रूरल एरियाज में रोड बनाएंगे, कहां से गांव के लिए सड़क बनाएंगे? इसका मतलब है कि आप राज्यों से सभी कुछ ले लेना चाहते हैं।

(1635/YSH/SNT)

गोल्डन मेजोरिटी का मतलब यह थोडी न होता है कि परिवार का मुखिया सब कुछ अपनी तिजोरी में ही रख ले, अपने छोटे भाई या परिवार के मैम्बर के लिए कुछ नहीं रखे। सर, मैं जो भी बात कहूंगा पूरे सत्कार के साथ कहूंगा। एफसीआई 48 घंटे में पेमेंट करेगा इसकी कौन गारंटी देगा? अगर सेम डे होगा तो ठीक है नहीं तो तीन दिन बाद होगा। उसके बारे में कौन पूछेगा, पेमेंट लेने कौन कहां पर जाएगा? मंत्री जी, क्या पेमेंट लेने वह मंत्रालय में आएगा? इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट की कोई जिम्मेवारी और गारंटी नहीं है। ई-ट्रेडिंग के बारे में आप समझिए कि साइबर क्राइम के अंदर क्या-क्या नहीं हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि देश को आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन क्या किसान ई-ट्रेडिंग करेगा? यहां सुखबीर सिंह बादल साहब बैठे हैं। Badal ji is present now in the House. At first, he was complaining about other members not being present. Then, he himself went away. Badal Sahib was very perturbed. Was there any voting on this issue?

स्पीकर साहब, क्या उस दिन कोई वोटिंग हुई थी। आपने अभी फैसला किया है कि वोट नहीं डालना है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और पर्चियों से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।…(व्यवधान)

(p. 255H)

श्री सुखबीर सिंह बादल (फ़िरोज़पुर): स्पीकर साहब, इनका कहना है कि जो बिल पास होते हैं, वे बिना वोटिंग के पास हो जाते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो डिबेट।

...(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): स्पीकर साहब, पंजाब का मसला है और इसलिए आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया है। मैं हरियाणा के लिए आपका शुक्रगुजार हूं।...(व्यवधान) हाँ, यह मसला देश का है। देश में कुल 76 परसेंट से ऊपर किसान हैं। यह सभी किसानों का मसला है। मैंने जैसे पहले बात की है, यह किसानों को खत्म करने के लिए एक इकोनॉमिक डिजाइन है। सर, अमेरिका में आज दो परसेंट किसान रह गया है। यूरोप में रोज करीब एक परसेंट किसान कम होता है। मैं आपके माध्यम से श्री सुखबीर सिंह बादल जी को यह बात कहना चाहता हूं। सर, आप मुझे पांच मिनट और दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर, मैं इस सदन में जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर यह कानून हक में है तो कोई भी बीजेपी का एमपी, पंजाब में तो नहीं है, दोनों सदनों में खड़े होकर इस बिल की तारीफ कर दें।...(व्यवधान) पजांब में बैठे हमारे मंत्री जी है। वे हमारे मंत्री हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मैं कल सुखबीर सिंह बादल साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था। ये कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं कि पंजाब के ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) के मंत्री जी ने बात कही। आप कैबिनेट की प्रोसिडिंग में कहीं भी यह दिखा दें कि ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) मंत्री जी ने, कहीं भी फूड प्रोसेसिंग मंत्री जी ने इसका विरोध किया है तो हम सुखबीर सिंह बादल जी की बात मानने को तैयार हो जाएंगे। ...(व्यवधान) सर, ये अभी तो आए हैं।

माननीय अध्यक्ष : नो, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर, मैंने मंडी की बात की है, किसानों की बात की है। सर, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूं। यह बात हमारे और एमपीज भी

(p. 255I)

करेंगे। सर, आज हमारी 80-86 एकड़ जमीन है, उसका ठेका जिसे बटाई कहते हैं। हमारे एरिया में 50 हजार प्रति एकड़ है और बादल साहब के एरिया में 60-70 हजार प्रति एकड़ भी हो जाता है। सर, ठेकेदार आएगा और कहेगा कि मैं 10 एकड़ जमीन का आपको 1 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देता हूं। आप 10 लाख रुपये लीजिए। उसके पास पहले से ही 5 से 10 लाख रुपये का कर्जा होता है। पहले उसके पास जो ट्रैक्टर-ट्रॉली होती है, वह उसको बेचेगा। ये कहते हैं कि हमारा 15 साल का एग्रीमेंट हो गया और हम आपको 10 लाख रुपये देंगे, जो कि आपको पहले 5 लाख रुपये मिलता था। वे जमीन भी ले लेंगे। हम मानते हैं कि वे दो तीन साल तक देंगे, लेकिन जब वह बेचारा अपने औजार बेच देगा, गलत आदतों में लग जाएगा और जब वे देख लेंगे कि अपने हाथ में सब कुछ आ गया है। सर, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां 20 साल पहले पेप्सी-कोला वाले आए थे, जो चिप्स बनाते हैं। …(व्यवधान) किसी की भी सरकार लाई हो। अरे आप क्या करेंगे फिर हमें ही मौका दे दीजिए…(व्यवधान)

(1640/RPS/GM)

चलिए, मैं मान गया कि हमारी सरकार थी। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर, उसके बाद क्या हुआ? जब कम क्रॉप होती थी, उस टाइम वह सारा आलू उठाता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था। उस आलू से चिप्स बनता था। जब बम्पर क्रॉप हो जाती थी, तब जैसे हम यह कड़ा पहनते हैं, वह अडानी या पेप्सीको का मैनेजर ऐसा एक कड़ा लेकर आता था और उसमें से आलू निकालकर देखता था, जो आलू का साइज उसमें से निकल जाता था, उसे ले लेता था और जो बड़ा या छोटा हो गया, उसे बोलते थे कि इससे शुगर हो जाएगी। लोग बीमार हो जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारा आलू कैसे ले लें? क्या लोगों को मारना है? इससे जब चिप्स बनेगा, अगर उससे लोगों को शुगर की बीमारी होगी तो आपका नाम लगेगा, फिर ये अडानी साहब हमें शुगर वाला बोलेंगे, बीपी वाला बोलेंगे और फिर एक लाख रुपये वाला रेट चालीस हजार रुपये पर ले आएंगे। पहले जो एक लाख रुपये दिए, उसे फिर चालीस हजार रुपये पर ले आएंगे। …(व्यवधान) सर, थोड़ा समय दीजिए, बस दो मिनट दीजिए। …(व्यवधान) लम्बा बिल है। जो किसान है, उसे बड़े-बड़े व्यापारी बोलते हैं कि तू तो राजा है। These big corporates tell the farmers that you are

(p. 255J)

the king. This is just a trick. If the farmers stops farming, what will happen? So, they pamper and lure the farmers.

Sir, farmers of Punjab ushered in the Green Revolution. But we had traders and those who sold the farmers diesel etc. But, today, the farmer is dependent on those providing seeds, those providing machine parts, those providing oil etc. for the machines, and those who sell insecticides and weedicides. So, the farmers is heavily dependent on several people.

Sir, let me say that in south India, इनकी कोई भी फसल हो, चाहे कोकोनट हो, पेपर हो या इनके यहां जो अन्य फसलें होती हैं, वे एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया वालों में कमी है। इसमें बीजेपी, अकाली दल आदि सभी पार्टीज इकट्ठी होकर नॉर्थ इंडिया के किसानों को बचाएं। आज प्रधान मंत्री जी का जन्मदिन है, उस पर आप इस ऑर्डिनेंस को वापस लें। सुखबीर सिंह बादल जी अगर पंजाब में वापस जाना चाहते हैं, तब ask Bibi Harsimrat Kaur Badal to resign from ministership. Otherwise, Punjabis will not allow you to enter Punjab. Your family has ruled Punjab for 5 terms.

(ends)

1643 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker Sir, I stand with the Statutory Resolution. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप दर्शक दीर्घा में नहीं हैं, आप माननीय सदस्य हैं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker Sir, this Ordinance is promulgated under Article 123(1) of the Constitution of India. We all know that an Ordinance is promulgated in the case of exigencies, necessities or extraordinary situations. Further, an Ordinance is a legislation by the Executive. In this case, what is the exigency and urgency in promulgating the Ordinance? The reason stated in the Ordinance-making provision by the Government is that because of the COVID-19 pandemic situation and also because of the lockdown, farmers are in big trouble; there is adverse livelihood situation for farmers and all these ordinances are promulgated to protect the livelihoods of farmers. That is the reason being stated here. Sir, you may kindly see that this Ordinance is an Ordinance of contract farming. What is the justification or what are the immediate steps to be taken to address the livelihoods of farmers due to COVID-19? There is no justification in the promulgation of the Ordinance. According to the Government, we need a long-term solution for farmers and agriculture as a whole. That is what is stated in para 2 of the Statement of Objects and Reasons of the Ordinance as well as the Bill. How do this COVID-19 pandemic and the long-term solution go together as an exigency, emergency or extraordinary situation? From this, it is very clear that the Government is using COVID-19 pandemic situation to bulldoze agriculture sector reforms through Ordinances and thereby misuse the Presidential power under Article 123(1) of the Constitution.

(1645/RK/IND)

I strongly believe that in a normal situation, the Government will not dare to bring these legislations. Only because of COVID-19 situation, they have brought these legislations. They know that in a normal situation it is not possible to bring these types of legislations because of the stringent opposition from the farming community of India. My submission is that the Government is passing all these legislations through Ordinances without the scrutiny of the Parliamentary Standing Committee. Taking advantage of COVID-19 position, the Government is bulldozing three Ordinances by which the farmers' interests

are being adversely affected. That is my first objection….(*Interruptions*) Sir, I am the mover of the Motion.

HON. SPEAKER: Please confine to the subject.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I will confine to the Ordinances.

Coming to the three Ordinances, I am not going into the details. If we critically examine all the three Ordinances, you will find that these have been brought with an intent to facilitate the corporate retailers. All these Ordinances are deregulating agricultural farming, processing, and marketing in the name of 'One Nation, One Market', to facilitate free market policy.

I would like to draw the attention of the hon. Speaker and the entire House that we had started the neo-liberal structural economic reforms in the year 1990. Three decades have passed. We should critically analyse the impact of the neo-liberal structural economic reforms as far as the farmers are concerned. If we examine three decades of our post-liberal reforms period and the status of the farming community, we will find that at that time everybody had accepted and assured the Parliament that the farmers would be benefitted because of these reforms….(*Interruptions*) Sir, I am entitled to speak for 15 minutes.

HON. SPEAKER: No, you will get only five minutes.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, please.

HON. SPEAKER: Now, you have only one minute. You are a senior, learned Member.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the mover of the Motion is entitled to speak.

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए। यह 'संकल्प' है, इसलिए आप केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, please.

माननीय अध्यक्ष : अब सिर्फ एक मिनट का समय बचा है, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सिर्फ आधा मिनट बचा है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I will finish within three to four minutes.

Who is being benefitted out of the economic reforms? I will show the statistics. According to the National Sample Survey Organisation, 48 per cent of the farmers in India are indebted and 40 per cent of them want to quit farming.

The National Crime Records Bureau reports that between 1995 and 2004, that is in 20 years, 3,08,798 farmers have committed suicides. During the reforms period, the income of the farmers rose by 0.28 per cent, whereas in other sectors income rose by four per cent. By these aggressive reforms in the agricultural sector, another disaster is going to happen to the farming community.

What is the experience of the world? I would like to give examples of the United States of America and Europe. Before 1970, that is the pre-Open Market Policy period, farmers were getting 40 per cent of the final retail price of the agricultural produce. Now, they are getting only 15 per cent. In Europe, Rs.7 lakh crore is being spent for the agricultural sector. This is the situation prevailing. I would urge upon the Government to think hundred times before implementing the drastic reforms in the agricultural sector.

Coming to the Bill, the Bill can be termed as a contract farming Bill. I would like to tell the House why I am opposing it. There is a farmer, a sponsor, and then comes the third party. When the cultivation is ripe, there is every chance of exploiting the farming community as they are not able to negotiate. They are not so powerful. When you compare to Europe or America, Indian farmers are small or medium landholders. Land to people ratio in Western countries and India is entirely different. So, my point is that the majority of the farmers are small farmers. The contract farming worldwide has proved to be a failure. In such a situation my humble submission to the hon. Minister and the Government is, all these Bills may be sent to the Standing Committee for scrutiny; otherwise, it will be another disaster for the farming community in India. Therefore, I oppose the Bill and support the Statutory Resolution. With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

(ends)

(1650/RAJ/PS)

माननीय अध्यक्ष : माननीय वीरेन्द्र सिंह जी, मस्त किसान नेता।

1650 बजे

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि सदन के नेता, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी का जन्म दिन है। आज उनके जन्म दिन पर यह संसद किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों को सबल और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज पर मुहर लगाएगी, कानून बनाएगी। भारत के भविष्य का इतिहास हमारे चाल, चरित्र और चेहरे से लगने वाले कृषि मंत्री जी को हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना देगा।

माननीय अध्यक्ष : चाल, चरित्र और यह किसान भी हैं, चाल, चरित्र और किसान नेता। यह खेती करते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष जी, मैं किसान होने के नाते, माननीय सांसद होने के नाते चाहता हूं कि किसानों के सवाल पर सदन एक मत रहे। किसान अपनी समस्याओं का समाधान संवाद से किया करते हैं, पंचायत करके किया करते हैं। हम इस बड़ी पंचायत में बैठते हैं। अगर कोई समस्या है, तो हम उसका समाधान क्यों नहीं कर सकते हैं? लोकतंत्र में सहमति और असहमति होती है। मैंने कांग्रेस और आरएसपी के प्रेमचन्द्रन जी, पूर्व के दो वक्ताओं की बात सुनी है। शायद इन लोगों को इस विषय में बहुत गहन जानकारी नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि मैं किसान हूं और इस बात को ठीक से जानता हूं, जमीनी स्तर पर जानता हूं। आज जो कानून किसानों की समृद्धि के लिए बनने जा रहा है, तो इन लोगों को वर्ष 1977 के मोरारजी भाई सरकार के निर्णय और इससे मिलते-जुलते कानून को देख लेना चाहिए। उस समय के वरिष्ठ माननीय सांसद मुलायम सिंह जी यहां बैठे हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी उस समय उत्तर प्रदेश की असेंबली में होते थे, वह जानते हैं। उस समय मोरारजी भाई की सरकार ने इसी से मिलता-जुलता एक कानून बनाया था। जिसके तहत किसानों की उपज एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है। हमारे कृषि मंत्री जी ने नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस कानून को और ज्यादा विस्तार दिया है। किसानों की समृद्धि, किसानों को सबल बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है।

अध्यक्ष जी, किसानों की ताकत को यह देश बहुत दिनों से पहचानता है। इस संसद ने बहुत-सी आती-जाती सरकारों को देखा है। आज हमारी सरकार वर्ष 2014 से चल रही है। वर्ष 1952 के पहले अंतरिम सरकार थी। आप उस समय से कृषि का बजट उठा कर देख लीजिए। आप हम लोगों के संरक्षक हैं। मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद यह पहली सरकार है, जिसने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया है। यह पहली सरकार है, जहां किसानों में सरकार के प्रति भरोसा जगा है कि एक ऐसी भी सरकार है, जो हम लोगों की चिंता करती है। एक ऐसी भी सरकार है, जो हमारी खेती की बुआई, जोताई, गुड़ाई और हमारे उत्पादन की भी चिंता करती है कि इसकी लाभकारी कीमत किसानों को कैसे मिले।

अध्यक्ष जी, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं बार-बार कहता हूं कि किसानों के सवाल पर एक मत रहें। इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है। मैं मुलायम सिंह जी से बात कर रहा

था। मेरी इस बात से वह सहमत हैं। मैं कह रहा था कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, इस देश की समृद्धि का आकलन नहीं हो सकता है। इस कानून से किसान सबल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चल पड़ेगा।

अध्यक्ष जी, पिछली सरकार वर्ष 2014 से चल रही थी। उस समय किसानों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना शुरू की गई थी। किसानों को छ: हजार रुपया सालाना दिया जाने लगा। मैं किसान हूं, इसलिए इस बात को जान सकता हूं कि आषाढ़ में खरीफ की खेती होती है और कार्तिक में रबी की खेती होती है। जब किसानों के खाते में आषाढ़ के महीने से पहले दो हजार रुपया जाता है, तो किसान ही उसका महत्व जान सकते हैं। प्रेमचंद्रन जी और सरदार जी नहीं जान सकते हैं कि किसानों को कितनी ख़ुशी होती है, खेती में उनको कितना सहयोग होता है।

(1655/SKS/RC)

एक खाते में अगर एक बीघे का किसान है और उसके 10 भाई हैं या 8 भाई हैं और 8 भाईयों के नाम से जाता है। अपने देश में अभी भी परिवार कई कारणों से बाजार के असर के कारण टूट रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार की संख्या अभी भी ज्यादा है। एक-दो बीघा के किसानों के घर में 50,000, 60,000 या 70,000 रुपये हर छह महीने में पहुंच जाते हैं, तो उस राशि से उन्हें अषाढ़ की और रबी की खेती करने में कितना सहयोग हो सकता है, यह हम जान सकते हैं। मैंने उन किसानों से बात की है। जब इस कानून को बनाने की बात आई, तब हम लोगों के बीच में संवाद हुआ, तो मैंने अपने गांव के किसानों से, अपने बिहार के किसानों से, अपने मध्य प्रदेश के किसानों से और अपने भाईयों से बात की है। मैंने कई लोगों से बात की है। मैंने किसान भाई राम प्रकाश, राम किशन दुबे, श्याम सुंदर उपाध्याय से बात की है। मैंने कन्हैया सिंह प्रमुख, राकेश सिंह प्रमुख तथा इंद्रजीत सिंह से भी बात की है। इन सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून हमारी उपज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत ही सुविधा प्रदान करेगा।

1656 बजे (श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, जो दूसरे प्रदेश से लगा हुआ न हो। हम लोगों का उत्तर प्रदेश, एक जगह बिहार से, एक जगह छत्तीसगढ़ से, एक जगह झारखंड से, एक जगह मध्य प्रदेश से और एक जगह राजस्थान से लगा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक किसान अगर चने के उत्पादन को दूसरी जगह पर बेचना चाहता है और वह एक क्विंटल चना अपनी बैलगाड़ी, घोड़ा या ट्रैक्टर पर लादकर ले जाता है, तो कानूनी बंधन के कारण उसे सीमा पर ही रोक दिया जाता है कि हमारे प्रदेश में आपको ले जाने की इजाज़त नहीं है।

आप जानते हैं कि गांव में लोग किस-किस तरह का निर्माण करते हैं और कंपनियां उसे ब्रांड करके बेचती हैं। मैं अपनी बात में बताऊंगा कि गांव में दूध पैदा करने वाला किसान कैसे अपने दूध को गोबर के उपलों पर गर्म करके लाल कर देता है, दही बनाता है। कृषि मंत्री जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उस तरह का दही हमारे रक्षा मंत्री जी बड़े चाव से खाते रहे हैं और वह सब जानते हैं। उस दही के बारे में मुलायम सिंह जी भी जानते हैं। हम उस दही की मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम उस दही को विदेशी कंपनियों के हवाले क्यों कर दें?

बापू मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ग्राम स्वराज का यही सपना देखा था कि जब तक किसानों के अंधेरे गांव में ग्राम स्वराज की रोशनी नहीं जाएगी, तब तक केवल आजाद होने के बाद देश आजाद नहीं हो पाएगा। इस देश का ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो कानून बनाने जा रहे हैं, वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं। यही सपना पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने भी देखा था, जो हम लोगों के विचारों के प्रेरक हैं। उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान की समृद्धि जब गांव और खेत-खलिहानों के रास्तों से निकलती है, तब हिन्दुस्तान समृद्ध दिखता है। हम लोग इस साल राष्ट्रीय ऋषि तत्व पंचेगड़ी के महान चिंतक का शताब्दी समारोह समाप्त करके आ रहे हैं, जिन्होंने राज्य सभा का प्रतिनिधित्व 12 वर्षों तक किया था। उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए किसानों को सबल बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, व्यवसाय बड़ा बेरहम होता है। व्यवसाय केवल लाभ खोजता है, लेकिन शासन की तरफ से बाजार का असर न होते हुए किसानों की समृद्धि के लिए जो कानून बनने जा रहा है, किसानों की सबलता के लिए जो कानून बनने जा रहा है, वह बाजार की बेरहमी को दूर करने जा रहा है, बाजार की बेरहमी उस पर असर नहीं डालेगी। बाजार सोचता है कि उसे लाभ कैसे मिलेगा, क्रेता सोचता है कि उसे कैसे सस्ते में मिलेगा? आप कह रहे थे कि किसान को गुलाम बनाएंगे। श्री अधीर रंजन जी कल से ही चिल्ला रहे हैं कि किसान गुलाम बन जाएंगे। क्या भारत का किसान कभी गुलाम होगा? शासन गुलाम हो जाता है, सत्ता गुलाम हो जाती है, लेकिन मैं किसान होने के नाते यह कह सकता हूं कि किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता है।

(1700/VB/SNB)

इस देश ने ब्रितानिया राज देखा है, मुगलिया शासन देखा है, लेकिन किसी भी शासन ने कभी यह कोशिश की कि किसान अपने खेत में गेहूँ बोना चाहता है, तो वह कह दे कि तुम मक्का बोओ! किसान जब तय करता है कि मैं मक्का बोऊँगा, आलू बोऊँगा, गेहूँ बोऊँगा, तो उसी की बुआई करता है। श्री मुलायम सिंह जी स्वदेशी आन्दोलन के हमारे साथी हैं। जब अंग्रेजों ने तिनकठिया कानून बनाया, नील के आन्दोलन क्यों शुरू हुए थे? रक्षा मंत्री इस बात को जानते हैं कि नील की खेती करने के लिए तिनकठिया कानून बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि एक बीघे में से तीन कट्ठे में नील की खेती होगी। इस देश के किसानों ने इस पर विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को बता दिया कि तुम देश के शासन को गुलाम बना सकते हो, लेकिन किसानों को गुलाम नहीं बना सकते हो। मैं अभी बलिया से सांसद हूँ, इसके पहले भदोही से सांसद था। वहीं पर पाली में गोदाम था, भदोही के किसानों ने नील के गोदामों में आग लगा दी। इसमें 22 लोगों की कच्ची फांसी हो गई और किसानों ने देश की आज़ादी का रास्ता दिखा दिया। उसी आज़ादी के रास्ते को चम्पारण में बापू मोहनदास करमचंद गांधी ने समझा और नील आन्दोलन शुरू हुआ और देश को आज़ाद कराने का रास्ता दिखा दिया। इसलिए जो यह कहते हैं कि किसान गुलाम हो जाएगा, उन्हें किसान की ताकत का अहसास नहीं है, हिन्दुस्तान के किसानों की ताकत को जानते नहीं हैं। हिन्दुस्तान का किसान अमेरिका का किसान नहीं है। हिन्दुस्तान के किसानों के लिए कृषि उसकी जीवन-धारा है। वे व्यवसाय नहीं करते हैं, यह उसकी जीवन-धारा है। हमने कानून बनाए, अभी हमारी खेती में मशीनीकरण ज्यादा हो गया है, पहले यह ज्यादातर मानव-आधारित थी। हमें जापान को देखना चाहिए। जापान में औसतन दो-ढाई एकड़ की खेती होती है। ढाई एकड़ के किसान होते हैं। हमारे देश में भी किसानों की औसत आय ढाई एकड़ की है, कुछ बड़े-बड़े किसान हैं, उनकी खेती ज्यादा है।

मैं पूछना चाहता हूँ कि बड़ी-बड़ी मशीनरी बनाने की इजाज़त किसने दी? आज आप छोटे किसानों की चिन्ता कर रहे हैं। आज छोटी-छोटी मशीनरी बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने सुविधाएँ दी हैं, उन पर सब्सिडी दी है, उस पर छूट दी है, तो मशीनीकरण के द्वारा भी की जाने वाली खेती में लागत भी कम हो रही है, इसलिए छोटे किसान उसको खरीद भी रहे हैं। 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हम खरीद सकते हैं। हम छोटे किसान नहीं हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन छोटे किसान कैसे खरीदेंगे? छोटे किसान तो छोटी मशीनें ही खरीदेंगे, जिस पर 80 परसेंट वे सब्सिडी दे रहे हैं, वे खरीदेंगे न, वे अनाज पैदा करेंगे न।

सभापति महोदय, यह जो कानून बनने जा रहा है, जैसे पशुधन है, यह कृषि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पशुधन से भी आमदनी होती है। हरियाणा नस्ल की एक गाय होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगातीरी गाय होती है, गुजरात में गीर गाय होती है। हमारे बिहार के भाई यहाँ बैठे हैं, बिहार में नारायणी के तीर पर एक भैंस की नस्ल होती है, हरियाणा में मुर्रा भैंस होती है। मुझे चिन्ता होती है कि जब गाँव का किसान हरियाणा नस्ल की गाय को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ले जाता है, तो उसको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। गंगातीरी गाय का दूध कम होता है, लेकिन उस दूध में इस तरह के तत्व होते हैं कि उस तत्व से कई रोग समाप्त हो जाते हैं।

सरकार ने अभी जो कानून बनाया है, उस कानून से, हमारे शेखावत जी यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास अच्छी नस्ल के घोड़ों के फार्म्स हैं। हम भी घर पर पुश्तैनी घोड़ा रखते हैं। एक अरबी घोड़ा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चला जाएगा, तो कृषि मंत्री जी, उस किसान की माली हालत बदल जाएगी। जो घोड़े पालता है, वह इस बात को जानता है। लोग कहते हैं कि घोड़े का बाजार नहीं है। हिन्दुतान के घोड़े तो दुनिया में खरीदे जा रहे हैं, जो सबसे मजबूत घोड़े होते हैं। भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध है और अभी हमारी सरकार ने भेड़ पालन के लिए कानून बनाया है।

(1705/PC/SRG)

सभापति महोदय, मैं पहले जिस भदोही क्षेत्र से एमपी होता था, वह कॉर्पोरेट क्षेत्र था, वहां दस हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आती है। रक्षा मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि कालीन कैसे बनता है? वह भेड़ के बाल से बनता है। हमारी पिछली सरकार ने भेड़पालन करने वाले किसानों को रहने और भेड़ चराने के लिए सुविधा दी है, समृद्ध बनाया है और उनके लिए आश्रय स्थल बनाया है। किसानों की समृद्धि के लिए यह बहुत बड़ा काम है।

सभापति महोदय, ये लोग कहते हैं कि इससे विदेशी कंपनियों का आधिपत्य हो जाएगा। मैं बताता हूं, मुलायम सिंह जी मुझसे सहमत होंगे। खरीद करने वाला कौन होता है? जिसके पास पैसे होंगे, वही तो खरीदेगा? किसान का उत्पादन कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसे होंगे, वही खरीदेगा। किसान क्यों अपना उत्पादन बेचेगा? अपने उपभोग के बाद जो बचता है, वह किसान बेचता है। विदेशी कंपनियों को लाने वाला कौन है?

मैं वर्ष 1991 में सांसद बना था। उस समय श्री नरसिंह राव प्रधान मंत्री थे, वे यहीं बैठते थे और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। आर्थिक उदारीकरण की नीतियां यही लोग लेकर आए, इससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी विदेशी कंपनियों को बुलाकर न्यौता दे चुके थे। श्री मुलायम सिंह जी इसी कारण से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के विरोध में थे। श्री मुलायम सिंह जी यह सही बात है न? आईएमएफ के अध्यक्ष का श्री चंद्रशेखर जी का वह दस्तावेज छिपा दिया था। ठीक है न? मैं अपनी ओर से यह बात नहीं कह रहा हूं। वह दस्तावेजी रिपोर्ट है, इसलिए मैं संसद में यह बात कह रहा हूं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जिस कानून को बनाने की योजना बना रहे थे, उस कानून को श्री मनमोहन सिंह जी ने क्रियान्वित कर दिया, जो श्री चंद्रशेखर जी के आर्थिक सलाहकार होते थे, वे वहीं बैठते थे। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों में विदेशी कंपनियों को उन्होंने बुलाया है। उस समय राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की थी। मुझे गर्व है कि मैंने उनके मार्गदर्शन में 15 सालों तक काम किया है। मैं स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक सदस्यों में हूं। उस समय स्वदेशी आंदोलन में श्री जॉर्ज साहब, श्री चंद्रशेखर जी और श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी थे। एक जगह मैं श्री मुलायम सिंह जी को भी मंच पर बोलने के लिए ले गया था, तब इनकी पार्टी के लोगों ने विरोध किया था और इन्होंने कहा था कि नहीं, हम स्वदेशी के साथ हैं। श्री मुलायम सिंह जी यह सही बात है न? …(व्यवधान) जो लोग स्वदेशी को, आत्मनिर्भरता को, स्वावलंबन को, स्वाभिमान को इसी संसद में बेधड़क *… (Not recorded)* कर दिए हैं, वे लोग आज हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। यह कैसी विडंबना है, किस तरह की बात है? हम वे लोग हैं, जो इस देश की जनता का भरोसा

जीतते हैं। यह बिल, जो आज कानून बनने जा रहा है, यह हमारे घोषणा पत्र में था। कृषि मंत्री जी, यह बिल हमारे घोषणा पत्र में था। इन लोगों ने भी घोषणा पत्र दिया था कि इनके घोषणा पत्र में ऐसा है। पहले घोषणा पत्र ऐसा दस्तावेज होता था कि जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करते थे, उस पर देश की जनता का भरोसा होना चाहिए, लेकिन घोषणा पत्र पर किसी ने भरोसे का संकट पैदा किया तो अधीर बाबू वह आप लोगों ने किया। देश की जनता को घोषणा पत्र पर भरोसा होना चाहिए। हम लोगों ने यह कायम किया, हमने धारा-370 को खत्म किया, हमने यह घोषणा पत्र में दिया था। हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भी घोषणा पत्र में कहा था। …(व्यवधान) आप बैठिए, मेरी बात सुनिए। …(व्यवधान) हम कानून से राम मंदिर बना रहे हैं। …(व्यवधान) हमने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हम किसानों की समृद्धि, किसानों की सबलता के लिए काम करेंगे। हमने घोषणा पत्र में यह भी कहा था और इस घोषणा पत्र का जनादेश हमें मिला है, इसलिए हम इस कानून को बना रहे हैं। अधीर बाबू, जनादेश का आदर करना सीखिए। …(व्यवधान) जनादेश का आदर नहीं करेंगे और आप गुस्सा कर के जब हम लोगों का विरोध करते हैं तो हम तो देहाती आदमी हैं, हमको लगता है कि कोई न कोई झगड़ालू औरत झगड़ा कर रही है। …(व्यवधान) आप ऐसे गुस्सा करते हैं तो हमको यही लगता है। हम लोग देहाती आदमी हैं, देहात से आते हैं, इसलिए उन चीज़ों को जानते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह सकता हूं। कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में भारत सरकार ने जो काम किया है, वह आज तक के इतिहास में उल्लेखनीय काम है। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में काम किया है। बहुत से किसानों को उनकी नष्ट हो गई फसल के लिए इस योजना से लाभ मिला है, कुछ बाकी हैं, जिन कंपनियों ने गलती की है, उन पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर किसान के खाते में सालाना छ: हजार रुपये जा रहे हैं। उससे पूछिए कि क्या कार्तिक या आषाढ़ के पहले पैसा चला गया था?

(1710/SPS/RU)

जब किसान कोविड की कठिनाई में था, रबी की खेती उसी समय शुरू हो रही थी और हमारी भी खेती की कटाई रुकी हुई थी तो मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन किया कि गृह मंत्री जी कटाई की मशीन अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से जाती है और अगर वह पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में नहीं जाएगी तो खेती कठिनाई में पड़ जाएगी। मैंने मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया था। हमको बहुत ही खुशी हुई कि दो घण्टे में गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने पूरे देश में इस तरह का आदेश दिया कि कहीं की मशीन कहीं भी जाएगी और कहीं भी रबी की फसल की कटाई में किसानों को कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपका यही कानून काम करता तो रबी की खेती चली गई होती।

महोदय, कोरोना में सारा उत्पादन बंद हो गया है। उनमें कागज के कारखाने, कपड़े के कारखाने, लोहे के कारखाने, सीमेंट के कारखाने हैं, लेकिन क्या कृषि का काम बंद हुआ? कृषि का उत्पादन बढ़ गया और किसानों का काम बंद नहीं हुआ। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो यह कानून बना है, इसी ग्राम स्वराज का सपना साकार

करने के लिए देश की आजादी की लड़ाई के समय गांधी जी ने हमें याद दिलाया था। स्वदेशी, स्वालंबन और स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए दत्तोपंत जी हम लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। सबल भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प प्रधान मंत्री जी और उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है, वही पंडित दीन दयाल जी उपाध्याय ने सपना देखा था। आज उन्हीं के सपनों के भारत का निर्माण भविष्य में होने जा रहा है।

सभापति महोदय, जब तक इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक यह देश समृद्ध नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि राज्य सरकारों की संघीय व्यवस्था पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हम संघीय व्यवस्था पर अतिक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन राज्य सरकारों को भी अपनी संवैधानिक व्यवस्था को जानना चाहिए। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसान को 6-6 हजार रुपये मिलते हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, मैं किसानों के घरों में घूमता रहता हूं, किसानों से संवाद करता हूं, कई जगहों पर नहीं मिलते हैं। बेचारा किसान हिन्दुस्तान के 6.5 लाख गांवों में रहता है, उसने क्या किया है? हमसे लड़ना है, लड़ लीजिए। मैदान तय कीजिए, कहां लड़ाई होगी, लड़ते जाइए। आप लड़ लेना और लड़ते-लड़ते कहां चले गए और हमको कहते रह गए कि ये साम्प्रदायिक लोग हैं, हमको कहते रह गए कि ये किसान विरोधी लोग हैं। अगर किसान विरोधी होते तो 6 हजार रुपये सालाना कहां से देते। अगर मजदूर विरोधी होते तो इस तरह की फसल ऋण योजना, किसान रथ मोबाइल ऐप कहां से चलाते, किसान रेल कैसे चलती? हमारे कृषि मंत्री जी ने रेल मंत्रालय से अनुबंध करके किसान रेल शुरू की है। महाराष्ट्र के किसान जो उत्पादन कर रहे हैं, उसे बिहार तक लेकर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बिहार और उत्तर प्रदेश तक लेकर जा रहे हैं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चना पैदा होता है, नर्मदा के मैदान में चना पैदा होता है, जौ पैदा होती है।

सभापति महोदय, मैं बलिया से सांसद हूं। वहां एक ऐसी झील है, जिसे सुरहा ताल कहते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी झील है। वहां इस तरह का बोरो धान पैदा होता है कि जब वहां परीक्षण हुआ तो लोग कहते हैं कि यह शुगर को नष्ट कर देता है, ब्लड प्रेशर को नष्ट कर देता है। उसकी ब्रांडिंग होगी। बाबा रामदेव अपनी स्वदेशी वस्तुओं का ब्रांड बनाकर ही आज दुनिया में चर्चा का विषय बने हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Please conclude.

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय, मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर उसकी ब्रांडिंग कर दी जाए, मार्केटिंग कर दी जाए और सरकार ने भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था की है, किसान रेल बनाई है, अगर किसान उस रेल से एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसानों की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, राजनैतिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि ही देश को समृद्धि के मुकाम तक पहुंचाएगी और यही आत्मनिर्भर भारत बनने का आधार बनेगी।

सभापति महोदय, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौ की खेती होती है और चना की खेती होती है। यह खेती बिहार में भी होती है। जब मुजफ्फरपुर की चीज़ महाराष्ट्र में जाएगी तो बिकेगी।

(1715/MM/NKL)

नागपुर का संतरा जब अमरोहा जाएगा तो बिकेगा ही। किसान रेल से जाएगा। हिमाचल का सेब वहां सस्ता बिकता है, हमारे यहां जाएगा। इलाहाबादी अमरूद वहां जाएगा तो बिकेगा। हमारे यहां भदोही में एक पेड़ा बनता है, उसको लोग मुम्बई ले जाते हैं। भदोही में टेढ़वा का पेड़ा बनता है। रक्षा मंत्री जी जानते हैं, हम लोग उनको कभी देते थे। टेढ़वा का पेड़ा मुम्बई में जाएगा। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सत्तू और बिहार का सत्तू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जाएगा। पहले ये लोग हमको सत्तूखोर कहते थे। अब ऐसा मत कहिएगा।

सभापति महोदय, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए किसानों की समृद्धि और सफलता के लिए यह जो कानून बन रहा है, जिस दस्तावेज पर आज संसद मोहर लगाने जा रही है, इसे भविष्य का इतिहास नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को, उसके कृषि मंत्री और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को याद रखेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1716 hours

SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

This reform package combines three laws, all introduced through the Ordinance route. First, the Modi Government has amended the Essential Commodities Act to remove the existing restrictions on stocking food produce.

Second, it has introduced a new law, that is, the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 or the FPTC Ordinance. This is to end the monopoly of the Agricultural Produce Market Committees (APMCs) and allow anyone to purchase and sell agricultural produce.

Third, another law, that is, the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 or FAPAFS Ordinance has been enacted to legalise contract farming so that big businesses and companies can cultivate vast swaths of land on contract. I am not claiming that farmers' organisations have the final word in this matter. Opposition of farmers' organisations to these may well be the result of a trade unionist resistance to change, knee-jerk opposition-ism, or prejudice against the Modi Government. I am conscious that many pro-farmer analysts, whose wisdom I draw upon, have endorsed these reforms.

Besides, it is not clear what gives the Government the power to legislate upon agriculture and intra-state trade, which are State subjects. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Just a minute, please. Hon. Members, please make sure that you put on your masks. Otherwise, we will be putting other people's lives at risk. So, kindly put on your masks.

Mr. Sundaram, please proceed. You can speak without putting on your mask.

SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI): Besides, it is not clear what gives the Government the power to legislate upon agriculture and intra-state trade, which are State subjects. It is true that trade and commerce of foodstuff is in the Concurrent List, but if States have the right to pass APMC Acts, surely, they have the jurisdiction to bypass APMCs. In any case, there is not even a constitutional fig-leaf that gives the Central Government the power to legislate on contract farming. Prima facie, the FAPAFS is unconstitutional. I can anticipate

the response to these objections. The honest defenders would say – "You are right; this is procedurally all wrong, but it was needed."

The restrictions on hoarding were a legacy of the food crisis of the 1950s. We do not need these now, barring a national food emergency. Removal of these would help traders and stockists, and may sometimes help crop prices from falling. By the same logic, the Government should have done away with the export restrictions on agricultural commodities but that critical piece is missing from these reforms.

Similarly, giving legal sanction to contract farming would help corporates enter the agricultural sector, and may increase the productivity. But would it help the farmers? For one thing, the FAPAFS Ordinance has little to offer to the millions of farmers who are currently engaged in contract farming through informal agreements of *theka* or *batai*.

(1720/KSP/SJN)

Some form of registration of these tenant farmers without threatening land owners would have been a huge land reform waiting to happen. Instead, the FAPAFS could lead to disruption in this ongoing practice of contract farming. The absentee landlord would now prefer to deal with written contracts of a company over the hassle of dealing with local tenants. There is nothing in the ordinance to ensure that the contract agreed to by the small farmer with little bargaining power would be fair. There is an elaborate dispute resolution mechanism. But how would the farmers access it when they are pitted against big companies?

Given the timing, the context and the overall balance of power in which these three ordinances have been promulgated, these are likely to work for the traders, big agri-businesses and corporates and not for farmers, least of all small farmers.

These reforms may increase agricultural productivity, improve food markets, but are unlikely to help farmers' income. At best, this may be another example in the long history of policies that work for agriculture but definitely not for the farmers.

The Agricultural Produce and Market Committee (APMC), a statutory body of the State Government, is helping the farmers to procure the agricultural commodities directly from the farmers after paying the price so that the small

and marginal farmers do not have the headache to market their produce. By abolishing APMC, you are permitting the corporate sector to enter and replace the APMC. APMC finances the farmers from the stage of sowing to marketing of the produce. But if corporates enter the field, the farmers will be in distress to sell their produce at throw away price without any bargaining.

The Contract Farming Ordinance provides for buyers and farmers to enter into a contract for price and committed supply which paves the way for corporate entry. In the long run, farmers will be at the mercy of the corporate contractors without any bargaining power.

Secondly, the Bill is silent about the Minimum Support Price (MSP) which is essential for the survival of farmers. The Government should stipulate mandatory rules for MSP.

Therefore, I oppose these Bills.

(ends)

1722 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity.

Speaking on the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, I, on behalf of my party, strongly oppose this Bill. In one sentence, I would like to say that one of the draconian laws is going to be passed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi affecting 60 per cent citizens of this country who are poor and marginal farmers.

Before I go into the merit of the debate, let me tell you that today I am remembering 'NEEL BIDROHO' which is called 'Indigo Revolt' by the farmers in Bengal. During the British Rule in 1859, at Chowgacha village in Krishnanagar of Bengal, lakhs of farmers were killed by the British because of protest by the farmers against the small rates given to them on NEEL (INDIGO) seeds which were only to be sold to some enterprises fixed by the British Government.

Sir, this Bill is thoroughly unconstitutional, because this House cannot legislate a Bill in respect of agricultural produce under the Seventh Schedule to the Constitution. Under the State List of the Seventh Schedule, in respect of Entry No. 14, State is having the power to legislate law in respect of agriculture including agriculture education and research. By this Bill, the right of the State to legislate the law in respect of agriculture sector is sought to be interfered with. In our State of West Bengal, we are having a law dealing with agriculture products which is called West Bengal Agriculture Produce Marketing (Regulation) Act, 1972.

The effect of the Bill is that big enterprises and middlemen will force the poor, illiterate, marginal farmers to enter into an agreement forcefully. Therefore, the effect of the agreement/contract employed in different provisions of the Bill will be an agreement between two unequal parties.

(1725/KKD/GG)

The effect of the Bill is that the weaker party, that is, the poor, illiterate and marginal farmers will be forced to enter into an agreement upon the terms imposed by the stronger party, and these poor farmers will have no choice or rather no meaningful choice but to give their assent to a contract or to sign on the dotted line in a prescribed or standard form or aspect, a set of rules as part of contract, however, unfair, unreasonable and unconscionable a clause in a

contract of form may be. Therefore, inequality of bargaining power would be the result of great disparity in economic strength of the contracting parties.

The effect of the Bill is that there would be hoarding, black-marketing and profiteering of the agricultural produces by the big establishments and middlemen. Thus, the State will have no power to control or curb such hoarding, black-marketing and profiteering because in an indirect manner, the power of the State under the Essential Commodities Act, 1955 is sought to be taken away. When there will be hoarding, black-marketing and profiteering, the common people will suffer because of high price of the agricultural produces; and the State has to remain a mute spectator. So, this Bill is nothing but another attempt to privatise the entire agricultural industry in privatisation. In other way, the entire agricultural industry, starting from crops production, is going to be sold by the Central Government to the private parties.

Sir, if they are really in favour of the farmers, then why 'force majeure' under Clause 2(j) has been defined and introduced? Farmers need protection of price, especially in the case of flood, drought, bad weather, earthquake, epidemic, outbreak of disease, natural calamity, insect/ pest attacks and such other events, but because of 'force majeure' Clause, the parties with superior bargaining power will not be required to pay the prices even quoted in the contract or agreement itself. So, who is going to benefited by this? It is not the farmers but it is the big industrialists whose interests are now the prime consideration in every field by the present Narendra Modi Government.

Sir, this is really unfortunate and painful; and with a heavy broken heart, let me tell you that by this Bill, the farmers will be forced into litigations under Chapter III of the Bill. Although it will start from the conciliation process but ultimately, it will end in the Supreme Court of India. Would it be possible for the poor farmers to fight litigations if there is a violation of clause of contract by the superior bargaining authority up to the Supreme Court? In a country like ours, still millions of labourers are not getting justice in time because they cannot bear litigation expenses. In future, we may see that 60 per cent of population of this country would face the same consequences.

Through a written reply to the Government of India, dated 4th April, 2018, the above model Act was not agreed to by the Government of West Bengal since its provisions are likely to exploit the marginal and small farmers of the State

vis-à-vis powerful corporate entities. In West Bengal, more than 95 per cent of the farm forces are the marginal farmers.

Sir, by reason of the introduction of clause 7(i) in the Bill, with such exemption to all such farming agreements, no market fee and other existing levy can now be levied by the State Government, thereby, resulting in a substantial loss of revenue to the State, which is approximately Rs. 20 crore per year, in terms of collection of market fee and license fee.

Sir, in a country where more than 85 per cent cultivators are marginal and small farmers, the Bill does not actually seem to cater to the plight and safety of the poor farmers. By promoting contract farming, the Bill instead tends to permanently empower the big landlords, agricultural business lobbies.

Sir, I will conclude with this. From 1998 to 1999, the NDA-I *Sarkar* was there headed by a very respected statesman of our country, Atal Bihari Vajpayee-ji. From 1999 to 2004, three was the NDA –II *Sarkar* headed by -- I still remember everything -- very respected Atal Bihari Vajpayee-ji as Prime Minister. In 2014, Modi *Sarkar* came; and in 2019 again they came. But now, they are selling everything – बेचो, बेचो, बेचो...। सन् 2019 में बेचने वाली सरकार हो गई। अभी बेचने वाली सरकार आ गयी है।

Thank you, Sir, for giving me this opportunity. With these words, I conclude.

(ends)

(1730/RP/KN)

1730 hours

SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Thank you very much, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on behalf of the YSRCP on the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020.

I support this Bill because it will enable barrier-free trade of agriculture produce. It will promote intra-State, inter-State trade and commerce of farmers' produce outside the physical premises of market yards or deemed notified markets.

Earlier, the farmers in India suffered from various restrictions while marketing their agriculture produce. Selling the agriculture produce outside the notified APMC market yards was also restricted. Genuine traders of agriculture produce also suffered due to unfriendly laws of the Government. Farmers had to sell their produce only to registered license holders of State Governments. Farmers and traders suffered with inter-State restrictions. The free flow of agriculture produce was also restricted due to inter-State restrictions.

Now, this Bill is a historic and a heroic step to unleash the highly regulated markets in the country. Farmers from their farm produce will go to new avenues and far-away markets without much barriers and get remunerative and premium prices. I hope, this Bill will prevent distress sale. We have seen in a number of cases where surplus quantity of tomatoes and onions dumped at road-margins. This Bill empowers the farmers to engage with investors of their choice. Private investment, remunerative price, electronic trading platform and dispute resolution mechanism will surely help the farmers.

The Kisan Rail has been sanctioned for my State, Andhra Pradesh, particularly, from my constituency Anantapur to Adarsh Nagar, Delhi. I am very grateful to, both, the Central Government and the State Government.

This agricultural reform will surely bring benefits to the farmers as well as to the consumers and attract more private and foreign investment in the field of agriculture in the form of establishment of modern warehouse facilities and creation of cold storage infrastructure. Such investments in food and supply chain will increase the farmers income as well as reduce the wastage of perishable commodities.

Farmers are very important to our country and they must be protected. I strongly believe that this Bill will create an ecosystem where the farmers and traders will enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of agriculture produce. Without farmers, we are nothing. So, it is our duty to take care of them. We all need to respect the farmers and their farm produce just as we respect our soldiers at borders.

Jai Jawan, Jai Kisan.

Jai Hind.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Shri Arvind Sawant ji – not present.

The next speaker is Shri Ritesh Pandey.

1734 बजे

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे यहाँ बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को साझा करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कृषि क्षेत्र में क्रांति के उद्देश्य से सरकार ने ये दो ऑर्डिनेंसेस लागू किए हैं। किसानों के हित की बात करने वाली यह सरकार कहीं न कहीं अपनी पूंजीवादी विचाराधारा से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इन तीनों अध्यादेशों को लेकर पूरे देश में जन आक्रोश उठ रखा है। यदि कोरोना का कवच न होता तो यह जन आक्रोश दिल्ली की रोडों पर जरूर आया होता। मैं आज इस बिल के चार मुद्दों पर अपने विचार इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहला मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, जिसे बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने उठाया है।

(1735/CS/RCP)

महोदय, इस सरकार का चुनावी वादा रहा है कि किसान की आय को दोगुना किया जाएगा और अगर हम उसी फॉर्मूले से चलें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी दोगुना होना चाहिए, लेकिन इन अध्यादेशों को लाकर सरकार ने छोटे और सीमांत किसान, जो कि इस देश के कुल किसानों की जनसंख्या का 86 परसेंट हैं, उन लोगों को पूरी तरह से कॉर्पोरेट्स और धन्ना सेठों के रहमोकरम पर छोड़ दिया है। इन छोटे और सीमांत किसानों में दलित, आदिवासी, ओबीसी और अपर कास्ट के भी गरीब लोग हैं, जो छोटी खेती में काम करते हैं। कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) अध्यादेश की धारा 5 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को निष्प्रभावी किया जा रहा है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है।

महोदय, एमएसपी किसान के उत्पादन का एक सम्मानजनक न्यूनतम मूल्य स्थापित करता है और इसी मूल्य के ऊपर किसान और लोगों से मोल-तोल करने का काम करता है। एमएसपी को कमजोर करना किसान की आमदनी की नींव को हिलाने के बराबर है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि यह अध्यादेश देश के संघीय ढांचे पर एक चुनौती देता है। हालांकि स्टेट लिस्ट के प्रवेश 14 के अनुसार कृषि एक राज्य का विषय है। इन अध्यादेशों को लाकर यह साफ होता है कि समवर्ती सूची के प्रवेश 33 का शोषण करके केन्द्र सरकार राज्यों की समप्रभुता को चुनौती दे रही है। कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) बिल की धारा 7 और कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) की धारा 6 एवं धारा 14 के अनुसार राज्य के सभी कायदे-कानून इन विधेयकों के सामने निष्क्रिय हो जाते हैं, जो कि राज्य के राजस्व संग्रह के स्रोतों को भी खत्म करता है। अभी एक आदरणीय सदस्य बिट्टू जी बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा टैक्स का रेवेन्यू कम किया जा रहा है।

महोदय, दूसरा इससे यह लगता है कि अब राज्य सरकारें भी अपने किसानों को धन्ना सेठों के सामने कोई सुरक्षा नहीं दे पाएंगी।

मेरा तीसरा बिन्दु कृषि क्षेत्र में विदेश हस्तक्षेप से संबंधित है। वर्ष 2016 में किसान मित्रों से एक वादा किया गया था कि वर्ष 2022 में उनकी आय दोगुनी की जाएगी। फिर चार साल बाद, हाल ही में जुलाई, 2020 में देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने अमरीकी निवेशकों को विश्वास दिलाते हुए यह कहा

कि कृषि क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक बदलाव अर्थात् ये जो तीन अध्यादेश आए हैं, कृषि क्षेत्र के उत्पादन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए असीम अवसर पैदा किए जाएंगे।

महोदय, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार किसके साथ खड़े दिखना चाहती है, विदेशी निवेशकों के साथ, धन्ना सेठों के साथ, अडाणी, अंबानी के साथ या उन किसान मित्रों के साथ जिनकी आय दोगुनी करने का वादा किया गया था।

मैं इन मुद्दों पर माननीय कृषि मंत्री जी से स्पष्टीकरण जरुर चाहूँगा। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि वर्ष 1995 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन, जो कि पश्चिमी हितों के लिए, खासकर अमेरिकी हितों के लिए कार्यरत रहता है, निरन्तर 25 सालों से भारत पर अपनी किसान समर्थित नीतियों का त्याग करने का दबाव बना रहा है ताकि पश्चिमी उपनिवेश भारत में आ सके और यहाँ के गरीब किसानों का फायदा उठा सकें। आज ऐसा लगता है कि 25 साल बाद विश्व व्यापार संगठन के दबाव के सामने सरकार नतमस्तक हो गई है। सरकार के अपने ही आंकड़ों के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केवल और केवल नकदी फसलों को प्रोत्साहन देती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैश क्रॉप को ही प्रोत्साहन देती है। जैसा कि पंजाब में बार्ले के बारे में है, गुजरात, मध्य प्रदेश में कॉटन है और उत्तर प्रदेश में यूकेलिप्टस है। नकदी फसलों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा प्रोत्साहन मिलने से देश की सॉइल क्वालिटी और बायोडायवर्सिटी पर भी खासा असर पड़ेगा, जैसा कि मेरे क्षेत्र में पाया गया है।

(1740/RV/SMN)

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में यूकैलिप्टस की खेती में यह पाया गया है कि यह पेड़ एक तरफ तो मिट्टी की उर्वरकता को नष्ट करता है और दूसरी तरफ यह दस लीटर से अधिक पानी प्रतिदिन पीता है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Please conclude

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am just finishing. Maybe, I will take a minute more.

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): यूकैलिप्टस की खेती में इतना ज्यादा पानी लगता है कि 100 पेड़ एक टन से ज्यादा पानी पीते हैं।

मान्यवर, इसमें हमने यह भी देखा है कि यूकैलिप्टस की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में आई थी और वह इस कदर फैली कि आज की स्थिति में इसके दाम भी नहीं हैं और किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो गई है और उनके पैसे भी कम हो गए हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का यह मानना है कि भारत सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह देश के किसानों को धन्ना सेठों से और कॉन्ट्रैक्टर्स से सुरक्षित रखे। इसलिए यह अत्यंत ही जरूरी है कि देश के किसानों द्वारा इन अध्यादेशों के खिलाफ उठाई जा रही आवाज को संज्ञान में लेकर किसानों के हित में बिल में बदलाव लाने का काम किया जाए। आखिरकार, सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्नदाता ही सबसे बड़ा मतदाता है।

(इति)

1741 बजे

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सभापति महोदय, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक पर यहां मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मुझे याद आता है कि वर्ष 2014 में जब मैं सांसद था, उस समय मैं एन.डी.ए. में था और उस वक्त मैंने बोला था - 'दु:ख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे।' लेकिन, वह आया नहीं। हम सपने देखते रहे। एक बात माननी पड़ेगी कि इस विषय पर सरकार भी थोड़ी गंभीर रही और इस गंभीरता का ही आज यह इलाज वे सामने लाए हैं, ऐसा मैं समझता हूं। इस विधेयक का स्वागत करते समय मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, मैं वह भी प्रकट करूंगा। लेकिन, एक बात मन में आती है कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी हालत में किसान समृद्ध हो और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सदस्य भी यह बात बोल रहे थे। यह बात सही है कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, देश समृद्ध नहीं होगा।

आपको याद दिलाता हूं, जब मैंने जी.डी.पी. पर बात कही थी तो मैंने पूछा था कि आप जी.डी.पी. कैसे निकालते हैं? क्या किसानों की उपज के ऊपर जी.डी.पी. है? किसानों का तो उसमें कोई स्थान ही नहीं है। जब तक किसानों की उत्पादकता और उत्पाद पर जी.डी.पी. को संलग्न करेंगे तब पता चलेगा कि सही में अपनी जी.डी.पी. कहां है। आज जो स्थिति है, वह अलग है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसमें नीचे गए, वह अलग बात है। लेकिन, इसमें किसान नहीं आता है।

तोमर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं कि इस विषय को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और कृषकों को आप खुले बाजार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस देश में करीब 2,477 ए.पी.एम.सीज़. हैं, 4,843 सब-मार्केट्स हैं, 1,000 मंडियां हैं। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये किस तरह से इसके साथ जोड़ी जाएंगी, इसे देखना पड़ेगा। इसमें संघर्ष नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो कहा कि हम बाहर जाकर बेच सकते हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन, आपके ध्यान में होना चाहिए कि हमारे 75 प्रतिशत किसान, जो पाँच एकड़ से कम की होल्डिंग रखते हैं, वे दुर्गम क्षेत्रों में खेती करते हैं, पहाड़ों में खेती करते हैं, उनकी उत्पादकता को ये किस तरह से खरीदेंगे? इसमें तो संगठन की बात आ जाती है। अगर वे संगठन नहीं करते हैं तो उनके उत्पाद कैसे आएंगे? यह कौन तय करेगा कि उन्हें क्या उत्पादन करना है? महाराष्ट्र की सरकार ने इस बार एक अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था? मराठी में उन्होंने कहा – विकेल ते पिकेल। इसका मतलब कि जो उत्पाद आएगा, उसे हम बेचने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने उलटा कहा। उन्होंने कहा कि जो बिकेगा, वही पकेगा। उसी का उत्पादन करेंगे, ताकि किसानों को पैसे मिलें, वे समृद्ध हों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब यह योजना अभी लाए हैं। इस बहस में, हम लोग जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, मेरा उस पर कहना है। आपने शुरू में क्यों सोचा? उत्पादकता डेढ़ गुना करेंगे और उत्पादन दोगुना करेंगे, यह हमारी घोषणा है, यह हमारा उद्देश्य है। उसको लेकर हमने यह भी कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2022 तक हमारे किसानों का उत्पादन दोगुना होना चाहिए।

(1745/MY/MMN)

अब स्वामीनाथन कमेटी के जो कुछ भी मुद्दे हैं, उनके बारे में मैं बाद में बोलता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि अब वन नेशन वन मार्केट की बात आई है। सभी का मानना है कि ई-नाम तो पहले से ही लागू हो गया था।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जरा सदन को बताइए, जब हम ई-नाम लिये थे तो लोगों ने उस पर भी विश्वास जताया है। लोगों ने ई-नाम पर भी रजिस्ट्रेशन करवाई है। लोगों ने अपना उत्पादन वहाँ बेचा है। वह भी विश्वास दिला सकता है कि जब हम ई-नाम लाये तो उस पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और अपना माल बेचा।

अब कृषक और कृषक संगठन की बात रही, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो गरीब किसान है, ढ़ाई एकड़ तथा पाँच एकड़ वाला किसान है, वह अब मरने वाला है। उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। एपीएमसी भी उसको कुछ आधार नहीं देती थी, हो सकता कि वह किसान को थोड़ा-बहुत आधार देती होगी। यहाँ आधार मिलने की संभावना है, लेकिन वहाँ कृषक संगठन बनना चाहिए। अब अगर गाँव में कृषक संगठन बने और वही एक ही फसल ले ले तो ये जो व्यापारी आना चाहते हैं, वे जरूर आ जाएंगे। अब उसी केस में अगर मैं पाँच एकड़ में आलू लगा रहा हूँ, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई प्याज लगा रहा है तो उसको कौन-सा कृषक ले रहा है।

अब इस पर जो करार की बात है, इस करार में उत्पादकों के उत्पादन और विपणन संबंधी निबंधन तथा शर्तों पर पहले सहमत होते हैं। उसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए। करार में इस बारे में विस्तृत जानकारी भी शामिल होती है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा। अनाज, बीज, उर्वरक और तकनीकी परामर्श के बारे में प्रायोजक द्वारा किस तरह जानकारी दी जाएगी। उसमें यही बात है। अब यह जानकारी वह देगा, हम आपको बता रहे हैं कि वह कहेगा कि आप क्यों चिंता करते हो, आप यह बीज लगाओ।

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.V. MIDHUN REDDY): Please conclude. Your Party has a second speaker also.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदय, अभी तो मेरी बात शुरू हुई है। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, आप यहाँ तो पाबंदी मत लगाइए।

HON. CHAIRPERSON: Your second speaker will not have the time. You can carry on then.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदय, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि अपनी बात को दो-चार मिनट्स में समाप्त कर दूँ। अब इस एग्रीमेंट के तहत जो होगा, उस पर मेरा सवाल है। इसमें कौन होगा? बिचौलियाँ नहीं रहेगा, यह अच्छी बात है, लेकिन विश्वास किस तरह से रहेगा, उसका एग्रीमेंट क्या रहेगा? आपने रजिस्ट्री करने की बात की है, लेकिन वह एग्रीमेंट रजिस्ट्री करते समय उसकी गुणवत्ता की बात है कि किस तरह की बीज आएगी तो मैं खरीदूँगा । यह एक उदाहरण है। अभी उन्होंने समय की पाबंदी लगाई। वहाँ बीज उत्पादित किया और उसने कहा कि यह जो बीज हमने तय कर लिया था, उसकी गुणवत्ता यह बीज नहीं रखता, इसलिए मैं इसे नहीं खरीदूँगा। अब आखिर वह

बाजार में भी नहीं जाता कि वह अपने अनाज को कहीं ले जाकर बेचे, क्योंकि उसका कोई भी खरीदार नहीं है। वही कॉन्ट्रेक्टर आकर उसे खरीद लेता है, वह उसे एमएसपी के नीचे के भाव से खरीद लेता है। यही आपके एमएसपी का विषय आता है। आप इसको उसमें शामिल कीजिए कि कोई भी एग्रीमेंट एमएसपी के नीचे नहीं होगी, तब जाकर किसान को आधार मूल्य मिलेगा और उसको विश्वास हो जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यह इतना बड़ा विषय है, मैं इसमें उलझ गया हूँ। अभी खीरे का उत्पादन हुआ था। आपको याद होगा कि वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2012 तक जितना खीरा उत्पादित होता था, उसको रूस खरीद लेता था। रूस ने एक बार विड्रा कर लिया, अब खीरा कहाँ लगाएंगे? खीरा का भाव गिर गया। जिस हालत में किसान पहले रहता है, वही हालत अब फिर से हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में कोई खरीदार नहीं और जो बिचौलियाँ हैं, चाहे कोई एजेंसी हो या कंपनी हो, उसने कहा कि मैं आपका माल ले लूँगा। मुझे विश्वास था कि मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। अगर एक्सपोर्ट बंद हुआ तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं लेने वाला हूँ या नहीं लेने वाला हूँ, या तो मुझे लेना चाहिए या सरकार को लेना चाहिए। इसका विश्वास इस कानून में कहीं नहीं दिखता है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सर, मैं दो-तीन मिनट्स में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज हमारी भारत की सरकार ने किसान का 35,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया। अब जिस किसान ने कर्जा लिया हुआ है, उसका पुनर्गठन कैसे होगा, उसके कर्ज को कौन माफ करेगा? जिनकी खेती दुर्गम क्षेत्रों में है, उसके बारे में क्या होगा? आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

महोदय, मेरे सिर्फ दो विषय रह गये हैं। पहली बात ऐसी है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल खादों का इस्तेमाल होगा। अभी पानी की बात हो रही थी, इस बार बरसात अच्छी हुई है और यह एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल किस तरह से होगा। उस पर कोई बंधन रहेगा या नहीं रहेगा। रासायनिक खाद को जितना इस्तेमाल किया जाएगा, उससे स्वॉइल हेल्थ बिगड़ेगी। वह बिगड़ने नहीं पाए, अगर उसका भी आप कुछ प्रावधान करें तो ठीक रहेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो अच्छा है, वही किया जाए। उसमें जो समस्याएँ दिख रही हैं, उनको मैंने आपके सामने प्रकट किया। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इसके ऊपर आप मार्ग निकालेंगे। धन्यवाद।

(इति)

(1750/VR/CP)

1750 hours

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, as of 2019, there are 6630 AMPC markets in the country. The average geographical area served by each APMC is 496 sq. kilometre. The Dalwai Committee in 2018 noted a need for 10,000 such markets and the National Commission on Farmers in 2006 recommended that the average geographical area to be served by one market should be 80 sq. kilometre. Thus, there is a clear need for more markets.

Farmers are often required to pay fees even if they do not use any APMC infrastructure, as long as their land is within the notified market area. Farmers are often restricted to selling produce only to APMC-licensed traders. The Committee which grants such licenses is supposed to comprise of elected farmers and traders, but is often dominated by traders. Thus, there is a vested interest in keeping competition limited and not granting many new licenses.

Licensing requirements also discourage restaurants, caterers and large processors from directly entering the market. Instead, they rely on intermediaries, who take a share of the price, thus reducing the price realised by farmers. Collusion amongst traders in APMCs has been observed by the Competition Commission of India.

Sir, if I talk about infrastructure, it is really very poor. Only 65 per cent have washroom facilities, 15 per cent have cold storage facilities and 49 per cent have weighing facilities. All the aforementioned problems directly affect the price that farmers get for their produce. So, while the Bill theoretically gives greater choice to farmers regarding the sale of their produce, in reality, farmers will remain constrained by practical considerations regarding where, how and to whom they sell.

I will give some examples like lack of transportation determining the venue of transaction, lack of storage facilities and capital dictating the time of sale, that is, immediately after harvest, the need to sell to creditors as a form of repayment determining to whom they sell.

To benefit from the Bill, farmers will need sufficient capital, understanding of price fluctuations, market intelligence, internet connectivity, etc. Thus, the benefits are likely to be realised by large farmers, as opposed to small and marginal farmers. Moreover, due to economies of scale, buyers are also likely

to prefer large farmers. So, the small farmers are going to be ignored very clearly.

To ensure fair remuneration, it is important that the bargaining power of small and marginal farmers should be increased, for example, by encouraging the growth of farmer producer organisations. Regulation of APMCs is not sufficient in and of itself to ensure better price realisation for farmers; structural reforms are necessary. For example, ensuring better access to credit, transportation and storage facilities to allow farmers to separate marketing decisions from production decisions.

Sir, may be not direct but the indirect impact of the Bill is that APMCs may fade away. Though the Bill does not abolish existing APMCs, it may end up having that impact by creating platforms where zero-tax trade can take place.

Notwithstanding the aforementioned problems, APMCs fulfil some important functions, especially for small and marginal farmers. They provide an assured market to farmers, provide storage facilities, act as a medium for price discovery at the local level.

As a cautionary tale, the abolishment of APMCs in Bihar has not resulted in better price realisation for small farmers. It has in fact made them more vulnerable to exploitation by traders, with traders buying produce below the Minimum Support Price (MSP) and selling it at a higher price in other States.

Sir, there are certain provisions which need clarification. It is really very important. The Bill states that farmers have to be paid on the same day, or within three working days, for scheduled farmers' produce. Does this protection extend to sale of unscheduled farmers' produce?

(1755/SAN/NK)

In the case of inter-State trade, where can the dispute resolution mechanism be triggered – where the produce is cultivated or where the trade takes place?

Sir, agriculture and markets, and fairs are State subjects; trade and commerce of foodstuffs, raw cotton, raw jute etc. is in the Concurrent List; and inter-State trade and commerce is in the Union List. In the past, the Central Governments have sought to regulate the APMCs by circulating model laws among States and UTs for adoption. The legislative competence of the Central Government to enact an over-arching national law on the same is likely to be

disputed especially because it may result in reduction of revenue generated by States by prohibiting the imposition of fees in non-APMC trade areas.

Sir, the dispute resolution mechanism is too complicated for small farmers. So, at the end, on behalf of my party, Biju Janata Dal, and my leader Shri Naveen Patnaik who has always honoured farmers and taken farmers on the top priority, I would like to request, through you, the hon. Minister that this Bill should go to the Standing Committee for scrutiny for more and more clarity. Our farmers feed us. I think, this Bill has been brought very hastily. So, let us take the deliberations of the Standing Committee and then take a call on what is to be done.

Jai Jawan, Jai Kisan. Thank you so much.

(ends)

1756 बजे

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): सभापति महोदय, आपने मुझे कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य (संशोधन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह किसानों के लिए ऐतिहासिक बिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के किसान खुशहाल हों, तरक्की करें और उनकी आमदनी दोगुनी हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्नदिन भी है। इस अवसर पर इस बिल को लाया गया है। हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने किसानों के हित में बिल लाने का काम किया है। पिछले दिनों आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 भी लोक सभा में पास हो चुका है। उसके बाद यह अनाज और कृषि उत्पाद को खुला बाजार देने की ओर उठाया गया कदम है। इससे किसानों को अपनी मर्जी का मार्केट उपलब्ध होने वाला है।

1757 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

इस बिल के द्वारा किसानों को अपनी फसल बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इस कानून के बनने से किसान भिन्न-भिन्न वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से अपनी फसल की लाभकारी कीमत प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे। किसानों को मुख्यत: जो फायदे होंगे, जैसे, कृषक उपज का व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, व्यापार हेतु पात्रता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन-देन प्लेटफार्म, बाजार शुल्क की समाप्ति, किसानों के भुगतान, विवाद समाधान तंत्र, संचालन के अधिकार का निलंबित अथवा रद्द करना, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, इसमें कई महत्वपूर्ण नियम लाए गए हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा कृषि को बढ़ावा देने एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से दो अध्यादेशों को जारी किया गया है। उसी के अनुरूप अब इस विधेयक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। अब किसानों को अपनी फसल को बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। सरकार एक राष्ट्र - एक कृषि बाजार की अवधारणा को पूरा करने जा रही है। अब सभी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक एवं पारदर्शी हो रही है। लोगों को आशंका है कि क्या सरकारी मंडियों को कमजोर करने से देश के किसानों का कोई नुकसान तो नहीं होगा? ऐसी आशंकाएं निर्मूल हैं और यह एक सुधारात्मक कदम है। इससे किसानों का भला ही होगा। जैसे मंडी से बाहर किसानों से सीधे उपज खरीदने के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, राज्य या केन्द्र किसी खरीद पर कर नहीं थोपेगी, तीन दिनों के अंदर भुगतान की व्यवस्था होगी, किसानों को न्यूनतम कीमत की गारंटी होगी। तीस दिनों के अंदर किसी भी प्रकार के विवादों को निपटारे के लिए एसडीएम और डीएम के पास भेजने का प्रावधान होगा और इसे सुलझाने के लिए भी पारदर्शी प्रक्रिया होगी।

किसानों के लिए यह एक तोहफा है और इससे किसानों की तकदीर बदलने वाली है। मैं बिहार के पूर्णिया से आता हूं, पूर्णिया मेरा संसदीय क्षेत्र और कर्मभूमि है। 1980 के दशक से पहले पूर्णिया और बिहार में मक्का दूसरे प्रदेशों से आता था।

(1800/SK/RBN)

आज किसानों की लग्न और मेहनत का परिणाम है कि देश में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन बिहार में हो रहा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में मक्का की प्रचुर खेती होती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, बिहार के पूर्णिया, कोसी और भागलपुर प्रमंडल में सर्वाधिक मक्का की खेती होती है। यहां से लाखों टन मक्का की ढुलाई की जाती है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी गुलाब बाग में किसानों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। सुलभ मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाता है। मैं आशा करता हूं कि पूर्णिया के किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान होंगी। आपको जानकार खुशी होगी कि बिहार ही ऐसा राज्य है जहां खरीफ, रबी और गर्मी तीनों मौसम में मक्का की खेती होती है और इसमें पूर्णिया हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है।

महोदय, हम बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता को समझ सकते हैं, जब वह पहली बार मुख्य मंत्री बने तो एपीएमसी एक्ट 2006 लाए और मक्के पर सभी प्रकार के मंडी टैक्स को समाप्त किया। इसके साथ ही अन्य फसलों को भी टैक्स से मुक्ति दिलाई। हम उनके शुक्रगुजार हैं।

महोदय, मेरी अपने राज्य से संबंधित दो मांगें हैं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, हम आशा करते हैं कि वह इसका जरूर कोई न कोई उपाय निकालेंगे। बिहार में मात्र एक मक्का अनुसंधान केंद्र बेगुसराय में है। बिहार बड़ा राज्य है। मक्का किसानों की सुविधाओं को देखते हुए मेरी मांग है कि पूर्णिया में एक मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए। यहां केले की प्रचुर खेती होती है। केले के किसानों की हालत सही नहीं है क्योंकि केले की खेती में कई तरह के रोग हो रहे हैं, इसलिए केला अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशाला पूर्णिया में स्थापित की जाए ताकि किसानों की हालत में सुधार हो सके।

महोदय, अब राजेन्द्र प्रसाद सैंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शोध कार्य नहीं हो रहा है। जब तक यह राज्य सरकार के अंडर था, शोध कार्य हो रहा था। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि यहां उन्नत क्वालिटी, नई वैराइटी और नई तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से मक्का की नई वैराइटी पी-3522 डू पोन्ट पायनियर हाईब्रिड की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग करता हूं।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बिहार में कई तरह की आपदाएं आती हैं। यहां बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि से किसान तबाह हो रहे हैं। इस बार मक्का की फसल का एमएसपी नहीं मिल पाया है। यहां मक्का के किसानों की हालत खराब हुई क्योंकि 900-1000 रुपये में मक्का बिका। मक्का की फसल बाढ़ और ओलावृष्टि से नष्ट हो गई।

अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं तथा माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों की चिंता की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1804 hours

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak today on the very important subject pertaining to farmers.

As we all are well aware, farmers are facing various difficulties towards production, storage, transportation, market trends, exporting their produce, wholesale trading, and also while retail selling, end-use of product, getting less value addition, improper processing, cold storage, consumption and export, in intra-State and inter-State trade.

For this, farmers may be guaranteed Minimum Support Price, MSP, for all agricultural products. To take care of inflation and to take care of losses due to natural calamities, the rates may be revised depending on the situation. Their interests must be protected at any given situation and it must be guaranteed by the Government as an entitlement for all farmers.

(1805/SM/MK)

I request the Government to give full social security to the farmers especially small and marginal farmers having land up to four acres, who constitute 90 per cent of the farmers; farmers having five to seven acres of land constitute six to seven per cent of farmers in our country; and medium level farmers are only about 5 per cent having about five acres of land constituting seven per cent of farmers by continuing the existing facilities and improving the overall welfare of the farmers.

It is a fact that real farmers are spending money for production but the Minimum Support Price is low for almost all the seasonal crops. Farmers are producing 100-plus types of agricultural products whereas they are ensured Minimum Support Price only for 14 products, which is not even ten per cent.

I hope that the Government will consider implementing the MS Swaminathan Committee recommendations in toto to realise the goal of doubling the income of farmers by 2022.

Farmers need to be paid on the same day at the field level itself and need to be educated through group levels, that is, at the village and cluster levels. Due to ignorance of the farmers, the traders are benefiting more by misusing the existing laws. This needs to be stopped immediately.

The present changes in the Bill must not dilute the existing facilities which farmers are getting now. The Government must define the meaning of farmer properly.

Moreover, the aim of the Bill should be to protect the interests of the small real farmers and establish commodity boards for each crop with teams of 50 per cent of farmers, agri-scientists, agri-departments, marketers, traders etc.

I am proud to say on the floor of the House that our Telangana State, under the dynamic and able leadership of our hon. Chief Minister, Shri Kalvakuntla Chandrashekhar Rao Garu is implementing 'Rythu Bandhu Scheme which is also called as Farmers' Investment Support Scheme of Rs. 10,000/- per acre, per annum to each farmer for two crops before the sowing season. It has got applause among the farmers and got the attention of the nation. Therefore, all the agricultural products must be put online such as the production of each item in each area.

Though e-NAM portal has been working, it is not effective and not helpful to small and marginal farmers and it is evident that traders and agents are taking undue advantage and need to plug loopholes and we have to learn the defects in the implementation of e-NAM …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please conclude.

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): No doubt, not only me but the entire House will agree that agricultural market reforms are the need of the hour to benefit all the small and marginal farmers having about 95 per cent of the total farmers in our country and their overall interests must be protected with the aim of this Bill.

With these words, I would like to conclude my speech. Thank you.

(ends)

1808 बजे

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान, खास तौर से कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, जैसे अभी आपने कहा कि किसान मंडी के लिए बाध्य है। हमें नजर नहीं आता कि इस वक्त कहीं भी किसान मंडी के लिए बाध्य है। उत्तर प्रदेश में मुराबाद से लेकर हापुड़, गाजियाबाद, अमरोहा से प्रतिदिन सब्जी दिल्ली में जाती है। मुरादाबाद का किसान काशीपुर में जाकर अपना गेहूँ बेचता है और करनाल में जाकर अपना धान बेचता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर क्यों दिया गया? किसान के बारे में कहा जाता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमनें किसान की आय दुगनी कर दी है, यह सुनते-सुनते हमें बहुत दिन हो गए। पिछले बजट सत्र में हमने सुना था कि किसान की थाली सस्ती हो गई, गरीब आदमी की थाली सस्ती हो गई। मैं आपसे और पूरे सदन से पूछना चाहता हूं कि थाली के अंदर प्रोड्यूस किसका होता है? सब किसान का होता है। जब किसान का प्रोडक्शन इतना सस्ता हो गया है तो आय दुगनी कैसे हो गई? क्या यह भी एक जुमला है?

(1810/YSH/AK)

आपने प्राइस के लिए कुछ नहीं किया है। आपने कॉर्पोरेट के हाथों में किसान का प्रॉड्यूस दे दिया है। वह अनलिमिटेड स्टॉक कर सकता है। अगर वह फसल का स्टॉक करता है तो उस समय जो गरीब आदमी 20 रुपये किलो आटा खरीदता है, 6 महीने बाद वही कॉर्पोरेट उसको 50 रुपये किलो का आटा खरीदने के लिए मजबूर करेगा। यह वही शेयर सिस्टम हो जाएगा। वही सट्टाबाजार हो जाएगा। किसान के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। खासतौर से गरीब आदमी पर कितना भारी बोझ पड़ेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी बाते हुई हैं। आपने अपनी पीठ भी थपथपाई है, लेकिन किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? अभी महुआ में, बांदा में, झाँसी में कितने ही किसानों ने आत्महत्या की है तो आखिर आप उनकी भी तो वजह देखिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसान की लागत को कम करने की कोशिश कीजिए। आपने डीजल के दाम पांच महीने में 15 से 20 रुपये तक बढ़ा दिए। खाद के दाम बढ़ा दिए। आपने लागत कम नहीं की है। किसान जितना भी प्रॉड्यूस करता है, उसकी कीमतें कम हो रही हैं। अभी बताया गया कि कटाई की मशीनें सभी क्षेत्रों में गई हैं तो इसका इस बिल से क्या लेना-देना है? जिस समय कटाई हो रही थी, उस समय लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई थीं, नहीं तो पंजाब की मशीनें, हरियाणा की मशीनें उत्तर प्रदेश में कटाई करती हैं। इसका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त हैं कि कम से कम एमएसपी के ऊपर, हालांकि आपने एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया है तो आज किसान जितना भी एमएसपी दे रहे हैं, हम सरकार को लेवी भी देते हैं, उसमें किसान सरकार को सिर्फ 20 परसेंट देता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 20 रुपये में लेबर को लिया जा रहा है, जबकि उसके लिए पांच रुपये निर्धारित है। एक किलो भट्टा 50 किलो के बोरे के ऊपर काटा जा रहा है। आप उस एमएसपी को कंट्रोल कीजिए। किसान का इतना पैसा वैसे ही फालतू में जा रहा है। इसलिए, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इसमें कॉर्पोरेट को मत डालिए। अगर ये लोग आ गए तो किसान और आम जनता की क्या हालत होगी। फसल जिस समय निकल जाएगी और दो-चार महीने निकल जाएंगे तो उस समय वे अपनी मर्जी से इनके भाव को तय करेंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश है कि किसान की आय तो आप बढ़ाए लेकिन किसान की लागत को कम करने की कोशिश की जाए। लागत कम होने के बाद ही हम किसान को समृद्ध मान सकते हैं और जब किसान समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं।

(इति)

(p. 288A)

1813 hours

*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Honourable Chairman Sir, I would like to thank Hon'ble Sharad Pawar ji that he has given me an opportunity to speak on the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 on behalf of my party NCP. Hon'ble Pawar ji had given a loan waiver of Rs. 75000 crore to the farmers of this country. He had also made necessary changes in the import-export policy for the benefits of common farmers. Long ago, 'Milo' was imported to feed the masses of this country. But he contributed a lot to make this country self-reliant in the food sector.

We had tried our best for many years to support the farmers who form around 60-70% of the total population of this country and help them to progress. The Department of marketing was created by Maharashtra Government for the first time in this country. The Government of Maharashtra had also started a new scheme of assured purchase for the cotton growing farmers of Maharashtra. Today, we top in the export of agricultural produce like wheat, rice, and sugar but nowadays the policy of export is being changed. This Government has banned the export of onions and due to this decision, the farmers have landed in trouble. Lasalgaon onion market is the largest in the world and the Government is trying to control the APMC there through the backdoor. Whether it is Pune district APMC or Sangli district APMC, they are trying to interfere indirectly. Farmers used to get higher MSP for their produce during the period, 2004-2014 when Hon'ble Sharad Pawar ji was Union Agriculture Minister.

Now, you are transferring all the powers to the corporate and capitalists and hence we are doubtful whether the famers of this country are going to get remunerative prices for their produce or not. The Government of Shri Uddhavji Thackeray under the guidance of Shri Sharad ji Pawar in Maharashtra has given a relief of Rs. 40,000 crore to the farmers even in the time of this Coronavirus crisis.

----

*Original in Marathi.

(p. 288B)

This Government is busy only with petty politics in APMCs. Under this new law, APMCs cannot protect the farmers if the traders purchase agriculture produce from the farmers at cheaper rates.

There is nothing new if you say that the farmer would be free to sell his produces anywhere in the world. It would be better if this Government could provide any kind of monetary relief to the farmers in this situation.

Hence, I would like to request this Government to lift the ban on the export of onions. The onion containers worth lakhs of rupees are waiting for clearance at JNPT which is in my Raigad district. This Government should focus on the real issues of farmers like MSP for agriculture produce and protection and insurance of their crops. But we are very skeptical about this Bill as to whether it would protect their interests. I conclude with these words.

Jai Hind Jai Maharashtra, Jai Kisan.

(ends)

(p. 289A)

(1815/RPS/SPR)

1817 hours

*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): Hon'ble Chairman Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on the Bill pertaining to the farmers. I vehemently oppose these two Bills. Sir, the Coronavirus pandemic is raging throughout the world these days. The farmers are the providers of food grains for millions of people. Eighty crore people utilised the food grains grown by the farmers by the dint of their sweat and blood. Today, these three Bills will kill the farmer although he may save himself from COVID-19 pandemic.

Sir, the farmer organisations are protesting angrily on the roads. Sir, about a hundred years ago, Mahatma Gandhiji had launched Champaran Satyagrah in Bihar. Those who worship Nathuram Godse know this fact. Their party had not participated in the freedom struggle. The indigo farmers were being exploited by big industrialists in connivance with the British. Mahatma Gandhi ji launched an agitation to save the indigo farmers.

Sir, the farmers who were 80% of the population, participated in the freedom struggle. They later on ushered in the Green Revolution and fed millions of people by growing ample food grains. They filled the granaries of the country. Before 1947, they had dreamt about an India where they would get their dues. Today, in the name of agreement, the Central Government is going to cheat the farmers. This is what the BJP government is doing. I strongly oppose these Bills.

In 1970-71, the money for labour was Rs.3/- or Rs.4/-. Now it is Rs.300/- or Rs.400/-. It is a 100-fold increase. At that time, bureaucrats were getting Rs.150/-. Now, they are getting Rs.26,000/-. It is 175% increase. Gold was Rs.200/- at that time. Now it has touched the rate of Rs.50,000/-. It is an exponential increase. The farmer was earlier selling wheat at Rs.175/- and he now sells it at Rs.1900/-. This is a mere 25% increase in prices.

Sir, the sons of these farmers work as soldiers in the army and protect us from enemies at the border. But, you are now going to sell the interest of farmers to the MNCs and corporates. The sons of the farmers are sacrificing their lives at the border for the sake of this country. So, the voice of farmers must be heard. The farmers are mostly illiterate. They have to take loans to marry off their daughters or to purchase tractors. They purchase the implements of agriculture by taking loans. They cannot compete with MNCs and big corporates. Vijay Mallya, Lalit Modi, Sanjay Bhandari and others of their ilk ran away under the Centre's tutelage by cheating the banks of crores of rupees. Such people should not control the fate of farmers.

----

*Original in Punjabi

(p. 289B)

Hon'ble Speaker Sir, kindly grant me two minutes more. Today, Badal Sahib is shedding crocodile tears. He has the guts to talk about farmers. His family runs a fleet of thousands of buses. They have huge portions of land. They run 5-star hotels. It does not behove them to talk about poor and hapless farmers. Farmers will not sign the agreements. They want to indulge in politics over the dead bodies of farmers.

Sir, kindly grant me two minutes more. The farmers are agitating on the roads. Sir, due to the cultivation of lakhs of tonnes of paddy for the country, our groundwater table has drastically gone down. The farmers are facing a bleak future due to the 15 lakh tubewells that they had to install for providing more paddy for the country since we have conflicts with Haryana on the water issue. The NITI Ayog people make unilateral decisions.

We don't need your subsidies on electricity. The farmers cannot pay the electricity bill as they are neck deep in debt. The Badal Government in Punjab had signed agreements with private companies. Electricity agreements were signed. We are condemned to purchase electricity at a higher price till today.

Similar is the case of exploitation as far as sugarcane mill owners are concerned. The farmers are given very less rates. For years together, even that payment is not made to the hapless farmers.

This Bill will ruin the farmers. No State will have any say once these Bills become laws. We have been meted out step-motherly treatment on the river-water sharing issue. Now, the Centre has brought these Bills to ruin the farmers.

Let me say something regarding Capt. Amarinder Singh, the CM of Punjab.

HON. CHAIRPERSON: Please wind up. Its a long list.

SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR) : Sir, I am concluding. The condition of farmers of Gujarat is also bad. The growth rate of agriculture has risen from 2% to only 2.5% since 2004. You have imposed GST on agricultural implements. Farmers are not getting fertilizers. What will they do?

You should come up with answers to these questions. You want to impose unilateral decisions on farmers. You do not want to talk to them. Captain Amarinder Singh waived off the loans of farmers worth thousands of crores of rupees.

Let me conclude. There is paucity of time. When private markets will come into existence and agreements will be signed, there will be no MSP. States that do not give MSP are the States where you should do your experiments. The loans of farmers should be waived off. MSP should be included in these Bills. The Swaminathan Report should be implemented in toto. I condemn this bill and oppose it tooth and nail.

(ends)

(1820/IND/UB)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप बैठ जाएं। यदि कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द होगा, तो उसे प्रोसीडिंग से हटा दिया जाएगा।

1824 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति जी, आज दो बिल आ रहे हैं। एक - The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 और दूसरा बिल – The Farmers (Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020.

(1825/RAJ/KMR)

यह सदन किसानों की चर्चा हमेशा करता रहा है। किसानों की उपज का उचित मूल्य उनको मिले, किसानों को उनकी मेहनत का लाभप्रद मूल्य मिले, हमेशा किसानों की उपज की सुरक्षा हो, किसानों का सशक्तीकरण किया जाए, किसानों को एम्पावर किया जाए। मैं मानता हूं कि सदन में चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों या हमारे प्रतिपक्ष के साथी बैठे हों, सभी लोग लोग चुन कर आते हैं और सबकी जवाबदेही किसानों के प्रति है। सभी दलों की सरकारें बनी हैं। सभी ने समय-समय पर किसानों के सशक्तीकरण की बात की, तो जनता ने उस पर विश्वास किया, किसानों की सुरक्षा की बात की तो जनता ने विश्वास किया। किसानों की उपज, किसानों की खेती जो आज अलाभप्रद हो रही है, उसको लाभप्रद करने की निश्चित तौर से जिम्मेदारी की बात उन्होंने कही होगी। देश की आजादी के समय देश की जीडीपी में कृषि का 45 प्रतिशत योगदान था, आज वह घटते-घटते 17-18 प्रतिशत रह गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम इस सदन में चर्चा करते रहे, हमेशा किसानों के हितों की बात करते रहे, किसानों को और मजबूत बनाने, एम्पावर करने, उनकी उपज की सुरक्षा और खरीद की बात करते रहे हैं, लेकिन उनके लिए कभी कदम नहीं उठाए गए। कभी किसी सरकार ने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए कदम नहीं उठाए। वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, उन्होंने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए कदम उठाए। आखिर इसको लाने की क्या जरूरत थी? **आज किसानों के** लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक आए हैं, तो इसका कारण क्या है, इसका केवल एक कारण है कि जिस तरह से वर्ष 1946 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, तो उसके लिए रोटी ही भगवान है। इसी कथन को हमारी सरकार ने एक मार्गदर्शी सिद्धांत माना है। इसको मार्गदर्शी सिंद्धांत मान कर अगर आज हम उन किसानों को एम्पावर करके उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने जा रहे हैं तो कोई कह रहा है कि काला कानून है, कोई कह रहा है कि ड्रैकोनियन कानून है, कोई कह रहा है कि आज के दिन ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आज इस विधेयक के पारित होने के बाद, इस देश के किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी का दिन है। आज यह निश्चित तौर से इस बात का गवाह बनेगा। मैं तर्क के साथ कहना चाहता हूं कि इन विधेयकों में क्या है? जब माननीय मंत्री जी ने बिल इंट्रोड्यूस किया तो तोमर जी ने कहा कि लगातार सड़कों पर विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री, पंजाब कह रहे हैं कि यहां धरना नहीं करिए, दिल्ली चलिए। आज एक चुनी हुई सरकार, देश की एक सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए उकसा रही है। यह किसानों का आंदोलन नहीं है। निश्चित तौर से यह साफ हो गया है कि यह आंदोलन कांग्रेस चलाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं और उस दिन भी कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगा और मंडिया रहेंगी। आज मंडियों में किसान अपनी उपज को ले जाते हैं और वे कुछ लोगों के बीच में बिक्री करते हैं। वहां उनको बेचने

के लिए बाध्य होना पड़ता है या बिचौलियों से बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भविष्य में वह मिनिमम प्राइस भी जारी रहेगा, इस बात को माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा है। अगर उन्होंने सदन में कहा है कि मंडिया और एमएसपी भी रहेंगी तो फिर इसके बाद विरोध क्यों हो रहा है? अब उन किसानों को जो केवल मंडियों के किसी परिसर तक अपनी उपज को बेचने के लिए बाध्य थे, अब देश का किसान उन मंडियों से बाहर प्रतिस्पर्द्धा में भारत के किसी भी बाजार में जहां उनको अधिक मूल्य मिल रहा है, वहां वे बेचने के लिए आजाद हैं। आज किसान के दिवस की यही आजादी है। आज वे अपनी उपज को दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं। कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। अगर किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य मिल रहा है, तो इससे आज उनको प्रसन्नता होनी चाहिए। मंडियों में जाने पर उन पर अधिभार भी लगता था, उस पर लेवी भी लगती थी। आज जब किसान अपनी उपज बाहर बेचेंगे, तो न उन पर सेस लगेगा और न ही लेवी लगेगी, तो निश्चित तौर से आज किसानों के लिए स्वतंत्रता का दिन है। उन मंडियों और एपीएमसी से बाहर उनके लिए प्रतिस्पर्द्धा रहेगी, जहां बहुत सारे बायर्स रहेंगे। उन बायर्स के सामने किसान अपना लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। निश्चित तौर से बिचौलियों का भी खात्मा होगा। व्यापार क्षेत्र में भी किसानों को उनको आजादी का एक विकल्प मिलेगा।

(1830/SKS/SNT)

आज भी इस सदन में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का उल्लेख हुआ है। लगातार स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट की बात हो रही है। वर्ष 2004 में तत्कालीन सरकार ने एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। हरित क्रांति के जनक और एक कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस स्वामीनाथन जी को उस राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉ. स्वामीनाथन 18 नवंबर, 2004 में अध्यक्ष बने थे और उसके बाद उन्होंने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। उस रिपोर्ट में पांच महत्वपूर्ण बिंदु थे। मैं उन सब पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स की बात करूंगा। इन रिपोर्ट्स के अनुसार यह था कि फसलों के मूल्य का निर्धारण कम से कम उनके उत्पादन लागत मूल्य का डेढ़ गुना मिलना चाहिए और कर्जा नीति पर जिस नाते किसान के समक्ष आती है, उस पर मिलना चाहिए। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि डॉ. स्वामीनाथन जी की जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया जा रहा है, वह रिपोर्ट वर्ष 2006 से वर्ष 2014 तक ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी हुई थी? आखिर स्वामीनाथन जी ने देश के किसानों के उत्पादन का मूल्य डेढ़ गुना देने की बात कही थी, उनकी खरीद की बात कही थी, उस पर वर्ष 2006 से वर्ष 2014 तक रहने वाली सरकारों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया था?

जब श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2014 में पहली बार देश के प्रधान मंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा कि अब किसानों को उनके उत्पादन का डेढ़ गुना मूल्य मिलेगा। डॉ. स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट की यह बात पहली बार हमारे प्रधान मंत्री जी ने कही थी। यह स्वाभाविक है कि पिछले 70 वर्षों में सरकारी नौकरियों में आमदनी 150 गुना बढ़ गई है और किसानों की केवल 21 प्रतिशत आमदनी बढ़ी है, तो इसका कारण रहा है? उस कारण के नाते मैं समझता हूं और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज इस विधेयक को लाए जाने का क्या प्रयोजन है? किसान आज भी प्रकृति पर निर्भर है। आज भी देश

का करीब 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार एग्रीकल्चर पर निर्भर है। आज भी 50 प्रतिशत कृषक मजदूर हैं। 82 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं। देश की 68 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि आज भी मार्जिनल किसानों के पास है, जिनके पास केवल एक हेक्टेयर भूमि है। केवल 18 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होगी। आज इसके बावजूद आखिर ये स्थिति क्यों है? यह स्वाभाविक है कि अगर हमारे परिवार में बंटवारा होता जा रहा है और फिर उसके बाद बंटवारा होता जा रहा है, तो 20 बीघा जमीन थी, 4 भाई थे, 5-5 बीघा जमीन बंट गई। फिर दो भाई हुए और फिर जमीन बंट गई, तो आज स्मॉल होल्डिंग होती जा रही है। गांवों में छोटी-छोटी जोत हो रही है। आज भी किसान प्रकृति पर निर्भर है। वह आज भी बारिश पर निर्भर है। उत्पादन में अनिश्चितता है और बाजार के भाव में उतार-चढ़ाव अप्रत्याशित है। इसीलिए आज लोगों की खेती से रुचि घटती जा रही है। आज किसानों का खेती करने का मन नहीं है। तमाम नौजवान एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद भी कहीं पर छोटी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, वे खेती नहीं करना चाहते हैं।

महोदय, मैं आज यह कहता हूं कि निश्चित तौर से इन दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद गांवों से जो पलायन हो रहा था, आज गांवों से निकलकर लोग नौकरी करने के लिए शहरों में जा रहे हैं। वे अब शहरों से लौटकर खेती की तरफ जाएंगे, क्योंकि खेती लाभप्रद होगी। मैं यह आपसे कहना चाहता हूं। क्या इस विधेयक का कम महत्व है? इस विधेयक के पारित होने के बाद निश्चित रूप से उत्पादकता अधिक बढ़ेगी। मैं बताऊंगा कि कैसे अधिक उत्पादकता बढ़ेगी। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन होगा। मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कहता जा रहा हूं। उत्पादन का मॉनिटाइज़ेशन होगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। नेशनल लेवल पर निश्चित तौर से फार्मिंग एग्रीमेंट के लिए भी एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनेगा। किसान को लीगल स्टेट स्पॉन्सर के साथ रजिस्टर्ड करेगा, तो निश्चित तौर पर किसानों का सशक्तिकरण होगा और वह सुरक्षित होगा। किसान को अपने व्यवसाय के लिए चाहे वह फार्म हो, प्रोसेसर हो, एग्रीगेटर्स हों या होल्सेलर्स हों, इस पर मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि स्पॉन्सर्स कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी। कांग्रेस के सदस्य ने कहा है कि 15 सालों के लिए भूमि ले ली जाएगी और पहले साल उन्हें 10 लाख रुपये दे दिए जाएंगे। ऐसा लगता है कि वह बिना विधेयक पढ़े हुए ही इस सदन में बोल रहे हैं। इस विधेयक में यह स्पष्ट है कि किसान के साथ जो भी स्पॉन्सर होगा, जो खेती का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, चाहे वह किसी इंडिविज़ुअल से करे, या पार्टनरशिप फंड्स के साथ करे, या फिर किसी कंपनी के साथ करे, या लिमिटेड लायबिलिटीज़ ग्रुप के साथ करे, या फिर सोसाइटी के साथ करे, यह समझौता केवल एक सीज़न की फसल के लिए होगा।

(1835/VB/GM)

तो वह जो करेगा, उस स्पांसरशिप के साथ केवल एक सीज़न के क्रॉप के लिए समझौता होगा। कहाँ 15 साल है? इस विधेयक में दिया गया है कि केवल एक सीज़न के क्रॉप के लिए होगा, नहीं तो दूसरा होगा, one production cycle of livestock या यह मैक्सिमम पाँच साल के लिए हो सकता है। यह न दस साल के लिए हो रहा है, न 15 साल के लिए। किसान स्वतंत्र है। मैं देश को कहना चाहता हूँ, सदन में जिसका उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया, आखिर किसान, जो अपनी

पीस ऑफ लैंड किसी स्पांसर को देगा, खेती के लिए, फार्मिंग के लिए किसी इंडिविजुअल से समझौता करेगा, चाहे किसी कम्पनी के साथ या किसी अन्य के साथ, तो जिस समय वह कर लेगा, उत्पाद होने के बाद समझौता नहीं होगा। उसका मूल्य सोइंग के पहले, उपज होने के पहले ही, म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसान जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि हम इतना दाम लेंगे और जिस समय बुआई होगी, उससे पहले एग्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद जब उत्पाद होगा, तो उसी मूल्य पर उस स्पांसर को खरीदना होगा। हमारे किसानों को यह सुरक्षा दी जा रही है। इसलिए इसमें रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। आज किसान का रिस्क स्पांसर पर, उस कम्पनी पर, उस सोसायटी पर, उस फर्म पर ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए निश्चित तौर से, मैं तो कहता हूँ कि वाकई आज का दिन अगर श्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो जहाँ सदन ने बधाई दी है, स्पीकर साहब या आपने दी है, आज का दिन इस विधेयक के पारित होने के बाद आने वाले दिनों में किसान इसको किसान सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाएगा और हमेशा इस बात के लिए याद करेगा।

इसमें साफ है, आप विधेयक पढ़ लीजिए। मैं विपक्ष से अनुरोध करूँगा, किसानों की चिन्ता आपको भी है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, हम सभी लोग किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग किसान हैं, खेती से संबंध रखते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कहीं नहीं लें, कल्याण बनर्जी साहब ने लेजिस्लिेटिव कांपिटेसी का सवाल उठाया और हमारे बिट्टू साहब ने भी उठाया, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट होगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी स्टेट गवर्नमेंट को ही करना होगा। वह स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन करेगी, इसलिए ऐसा नहीं है कि वह करेगा और भाग जाएगा, हम कहाँ से पैसे लेंगे, किसान कहाँ खोजेगा। जिसके साथ एग्रीमेंट होगा, वह स्टेट के डोमेन में होगा। स्टेट उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होगा, तो कहीं पर उसकी बाध्यता होगी। जो एग्रीमेंट होगा, वह परस्पर सहमति से समझौता होगा। आज तक इस सदन में कभी कोई ऐसा कानून बना था? कृषि के उत्पाद की बात तो होती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात तो होती थी, लेकिन अभी तक फार्म सर्विसेज की बात कभी नहीं हुई। आदरणीय तोमर जी को मैं बधाई दूँगा, मैं अपनी सरकार को बधाई दूँगा, हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद, जो इससे पहले होना चाहिए था, आज़ादी के इतने सालों बाद आज फार्म सर्विसेज की बात हो रही है। यह फार्म सर्विसेज है क्या? आपने विधेयक पढ़ा होगा। फार्म सर्विसेज का तात्पर्य यह है कि उस किसान का, जिससे एग्रीमेंट करेंगे, उसको सीड की सप्लाई करेंगे। आज किसान अच्छे और उन्नतशील बीज लेने के लिए शहरों में भटकता है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यूरिया, एनपीके, एग्रो-केमिकल्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एडवाइस के लिए, उनको कितनी दिक्कतें होती हैं, मैं कहाँ तक कहूँ। आखिर इन चीजों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। फार्म सर्विसेज में जो उसका स्पांसर है, वह उसको अच्छे उन्नतशील बीज देगा क्योंकि वह भी चाहेगा कि जब हमने इस जमीन पर कांट्रैक्ट किया है, तो उसके बाद निश्चित तौर से इस पर अच्छी उत्पाद हो, अच्छा सीड तैयार हो, जिससे न केवल हम उसको इस देश में बेचें, बल्कि दुनिया की प्रतिस्पर्धा में बेच सकें।

आप जीडीपी की चिन्ता कर रहे हैं। हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए हैं, उसी की देन है कि वर्ष 2020 की जो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, आज पूरी दुनिया कोरोना की वैश्विक चुनौती से जूझ रही है। निश्चित रूप से जीडीपी घटी है, लेकिन आज मैं भारत के किसानों को बधाई देता हूँ कि 3.4 परसेंट की वृद्धि कृषि क्षेत्र में हुई है, जिसका श्रेय इस देश के किसानों को जा रहा है।

(1840/PC/RK)

आप कह रहे हैं कि यह किसानों के लिए काला दिन होगा? जिस समय लॉकडाउन था, दुनिया अपनी जान के लिए चिंतित थी। दुनिया के तमाम मुल्क परेशान थे, ब्रेड-बटर के लिए लोग सड़कों पर आ रहे थे, उस समय 80 करोड़ लोगों से भारत के प्रधान मंत्री ने कहा कि हम तीन महीने के लिए पांच किलो गेहूं, चावल प्रति यूनिट देंगे। अगर सात लोग हैं तो 35 किलो देंगे, एक किलो दाल देंगे, फिर तीन महीने बाद उसको तीन महीने के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। 46 हजार करोड़ रुपये का खाद्यान हमने इस लॉकडाउन में देश के जरूरतमंदों को दिया है, तो निश्चित तौर पर क्या हमें इस बात की चिंता नहीं थी? …(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): अब आप प्लीज़ अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): साहब, रुक जाइए। हमारा समय आधे घंटे का है। …(व्यवधान) हमारी पार्टी का समय दो घंटे का है। …(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों के लिए जो बात कही जा रही है, निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज दिया था, उसमें कृषि के लिए जो 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का एलान किया गया है, मैं केवल उसका उल्लेख कर देता हूं। कृषि क्षेत्र में उपज के भंडारण के लिए, स्टोरेज के बुनियादे ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। अगर आज हमारे पास भंडारण नहीं होता तो क्या होता? अगर एक साल के लिए भी कोई कठिनाई होगी तो हमारे खाद्यान के गोदाम भरे हैं, हमारे देश की जनता भूखी नहीं रहेगी। वैल्यु एडिशन के लिए भी काम किया गया। आज उस वैल्यु एडिशन के लिए प्राइमरी कॉपेरेटिव सोसायटी हैं। यह कहा गया कि इससे किसानों का शोषण होगा। अरे आज हम जो यह आधारभूत ढांचा एक लाख करोड़ रुपये से बनाने जा रहे हैं, इसमें से हम प्राइमरी कॉपेरेटिव सोसायटी को देंगे, स्टार्ट-अप को देंगे और जो हमारा फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज़ेशन – एफपीओ है, जो इस समय देश में छ: हजार है, मैं तोमर जी, आपको बधाई दूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि आप दस हजार और किसान उत्पादक संघ बनाने जा रहे हैं। इससे बड़ी किसानों के संगठन के लिए क्या तैयारी होगी कि उनके उत्पाद की गारंटी और सुरक्षा होगी। हमने दस हजार करोड़ रुपये माइक्रो फूड एंटरप्राइज़ेज़ के लिए दिए हैं। इसमें चाहे बिहार का मखाना हो, केरल का रागी हो, कश्मीर का केसर हो, आंध प्रदेश की मिर्च हो, यूपी का आम हो, इन सबको बढ़ाने के लिए माइक्रो फूड फ्रंट पर हमारी सरकार ने इस कोरोना के लिए दस हजार करोड़ रुपये दिए हैं। हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस कोरोना काल में 20 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए 12 हजार करोड़ रुपये और हमारे नौ हजार करोड़ रुपये मछली पालन में लगे हुए हैं।

हम समझते हैं कि जब तक देश पशुपालन में मजबूत नहीं होगा, तब तक किसान मजबूत नहीं होगा। ऐसे ही राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण के लिए 13,342 करोड़ रुपये दिए हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हमने 15 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। इसी तरीके से हर्बल, जिसकी पूरी दुनिया में मांग है, आज उन हर्बल पौधों के लिए हमने चार हजार करोड़ रुपये दिए हैं। दस लाख हैक्टेयर में हर्बल का प्रोडक्शन हो रहा है। मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपये दिए हैं। ऑपरेशन ग्रीन, जिसके तहत टमाटर, प्याज और आलू आते थे, उसके विस्तार के लिए प्रावधान किया है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: पाल साहब, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सर, दो-चार मिनट और दे दीजिए। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात तो सुन लीजिए। वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है तो किसको है?

हमारे अधिवक्तागण अगर भारत के संविधान के बारे में जानते हैं तो वे जानते होंगे कि उसमें तीन सूचियां हैं – संघ की सूची है, स्टेट की सूची है और कॉन्करेंट लिस्ट है तो निश्चित तौर पर संघ की सूची में संघ को कानून बनाने का अधिकार है, स्टेट सूची के तहत स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को बनाने का अधिकार है। जो लोग कह रहे हैं कि कृषि एंट्री – 14 में है, जिसमें स्टेट को कृषि के लिए, एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए, शोध के लिए और फसलों की सुरक्षा के लिए लॉज़ बनाने हैं, लेकिन उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए कानून नहीं बना सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह कॉन्करेंट लिस्ट है। भारत के संविधान के शेड्यूल-7 की लिस्ट-3 को देख लीजिए, उसमें जो एंट्री-7 है, एंट्री-33 है, ये जिस एंट्री-14 की बात कर रहे हैं, जिस स्टेट लिस्ट की एंट्री-26 की बात कर रहे हैं, अगर कोई बात होगी तो संघ की, उस कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री-33 स्टेट्स पर बाइंडिंग होगी। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सर, दो मिनट और दे दीजिए। …(व्यवधान) हमारा टाइम अभी रहता है। …(व्यवधान) मैं केवल महत्वपूर्ण बातों का ही आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। …(व्यवधान) अत: निश्चित तौर से इस विषय पर हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है। यह कानून देश के किसानों के लिए लाया जा रहा है।

माननीय सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सर, मैं एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। …(व्यवधान) मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से क्या रिफॉर्म्स हुए। आज प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि का रिफॉर्म हुआ, जिसमें हमने दो सालों में 90 हजार करोड़ रुपये दिए। आज पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत हम इरीगेशन सप्लाई चेन बना रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' हो रहा है, पीएम फसल बीमा योजना है, पीएम सम्मान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। …(व्यवधान) पहली बार प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जैसे आदमी को अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, वैसे ही सॉयल को भी अच्छी हैल्थ की ज़रूरत है। …(व्यवधान) जब तक हम सॉयल हैल्थ की चिंता नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी यील्ड कैसे बढ़ाएंगे? …(व्यवधान)

(1845/SPS/PS)

मैं केवल रिफॉर्म का उल्लेख कर रहा हूं, बस एक मिनट दे दीजिए। सभापति जी, आप तो बहुत दयालू और कृपालू हैं। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड प्रोक्योरमेंट, फूड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर है। मैं एक बात कह देता हूं कि जो ई-नाम की बात कही है, it was launched in April, 2016. आज इसमें हमारे 16.6 मिलियन फार्मर्स जुड़ गए हैं।

(इति)

1846 hours

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. This Bill is very much affecting the interests of the farmers. This Bill is being brought under the cover of impact of Coronavirus. This Bill invites the farmers to compete in the market along with the Corporates. Regulatory organizations cannot benefit our farmers. Local businessmen and commission agents will only be benefitted by this Bill. This Bill talks at length about farm agreement. If the agreement is violated, there cannot be any legal remedy. Clause 19 of the Bill talks about bar on jurisdiction of Civil Court. This Clause should be removed. Farmers will be the most affected lot. Agricultural inputs can never be treated at par with services. Clause 2 of the Bill says that farm services include agricultural inputs. There should not be any differentiation between farming agreement and trade and commerce agreement. Clauses 2(h) and 2(h) (i) makes this differentiation. There is no need of the term production agreement. The definition about farmer in the Farmer Producer Organization should not have been provided. This Bill should not have been kept outside the purview of Essential Commodities Act and other Acts. The Government should have ensured that the prices of the agricultural produce should have been linked with the Minimum Support Price. The Government should have ensured that the farmers get at least some remunerative price for their produce at least above this MSP. As you have not done what is needed, I reject this Bill. I also urge upon this august House to reject this Bill.

Thank you.

(ends)

----

* Original in Tamil.

(pp. 297A)

1848 hours

*SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank our Revered Leader Thalapathi Thiru M.K. Stalin for this opportunity to speak on this Bill. You claim in this Bill that farmers can take their farm produce to any place and sell them directly anywhere. But our Leader Dr. Kalaignar envisaged a visionary scheme better than this Scheme 20 years ago in Tamil Nadu. On 14.11.1999 our Revered Leader Dr. Kalaignar inaugurated the *Uzhavar Santhai*, Farmers' Market Scheme in Tamil Nadu with a foresighted vision. During the rule of Our Leader Dr. Kalaignar, 179 such Farmers' Markets (*Uzhavar Santhai*) were started in Tamil Nadu lighting the lamp in the lives of our small and marginal farmers. Even 20 years earlier, Our Leader Dr. Kalaignar brought a visionary scheme for the benefit of our small and marginal farmers who form the majority in our country. But this Bill is not showing even a little interest in the welfare of small and medium farmers.

You claim in this Bill that farmers can take their farm produce to any place and sell them directly anywhere. The stark reality is something else. In my Tenkasi parliamentary constituency, there are two districts namely Tenkasi and Virudhunagar. Coconut cultivation is done in large scale in this area. While procuring coconuts from the farmers of Tenkasi, a trader gets 5 percent of the total amount as commission. But at the same time, this trader while procuring coconut from the farmers of Virudhunagar district, gets 15 percent of the total amount as commission. Even inside one parliamentary constituency, so much of variation exists. Farmers have been agitating for several years asking to address these grievances and fulfil their long pending demands. But this Government has not found any solution to this problem. I wish to register in this august House, in such a scenario, to say that farmers can carry and sell their agricultural produce anywhere in the country seems to be illogical and impractical.

----

*Original in Tamil

(p. 297B)

Moreover, this Bill aims for online transaction and selling of agricultural produce. As 86.2 per cent farmers of the country are small and marginal farmers, they are not having the opportunity or capability to use internet for marketing of such farm produce. Economic condition is not so conducive for them to go for internet facilities. I will say it is difficult to reach as regards the claim to say that payment will be ensured for the produce and for distribution to farmers on the same day or within 3 days. But in the private and cooperative sugar mills there are dues for payment to farmers have been kept pending for more than three years.

This Government is not at all interested in the welfare of the farmers; they are not even making efforts not getting their dues settled for long. If this is the stark reality, how can you expect that farmers can get payment on the same day by selling their produce directly in any part of the country? If the farmers face any problems, it is said in this Bill that they can approach the District Judge for remedy. The small and marginal farmers are already struggling hard to make their ends meet. They do not even have the economic stability to approach the District Judge and make their case heard. MSP being given to several crops are at least benefitting the farmers now. But if this Bill is passed in the present form it will dilute the benefits being given to farmers through MSP. Therefore, this Bill will be only helpful to big farmers and the traders who procure and sell farm goods in larger quantities, it will not be beneficial to the small and marginal farmers of our country who are more than 80 per cent of the farming community. It is said that this Government has a target to double the income of farmers by 2022. The farmers do not want the doubling of their income. They only want their right to fix the price for their agricultural produce.

As concluding remarks, I want to say that before legislating farming related Bills of this kind the Government should have consulted the farmers who are the main stakeholders rather than consulting the officials and politicians. The Government should have asked for suggestions from the farmers while drafting a Bill meant for them. I think this Bill in its present form is aimed only to benefit the big farmers and traders involved in farming produce but not the small and marginal farmers who form the basis and major chunk of our farming economy. I oppose the Bill in its present form.

Thank you.

(ends)

(1850/RC/MM)

1853 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you hon. Chairperson for giving me this opportunity to speak on these important Bills regarding agriculture and farmers.

The earlier provisions that we had have always hindered the freedom of farmers and traders of choice-based marketing and also discouraged private investment in development of alternative markets as also marketing infrastructure in the agrarian sector. This Bill provides a direct link between traders and farmers which just not only increases farmers' income but also reduces the marketing cost and shortens the supply chain which helps curb post-harvest losses to farmers. The farmers will also get the freedom to sell their produce to the traders who will be relieved of the licence raj. So, the agricultural sector can take one step ahead for making it a corruption-free system.

The e-platform will also be encouraged by this system. A dispute resolution mechanism has been set up in case of disputes between the farmers and traders. Most farmers lack access to Government procurement facilities such as the APMC markets. So, small rural markets can also emerge as a viable alternative for agricultural marketing if they are provided with adequate infrastructural facilities which the Bill intends to do by attracting private sector.

As regards these benefits, you should see that there should be a unanimity in the support this Bill gets which is not the case right now. There seems to be some genuine concerns. Not all the opposition can be blamed on politics. There are some genuine concerns also which the Central Government should take into consideration which is what I will stress upon right now.

If you look at the legislative competence of the Parliament, this is an issue regarding agriculture which is a State subject and it comes under Entry 14 of the List 2 and moreover, the subject concerning markets and fairs is also in the State List which is under Entry 28 of List 2.

(1855/SNB/SJN)

Sir, the provisions of the Bill seek to regulate the sale and purchase of agricultural goods and according to the Constitution such a law can only be brought by the State Government as inter-State trade is covered by Entry 26 of

State List. Now, even though it concerns some of the issues relating to inter-State, most of the issues are intra-State. So, the legislative competence has to be looked into if this Bill can be enacted by Parliament or not.

Sir, with regard to the APMC Act, I would like to submit that it is being weakened now. There is a lot of investment, a lot of infrastructure and a lot of administrative machinery already working for the betterment of this similar set up in the States also. So, how is this going to be integrated with the existing system once the provisions of this Bill come into effect? This is something that the Central Government needs to look into.

Apart from this, farmers have other concerns as well, like, they have to go to the banks; they have to go to the commission agents to get their loans to sow crops etc. Those issues also need to be looked into.

The other point that I wish to mention here is that I represent a Parliamentary constituency where we have a large fishermen community. In the fish marketing sector, there are a very large number of fisher women who trade at markets by selling fish door to door and also on the road side. Now they do not have any kind of registration. Even at this time of COVID-19 pandemic, they are facing a lot of trouble doing their daily business. So, most fisher women who are not registered, without any help from society, will not be able to reap the benefits of the provisions of this Bill. This sector is also stressed. After unlocking and re-opening of the fisheries sector, they are facing a disruptive commodity chain. So, I would like to request the Central Government if they could use the power of Section 5(ii) of the Bill to specify rules and allow unregistered traders also to go ahead with their business and give them some time to register themselves. That would be a great help to these traders.

Sir, on the question of Dispute Resolution Mechanism, I would like to submit that much of it has been delegated to the Executive, like the Magistrates and District Collectors. Now, the courts are not being involved in this. This provision would be a partial solution. Apart from trade related disputes, farmers will have other legal battles also which could be land related and others. In these times, I think, it would be better if the Government thinks of setting up Agricultural Tribunals in line with the provision of article 323 (b) of Constitution of India.

Sir, another suggestion would be -- NITI Ayog also has suggested this in its report, `Strategy for New India at 75' which was released by the late Finance

Minister, Arun Jaitley, -- contract farming can lead to mono culture farming which can also lead to loss of crop diversity which is a very serious concern. It is because when you sow the same crop it can be vulnerable and destructive; pests also can lead to crop diseases. So, the new law must find a way to address the additional risk that contract farmers have to confront by ensuring protection to the farms.

Sir, the major concern – across the parties, everyone has mentioned about it – is the MSP. There has been no mention about the MSP in any of the three Bills and this is leading to a confusion. The Government is saying that there is nothing to fear about the MSP. If that is the case, then why do they not make it liable for the private players to ensure that MSP is granted to the farmers? If that is included, then much of the ruckus that is being created will be settled.

With these suggestions, I would like to conclude my speech.

Thank you.

(ends)

1859 hours

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Chairperson, Sir, I speak today in vehement opposition to the Farmers Produce (Trade and Commerce) Promotion and Facilitation Bill, 2020.

Each time I speak in this august House, my hon. Colleagues from the BJP tell me in the Central Hall कि आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन आप इतनी अग्रेसिव क्यों हैं? शांत होइए, शांत होइए। But I have not been elected by the 1.2 million people of Krishnanagar, a predominantly agricultural area to be *shant* while this Government with its brute majority stamps out cooperative federalism from every single aspect of governance.

When I saw the List of Business approved for discussion during this truncated Session, what stands out is that behind every single new Bill or every Bill replacing another Ordinance is the singular sinister motive of this Government to destroy federalism, to undermine the authority of the States, and encroach illegally on every subject included in the State List.

This Bill is particularly dangerous because it seeks to encroach on State autonomy on a sensitive topic like agriculture which is not only the main source of income for a majority of Indians but also feeds this entire nation.

(1900/SRG/GG)

Let me now go into the Bill itself and dissect the most important parts. This Bill is in direct violation of the federal structure of the Constitution, namely Article 246 (3) read with Schedule VII, List II, Items 14, 18, 30 and 45. It squarely puts agriculture, items relating to agricultural land, rents, revenue assessment and collection on the State List. Once again this Government is doing what it does best which is arrogating to itself a constitutional authority it is not vested with.

The second point is that the Bill creates two distinct areas with a single geography. Section 2 (m) of the Bill, the definition of trade area includes all other areas excluding the principal and sub-market yards and market sub yards which are notified under the State APMC Acts and managed by the regulated market committees and private market yards, sub yards, private market consumer yards. Now, there is going to be two areas. One trade area according to this new Bill, and another area comprising of market yards notified under the West Bengal State Act.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): माननीय सदस्या, एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्यों, यदि हाउस की स्वीकृति हो तो इस चर्चा को एक घंटे तक बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ महोदय। …(व्यवधान)

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सर, बिल के समाप्त होने तक बढ़ा दीजिए।

माननीय सभापति: चलिए, अभी एक घंटा बढ़ाते हैं, फिर जैसी आवश्यकता होगी, जैसी आपकी सहमति होगी, वैसा ठीक होगा।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): So, there is going to be two areas. One trade area according to this new Bill and another area comprising of market yards notified under the State Act along with private yards. The current provisions of the State APMC Act define the whole revenue district to be under the jurisdiction of the State. So, if this Bill is defining a new area, it is unnecessarily creating ambiguity among farmers and curtailing the jurisdiction of the State.

The third point is this. Section 5(2) of the Bill empowers the Central Government to specify procedure, norms, code of conduct etc. with respect to electronic trading and transaction. If agriculture is a State subject, then surely trading and transacting cannot be taken over by the Centre.

The fourth point is this and it is the most dangerous. It is a direct assault on the States' revenues. Section 6 of the Bill lays out that no market fee, cess or levy under the State APMC Acts shall now be levied on farmers and traders by the State Government for trading in a trade area as defined in the new Bill. However, under the existing State Acts, this market fee will be payable. So, this is going to lead to a substantial loss to the State exchequer because now any area outside the notified area will *de facto* be treated as a trade area where no State revenue can be realized. One farmer or trader trading in a trade area and another being charged across the road by the State is going to create a ridiculous rural divide.

The fifth point is in relation to ambiguity about price protection. Nowhere in this new Bill has it been explicitly mentioned that the Minimum Support Price mechanism will be respected. The hon. Minister says it will be; well, then explicitly put it in the Bill and do not keep it ambiguous.

There is another very important gap. Nowhere in this new Bill is the requirement for a license mentioned for trading in the trade area. …(*Interruptions*) but as per most State Acts, a trader must have a license issued

by a Regulated market/State Marketing Board for trading in scheduled agricultural commodities. If a State has no control, then farmers are open to unscrupulous, unlicensed traders.

In conclusion, this Bill has absolutely no interest in furthering the cause of farmers or farm traders. It is just another blatant attempt at blanking out federalism. But remember, no amount of ...(*Expunged as ordered by the Chair*)..for ever. So, all these monsters that you are creating by removing constitutional safeguards will come back to bite you. Beware of that day! So, I request the hon. Minister beware of that day and keeping that day in mind, be fearful. Please withdraw this Bill. Thank you.

(ends)

1904 hours.

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

As we all know that agriculture is the backbone of India. However, it is facing a number of challenges. Our BJP Government has taken a number of initiatives to bring reforms in agricultural sector and strengthen the hands of farmers. The main aim of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji is to double the farmers' income and allow them to live with dignity and self-respect. As we know, under the existing laws, there are a number of restrictions in the agricultural marketing system. It is difficult for free flow of agricultural produce from one State to another State.

(1905/RU/KN)

Farmers cannot sell their agricultural produce outside the restricted area. These are one set of problems. On the other hand, there is lack of cold storage centres, insufficient go downs and inadequate infrastructure. All these are causing wastage of a huge quantity of vegetables, fruits and other perishable commodities. For example, if a farmer grows fruits like papaya or mango in a small village, he is unable to sell his produce to the processors in other parts of the country. So, the poor farmer is forced to sell his produce within the restricted area. Considering these practical difficulties, the Government has brought this Ordinance and it is now before us in the form of Farmers' Produce Trade and Commerce Bill, 2020.

The main intention of this Bill is to prevent market monopoly. This Bill creates a nationwide market for our farmers. This Bill makes provisions to expand the market to reach to more and more buyers. It leads to healthy competition among sellers and buyers. This Bill prevents intervention of middle men in agricultural market, and farmers can demand better prices for their produce as they have freedom of selling their produce. It will provide an opportunity to attract investment for agricultural marketing and setting up of cold storage and go downs. Farmers who produce cereals, pulses, oilseeds and marine food items will attract buyers from every nook and corner of the country.

This will give an opportunity to national e-marketing system and help the farmers in cutting down the costs. As the country and the entire world is in the

clutches of Covid-19, it is the need of the hour to unlock the regulated agricultural market to help the farmers.

In the State of Karnataka, the BJP Government has successfully implemented this Ordinance under the leadership of hon. Chief Minister, Shri B.S. Yeddyurappa. I am sure and hopeful that the proposed Bill is for the benefit of the farmers who are the *annadata* for all of us.

On behalf of the people of Karnataka and hon. Members of this august House, I congratulate our hon. Prime Minister, hon. Minister of Agriculture and Farmers' Welfare and also the entire Cabinet for bringing this historic Bill. This is a gift from Shri Narendra Modi to the farmers of this country on his 70^{th} birthday.

With these words, I conclude my speech in support of this Bill.

(ends)

1908 hours

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I oppose this Bill. This Bill which is in the name of farmers is not going to help them at all. It is not going to help them at all. The recent financial package which is in the name of the poor people, the ordinary people, the workers and the unemployed youth helps only the corporates and the wealthy people. This legislation is being passed today. It has become the policy of the ruling Party nowadays to pass every law in the name of the poor, the workers, the labourers, the farmers and all that but ultimately, it helps the corporates, the monied and wealthy people. Like that, this Bill also will finally help the corporates and wealthy people only. That is why, no farmers' organisations are supporting this Bill. Many from that side said that this is for the farmers. If so, at least some people from the agricultural sector should be supporting this Bill but the reality is that nobody is supporting it and everybody is opposing this Bill.

The Central Government is aware that this is the best time to pass such laws which are meant only for big people and corporate bodies. In this epidemic situation and this lock down situation caused by COVID 19, the Government knows that there will not be much opposition for anything and thus, they have found this time to pass this unpopular Bill. This is a black day in the history of the Indian farmers. There is no doubt about it.

(1910/NKL/CS)

Farmers always require support. They demand Minimum Support Price, loan waiver, and to stop import. This has always been their demand. Is there any provision for that in this Bill? Is there any place for such long pending demand of the ordinary farmer? Has it found any place in this Bill? It has not at all. We are talking about free market, free selling, and things like that. If it had been there, farmers could sell anywhere. That was the situation. But now, you are controlling and entering the territory of the State. This is only for the corporate bodies. There is no doubt about it.

In our country, only 20 per cent of the farmers are large-scale farmers. Rest of the 80 per cent farmers are ordinary people. Once the private companies, the big companies are allowed to enter this sector, once they are allowed to put their feet there, then there would not be any end to anything. Now, they will control the market; they will decide the price. That is what is going to

happen. There is no doubt about that. That is why, I said that this is another sale. The big PSUs are being sold, and this is another sale. Agriculture Sector is being sold. That is the purpose of this Bill, which is being passed. Now, the Agriculture Sector also is being sold to the big people. So, I oppose this Bill. This is a black day in the history of Indian farmers. Now, everything is going to be controlled by the corporate bodies. The price would also be decided by them. Now, we will see what is going to happen in the near future. As our hon. Member has said, you will not always be there in power. The day will come when the Indian farmer and the Indian voter will reject you totally. Thank you.

(ends)

1913 hours

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FIROZPUR): Hon. Chairperson Sir, the Shiromani Akali Dal strongly opposes this Bill. …(*Interruptions*) Sir, when you take any Bill, which is for the nation, some part of the country likes that Bill and some part of the country does not like that Bill. These three Ordinance replacing Bills are in the name of farmers. The State of Punjab is the heart of farmers of India. We are against this Bill. Around 20 lakh farmers are going to be affected, more than 30,000 *Arthias* are going to be affected, more than 3 lakh *Mandi labourers* are going to be affected, and more than 15 to 20 lakh *Khet Mazdoors* are going to be affected.

Sir, after Independence, every State made its own plan on which side their State should take.

*Sir, Punjab is an agricultural State. There are several States in the country that developed their industries. Several States promoted tourism. Some States gave a boost to IT industry. But, in the last fifty years, all Governments in Punjab developed the agricultural infrastructure. The entire State exchequer in Punjab was utilised for improvement of agricultural infrastructure. The country badly needed foodgrains. We were importing foodgrains from outside. Punjab took the responsibility. Punjab has a land area of only 2.5 per cent of the total land area of India. As I mentioned yesterday, during the 1980s, we were growing 80 per cent of foodgrains of the entire country. Even today, we are growing more than 50 per cent of the entire country. It is because the farmer considers agriculture as his child.

Sir, in India, if drought hits a State, agriculture is the casualty. But, even during droughts and lack of rain, Punjab has been at the forefront of food production. It is because the Governments in Punjab have put in a lot of efforts in providing adequate irrigation facilities to the farmers. We have a strong network of irrigation in Punjab. Our agricultural land in Punjab is 100 per cent irrigated. You will not find even an inch of agricultural land without proper irrigation. This is our wealth. In Punjab, we have sacrificed our water for the sake of this country. You all know that to grow one kilogram of rice, you need 5000 litres of water. So, for the sake of this country, we sacrificed our water.

Sir, the Marketing Acts are important. The Marketing Act of Punjab is the best not only in India but in the entire world. Punjab has 12,000 villages. There

* Original in Punjabi

are 1900 markets or purchase centres in these villages. There is a purchase centre after every sixth village. Every village is connected with a link road.

The farmer of Punjab reaches the market or mandi within twenty minutes. This is a wonderful system. Sir, our fifty years of hard labour and efforts that have saved the country will now be ruined. The farmers of Punjab have a lot of apprehensions. Sir, the MNCs, tycoons and magnates will indulge in private purchase of foodgrains as they will not be taxed. In the beginning, they may lure by giving more rate than the MSP, but when they will establish their monopoly, they will fleece and strangle the farmers.

Sir, so the need of the hour is to save the agriculture and agriculturists of Punjab. The Congress leadership has accused us of taking a U-turn but SAD has not taken any U-turn. Yesterday too, I had clarified and let me clarify again that we did not know the details. When it came to the Cabinet, our Minister, Harsimrat Kaur ji expressed our concerns and our apprehensions. Sir, the hon. Minister is here.

On the floor of the House, only the truth prevails. We had written a letter to the hon. Minister. Since we are a part of the NDA coalition, we took the concerns of the farmers of Punjab and placed these before the hon. Minister. We discussed it with the hon. Minister. We went back to the farmer organisations.

(1915/RV/KSP)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please conclude.

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FIROZPUR): Sir, this is a very important Bill. Please give me five minutes more.

HON. CHAIRPERSON: Badalji, you are a very senior parliamentarian. Kindly cooperate and conclude now.

श्री सुखबीर सिंह बादल (फ़िरोज़पुर): सर, यह बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि यह पंजाब से संबंधित है। इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हमने इसे हर फोरम में उठाया। हमने कोशिश की कि पंजाब के किसानों की शंकाएं दूर हों, पर वे दूर नहीं हुईं। यह बिल लाया गया, इसलिए हमने यह फैसला किया कि जो बिल किसानों के खिलाफ है, हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। मुझे हैरानी हुई कि अभी कांग्रेस की लीडरशिप इस बिल के खिलाफ बोल रही है। कांग्रेस के लीडर जो भाषण दे रहे थे, वे वह भाषण किसानों के हक के लिए नहीं दे रहे थे, बल्कि वे शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ बोल रहे थे। उनका मुद्दा शिरोमणि अकाली दल था। कांग्रेस के लीडर्स, जो बाहर बैठे हैं,

उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह इलेक्शन मैनिफैस्टो किस पार्टी का है? यह कांग्रेस पार्टी का है। इस पर राहुल गांधी जी की फोटो है। यह वर्ष 2019 का मैनिफैस्टो है, जिसे कांग्रेस लेकर आई थी। इसमें लिखा है कि Congress will deliver. वे क्या डेलिवर करेंगे? इसमें लिखा है कि ए.पी.एम.सी. एक्ट को एबॉलिश करना है और आप जो ए.पी.एम.सी. एक्ट लेकर आए हैं, उससे भी ज्यादा इसे ओपेन करना है।

माननीय सभापति: प्लीज, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। मुझे आपको टोकना अच्छा नहीं लग रहा है।

(1920/MY/KKD)

श्री सुखबीर सिंह बादल (फ़िरोज़पुर): ये … *(Not recorded)* की बात कर रहे हैं। … *(Not recorded)* ने गुटखा साहब की कसम खाई, ये सारे एमपीज़ जो यहाँ बैठे हुए हैं, वहीं पर थे। … *(Not recorded)* ने गुरु की कसम खाई और कहा था। उन्होंने वर्ष 2017 के चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी किया। आप आज जो तीन आर्डिनेंस लेकर आए हैं, वे तीनों उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में हैं। उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया। केवल एक ही प्रॉमिस पूरा किया और वह भी यह कि ये तीनों आर्डिनेंस उन्होंने पंजाब में लागू किए। यह पंजाब का एक्ट है, जो … *(Not recorded)* ने वर्ष 2017 में पास किया। यह एक्ट अभी पंजाब में लागू है। आप मंडी की बात कह रहे हैं, हम भी किसानों के साथ हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप कन्क्लूड कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल (फ़िरोज़पुर): सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: नाम डिलीट हो जाएंगे।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

Now, Shri Lavu Sri Krishna.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आपकी बात पूरी हो गई।

…(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति: केवल लावू जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

…(व्यवधान) …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय सभापति: प्लीज, आप सभी बैठ जाइए।

लावू जी, आप अपनी बात स्टार्ट कीजिए।

…(व्यवधान)

1921 hours

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I come from a chilli-growing Constituency of Narasaraopet where prices of chilli oscillate every year, and the farmers are not able to cover their costs.

The main issues that our chilli farmers face are long supply chains, middlemen and traders …(*Interruptions*)

1922 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी रूक जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

…(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल (फ़िरोज़पुर): सर, यह काँग्रेस की सच्चाई है, जिसको मैंने अभी सामने पेश किया है। शिरोमणी अकाली दल जो पार्टी है, वह किसान की पार्टी है। शिरोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करती है। मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

…(व्यवधान) …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह विषय आपका नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप सभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: लावू जी, आप बोलिए।

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): We welcome this Farmers' Produce Trade and Commerce Bill with the three beliefs. Firstly, the gains from this condensed supply chain will be passed on to the farmers and the consumers. Secondly, the market forces will take effect and help in better transmission of market prices to the farmer as was recommended in the Dalwai Committee Report …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu, please continue.

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, thirdly, increased investment in market infrastructure, creation of electronic platforms and increased exports will benefit the farmers …(*Interruptions*)

But the Government needs to ensure that the monopolistic tendencies are avoided in farm sector marketing …(*Interruptions*)

Sir, we support the Farmers' Produce Trade and Commerce Bill. But we want to make sure that the Government needs to ensure that the monopolistic tendencies are avoided in farm sector marketing …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, how can a Minister continue in the Government opposing the Bill? …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please do not interrupt.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या आप इसे तय करेंगे?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Premachandran-ji, please be seated.

… (*Interruptions*)

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, we from the YSR Congress Party support the Farmers Produce Trade and Commerce Bill but the Government needs to ensure that the monopolistic tendencies are avoided in farm sector marketing.

Sir, the Government also needs to ensure that the States are compensated for the loss in APMC market cess. Andhra Pradesh has been suffering for a long time because of revenue deficit and non-payment of GST. We need this fund to develop market yards and the allied infrastructure.

Sir, coming to the Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, this Bill will achieve the goal by creating a uniform regulatory regime on contract farming. I have myself seen the benefits in Guntur District where ITC is doing handholding of farmers to the tune of 2,000 acres …(*Interruptions*) The benefit that we have seen was of export standard. Secondly, there was less utilisation of fertilisers. Their input cost was also less. Better prices were given to the farmers because ITC was handholding the farmers. This is the benefit we have seen with the farmers in Guntur District. In ITC's case, the farmers have benefited but the Government must ensure that during the implementation of this Bill, the balance does not tilt away from the farmers.

Sir, the Government should consider the following points for the successful implementation.

First, the Bill provides for price to be specified in the contract, but it does not guarantee MSP. So, the Government needs to ensure that the farmers get adequate price and income for their investment as per the recommendations of the Swaminathan Committee Report.

(1925/RP/CP)

Second, there should be a balance in food production between local needs and market needs. There is a case of shrimp farming in Andhra Pradesh where farmers started farming shrimps for export even though the local demand is very limited.

Third, the dispute resolution in this case will be done by the Sub-Divisional Magistrate. The Government needs to undertake capacity building of these bureaucrats so that the farmers' interest is balanced with the corporate interest.

With this, we welcome the Bill and hope the Government will take note of these suggestions for the successful implementation.

Thank you, Sir.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हम बहुत विपरीत परिस्थितियों में सदन चला रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात को संक्षेप में कहें। मेरा आप लोगों से आग्रह है, 7:30 हो चुके हैं और हमारा 7 बजे तक का समय रहता है। मैं सभी माननीय सदस्यों को हमेशा बोलने का अवसर देता हूं। कभी विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, उसके कारण आपसे आग्रह कर रहा हूं और कोई कारण नहीं है। आज विपरीत परिस्थिति है, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, please conclude your speech within one or two minutes. Each Member will conclude his speech within two minutes. Okay.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Sureshji, please be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, मैं एक बात और कह दूं। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी, please be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करना चाहता हूं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई व्यक्ति खड़े होकर नहीं बोले। हम इतने गम्भीर संकट में आ जाएंगे, उस परिस्थिति को समझना चाहिए। हमने इतना इंतजाम किया है, सब व्यवस्थायें की हैं। मेंबर्स पांच दिन तो ठीक से रहें, फिर खड़े होकर बोलने लगें। आप इस संबंध में सहमत हैं या नहीं, सदन इस बात पर सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य: सहमत हैं।

1928 hours

*SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon. Speaker Sir, thank you very much for allowing me to speak on the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020. Sir, you must be knowing that this Government has promised about doubling the income of the farmers by 2022. If you are serious about it, mere declaration would not help. If you really want to achieve this, you must take necessary steps in this regard. I think, this bill is contrary to your motive. This Bill does not ensure fair and remunerative prices for the agriculture produces. Hence, I would like to urge upon you that it must be included in this Bill that the farmers would get MSP for their crops in any condition.

Respected Sir, I hail from such a district of Maharashtra where the largest number of farmers committed suicide. Not only the farmer, but his entire family is dependent on the farming and farm income. He needs our help and support desperately to feed his family and send his children to school. Hence, I would like to request you to provide a kind of reservation in jobs and education to the family members of the farmer.

Under this law, a farmer can sell his agriculture produces anywhere in the country. But practically, it is impossible for the small land owners and marginalized small farmers as they will have to bear the higher transportation cost. Hence, I would like to request you to kindly provide a grant to the farmers to bear this extra and heavy expenses.

It is a good decision to provide an open market to the farmer and he will be free to sell his produces wherever he wants. But the traders and middlemen involved in it must have a valid license and registration for trading. There are cases where a trader purchases the goods but disappears when it comes to making payment.

In this way, farmers get duped and lose their hard earned money. You have made a provision to make the payment for a purchase within three days, It is a very good decision and I welcome it.

---

*Original in Marathi.

Government has banned the export of onions and I oppose it. Onion growing farmers were dreaming of earning some more money but the Government made them to lose this opportunity. Farmers had toiled in their fields and it is their right to get the remunerative price for their produce. By banning onion export, Government has committed a sin. It should be lifted immediately.

Sir, lastly, I would like to request the Government to make a provision for a kind of monetary relief, if the farmers incur losses due to natural calamity. The provision of Dr. Swaminathan Commission Report should also be implemented to protect the interests of the farmers.

Thank you.

(ends)

(1930/NK/RCP)

1930 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सभापति महोदय, कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं जनता दल(यू) की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

भारत कृषि प्रधान देश है। 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों को लागत से दोगुना मूल्य मिलेगा। इसे लागू करने के लिए यह विधेयक अति-आवश्यक है। यह अध्यादेश 2020 को पूरे देश में संविदागत कृषि के कानूनी ढांचे में एकरूपता लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अध्यादेश किसानों के साथ-साथ बटाइदारों के अधिकारों का भी संरक्षण करता है। कृषि करार के अंतर्गत आए कृषि उत्पादकों को राज्य अधिनियमों से छूट प्राप्त होगी। स्टॉक सीमा बाध्यताएं भी कृषि करार के अंतर्गत आए कृषि उत्पादों पर लागू नहीं होगी। इन उत्पादों को किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क/कर/सेस आदि से भी छूट प्राप्त होगी। भारत में कृषि मौसम पर निर्भर करती है। उत्पादक की अनिश्चितता और बाजार अनिश्चितता इसकी कुछ कमजोरियां हैं। इसके चलते कृषि जोखिम भरा है और इनपुट तथा आउटपुट प्रबंधन के मामले में अप्रभावी है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कृषि मैप तैयार कर कृषकों की सुविधा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इस विधेयक के लागू होने से किसान खुशहाल होंगे।

यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर प्रोसेसर्स एग्रीग्रेटर्स थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही किसानों की आधुनिक तकनीकी और बेहतर इनपुट तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी। इससे विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में सुधार होगा। किसानों की उच्च मूल्य वाली कृषि के लिए तकनीक और परामर्श तक पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही उन्हें ऐसी फसलों के लिए तैयार बाजार भी मिलेगा।

बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। किसानों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। इस अध्यादेश में पहली बार कृषि के लिए फार्म सेवाओं को मान्यता प्रदान की गई है।

(1935/SK/SMN)

इसमें बीज, चारा, कीटनाशक, फार्म मशीन, उपकरण, जैविक आदान और सलाह को सम्मिलित किया गया है और किसान खेती करने के लिए लिखित अनुबंध कर सकते हैं। इस अध्यादेश से किसानों के साथ खेतों में आधुनिक तरीके से काम करने में कृषि संस्थाओं, कंपनियों, निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और व्यापारियों को अवसर मिल सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस अध्यादेश का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1935 hours

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on a very important ordinance which will become a Bill once this is passed in Lok Sabha and in the Rajya Sabha.

Sir, I am speaking on the Farmers' Produce Trade and Commerce and (Promotion and Facilitation) Bill which was brought as an Ordinance on 5th June, 2020.

Sir, the previous Speakers had mentioned about the competence of the Government. The Central Government through the Seventh Schedule to the Constitution, Item Number 33, has the full competence to bring out a legislation vis-à-vis trade and commerce and which is mentioned in the Concurrent List.

Before this Ordinance was brought out, the farmers had to sell the produce in notified yards, market areas and sub-yards of the State Agriculture Produce Market Committee areas.

Sir, the small and marginal farmers did not believe that they got fair prices for their goods. The foodstuffs could not be sent within inter-state and there was a rail problem there. Shri Ashok Dalwai's Committee had mentioned that the reforms adopted by the State Government were largely inefficient or ineffective.

Sir, in 2017, only 20 States had amended the APMC Act, under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji. Today is his birthday. I wish him on behalf of all from Rajasthan. I represent a Constituency called Jhalawar-Baran. 'One Nation, One Market' will be beneficial for selling surplus crops in all areas.

Today, the primary sector has shown a considerable growth. During this pandemic period, people will get the opportunity to get jobs in the primary sector and investment in this sector will help the small entrepreneurs. Lately, a few days back, the Essential Commodities Bill was passed. The warehousing, the storage and the logistic parks will also be of great help.

The APMC charges the farmers 0.2 per cent to 0.5 per cent of the sale value and also charges the commission. I would mention about it later.

Right now, in India, 18 per cent to 30 per cent of our fruit and vegetables go waste. Ninety-five per cent of our food chains is still in the unorganised sector. There will be a lot of opportunities for the private investment at local levels like in cold storage and warehousing. The traders will get opportunities. I

belong to Jhalawar. The traders from Jhalawar can sell their garlic or can sell their oranges from Jhalalwar not only at the urban *mandi* but they can sell their produce in all parts of India.

Sir, when I talk about taxes and levies, many people from Punjab just spoke about it, the taxes in the State of Punjab amount to 14.5 per cent which is stated in the Economic Survey of India 2014-15 Chapter VIII page 117. It mentions about the marketing fees; it mentions about licence fees; and it also mentions about small licence fees and commission fees.

The Standing Committee on Agriculture (2018-19) in the 62nd Report had mentioned that the APMC Act had become a hotbed of politics and corruption and therefore, it needs a change.

(1940/MMN/MK)

The hon. Prime Minister and the hon. Minister have made some changes. According to it, the definition of farmers is, 'they are those people who produce wheat, rice, other coarse grains, pulses, edible oils, seeds, vegetable fruits, nuts, spices, sugarcane, poultry, animal husbandry and cattle fodder and cotton.' The salient object of the Ordinance is that it gives the farmer the freedom of choice of trade and commerce. It brings the trader into the formal economy. It also helps the SPOs. Both the Minister for State and also the Minister of Agriculture have always encouraged the SPOs. The primary agricultural societies have also been given the opportunity to trade their produce on electronic platforms. So, there will be no market cess; and there will be a dispute resolution mechanism.

With this, crop diversification will take place and it will give opportunities for the farmers to grow their crops and sell the materials in all parts of India. I would also say that the hon. Minister for MSME has always wanted to encourage the farmers and to provide for an e-commerce platform in order to club the MSMEs with the farmers. Wherever the infrastructure development takes place, this will help clubbing it with the farmers which will help our rural India to grow. Further, all the investment funds like the venture capital funds and other funds can come over there.

The industries will get the opportunity to make investments in agriculture and the produce of agriculture, which is an ingredient for many industries, will also get the opportunity to grow. Thus, they will also get the opportunity to grow. So, I thank the hon. Minister for this.

I also want to mention that the National Agriculture Market, e-NAM, which was brought in 2016, will encourage the sale of goods. But I want to say a few things. The Government of India, under the Prime Minister, Shri Narendra Modi, has made tremendous progress in procurement of wheat. In the State of Rajasthan, the procurement has grown from year to year. I belong to Jhalawar-Baran. मेरे जो किसान हैं, उनका उत्पादन हमारे क्षेत्र से दूर के क्षेत्र में हो सकता है और इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा और जो 86 परसेंट छोटे किसान हैं, उनको लाभ मिलेगा। इससे हमारे सभी ट्रेडर्स को लाभ मिलेगा। पूरे देश में एक खुशहाली का मौसम है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं, आप बहुत अच्छा आर्डिनेंस लेकर आए हैं, जो बिल बनने जा रहा है। एसपीओ के मॉडल से हमारे क्षेत्र में विकास होगा। यह पूरे देश में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात भी रखी थी। हम देखते हैं कि वर्ष 2020-21 में पैडी कल्टीवेशन 50 प्रतिशत तक बढ़ा है। ज्वार और बाजरे का जो कल्टीवेशन है, उसकी प्राइसिंग 83 परसेंट है।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): दुष्यंत जी प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): माननीय सभापति जी, हमें तूर की दाल का 58 परसेंट ज्यादा पैसा मिल रहा है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को आखिरी में यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने हमारे लिए फसल बीमा के लिए जो पैसा रखा है, पैसा आने से हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिला है। कांग्रेस के नेताओं ने बड़े आरोप लगाए हैं। उनके नेता ने राजस्थान में आकर संपूर्ण कर्ज माफ करने की एक बात रखी थी। उन्होंने अपने चुनावी भाषण में संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात की थी, लेकिन, वर्तमान सरकार ने सम्पूर्ण कर्ज को माफ नहीं किया है।

(1945/YSH/VR)

मैं इतना ही कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार ने पीएम किसान योजना का पैसा अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक नियत किया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप जो बिल लेकर आए हैं, इसको आप आगे बढ़ाएं और विकास करें। जय हिन्द जय भारत।

(इति)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं हाउस में नहीं था।…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): यह आपकी क्वेरी नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह सवाल यहां के लिए नहीं है। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (Not recorded)…(व्यवधान)

1946 बजे

श्री सय्यद इम्तियाज जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री जी को कुछ आँकड़े सुनाना चाहता हूं। इस सदन को कुछ आँकड़े बताना चाहता हूं। मार्च, 2020 में 547, अप्रैल, 2020 में 651, मई 2020 में 437 और इसके आगे के हर महीनों के आँकड़े 400, 500 व 600 हैं। वर्ष 2001 से वर्ष 2020 में आँकड़े 34200 हैं।

सभापति महोदय, ये सिर्फ आँकड़े हैं। मैं इसलिए यह कह रहा हूं, क्योंकि ये आँकड़े किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बनते न ही किसी टेलीविजन के चैनल्स में इनका जिक्र होता है। ये आँकड़े बताते हैं कि इस मुल्क के अन्दर आज भी किसानों की आत्महत्या कितनी हो रही है। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। अगर किसान आत्महत्या करता है तो यकीनन उसकी सुर्खी नहीं बनती है, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी अगर हम ऐसे बिल लेकर आ रहे हैं तो न जाने 70 सालों के अन्दर कितनी मर्तबा हमने ऐसा सुना है कि इस बिल के बाद किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद किसानों की हालत बद से बद्तर होती जाती है और इस बात का यही नमूना है कि आज भी इस मुल्क के अन्दर जितने भी आँकड़े हैं, मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से आता हूं। मैं वहां के आँकड़े बता रहा हूं। ये मुल्क के आँकड़े नहीं हैं। मुल्क के आँकड़े तो बहुत ज्यादा हैं।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र के अन्दर आज किसान आन्दोलन कर रहा है। यह प्याज का किसान है। मंत्री जी, वह कहता है कि यह प्याज मेरा है, मैंने इसकी पैदावार की है। आपने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इसकी क्या वजह है? अगर किसान एक्सपोर्ट के जरिए दो रुपये ज्यादा कमा रहा है और उसको अपनी पैदावार पर 10 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं तो क्यों सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अगर आप उनके खिलाफ कानून लेकर आते हैं तो मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके खिलाफ कौन कानून लेकर आएगा? जब कोरोना वायरस के दौरान इंटरनेशनल मार्केट के अन्दर क्रूड ऑयल की कीमत दो डॉलर-तीन डॉलर प्रति बैरल हो गई थी तो आपने प्रेटोल के दाम नीचे नहीं किए थे बल्कि धीरे-धीरे बढ़ा दिए थे।

सभापति महोदय, आज से दस साल पहले मैं राजनीति में आने से पहले पत्रकार था। आपको याद होगा कि आज से आठ-दस साल पहले प्याज की कीमत 50 रुपये से 60 रुपये तक हो गई थी। हम उस समय किसानों के पास यह जानने के लिए गए थे कि उनको इसका कितना फायदा हुआ होगा तो मंत्री जी, उस समय किसान के प्याज की जो पैदावार थी, उसकी कीमत उसे 12 रुपये से 15 रुपये दी गई थी, लेकिन मार्केट का रेट उस समय 55 रुपये से 65 रुपये तक चलता था। इसका मतलब है कि मेहनत किसान कर रहा था और उसका मुआवजा और मजा कोई और लूट रहा था। अगर यह कानून के जरिए आत्महत्या रुक सकती है तो यकीनन पूरा सदन इसका समर्थन करेगा। अगर इस कानून के जरिए किसानों की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो पूरा सदन इसका समर्थन करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार यह कानून महज अपनी पीठ थपथपाने के लिए लेकर आ रही है। इसीलिए, सरकार को एक और …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोलने के लिए मैं बहुत-बहुत मुबाकरबाद देता हूं।

(इति)

(1950/SAN/RPS)

1950 hours

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020.

Sir, I rise to oppose this Bill. At the outset, I would like to remind the Government, through you, of their poll promise of doubling the farmers' income by 2022. Standing only two years away from the deadline, we expect any agricultural reform to be in that direction. The answer to whether this Bill and other two Bills are in that direction is a big 'no'. I am sorry to say this. Instead of a comprehensive approach, the Government has come up with just cosmetic changes that favour only the corporates and the multinationals in the guise of supporting the farmers.

At first glance, the Bill looks like promised 'achche din' which disappeared from 2014! There is registration authority, guaranteed price, quality produce, dispute settlement mechanism etc. However, the devil lies in the details. What will happen if the agreed amount is not paid before the delivery of the produce? How many farmers are educated enough to read and fully understand the terms and conditions in the agreement? What will happen if the company rejects the produce in the name of quality, standard and certification mentioned in the agreement? Why are they making the lives of farmers so complicated? How is this Bill going to deal with these grave concerns of the farmers? What is the protection mechanism?

This Bill says that there is a dispute settlement mechanism. He or she can go to the conciliation Board. If nothing happens in 30 days, a farmer can approach the Sub-Divisional Magistrate. If it does not work, then there is a District Collector. In this process, simple and poor farmers will be pitted in a long legal battle against corporate giants. What is the guarantee that justice will be granted after all this mental trauma? In the process, farmers' livelihood and hope will be destroyed.

A recent scenario will explain this well. A year ago, PepsiCo had sued some Gujarat farmers for one crore rupees for illegally growing and selling a potato variety registered by it. The farmers were not aware that PepsiCo had registered a particular variety of potato. This is the situation. There is no level playing field between the farmers and the corporates. There is an obvious asymmetry here. I request, through you, the hon. Minister to look into these grave concerns of farmers who are protesting against this draconian Bill on the streets of Punjab, Haryana and many other States. Please hear them out.

Further, the Centre has not bothered to consult the States despite agriculture being a State subject. Is this the cooperative federalism for which the hon. Prime Minister advocates? There is no levying of cess on the agricultural produce. For example, Punjab is estimated to lose Rs. 3,600 crore per year. In a situation where the Centre is struggling to pay up GST dues to States, how is the Government going to compensate the States for their revenue losses?

The Congress-led UPA Government had brought the historic Land Acquisition Bill, 2013. It was done after an extensive consultation with all stakeholders – farmers, agricultural labourers, State Governments, industries etc. It has a robust mechanism to protect farmers. In this Bill, is there any such strong protection mechanism to protect farmers? Did they consult the stakeholders before bringing this Bill to Parliament? Did they respect the parliamentary procedure? They simply promulgated an Ordinance and are now bulldozing this draconian Bill with tyranny of their numbers. This is undemocratic and undermining the farmers and rights of the States.

There is also an apprehension that this Bill will end up dismantling the MSP regime. The Government should understand that deregulation alone will not be sufficient to attract more buyers and double the farmers' income. The Government needs to invest heavily in infrastructure, electricity, cold storage, timely credit, grameen agricultural markets etc., but this Government is silent on such important measures.

Sir, I want to know, through you, from this Government certain things. What is their commitment to agriculture? Does the Government intend to leave farmers and agriculture sector at the mercy of corporates and multinationals?

The farmers are facing immense challenges. They are debt-ridden which leads to farmers' suicide. They are struggling to meet the production cost and crop loss. There is also lack of infrastructure. Adding to their woes, they are pressuring the State Governments to do away with free electricity which is the lifeline of the farmers. In the name of PM-KISAN, scams worth thousands of crores of rupees are going on across the country. In Tamil Nadu, it has crossed Rs. 1,000 crores.

Now, they are bringing this draconian Bill to blow a death knell on farmers. This Bill will only further disempower the farmers and strengthen the corporates. So, I request the hon. Minister to focus on strong and comprehensive measures and withdraw the Bill.

Thank you.

(ends)

(1955/IND/RBN)

1955 बजे

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति जी, जैसा कि सरकार किसानों के हित के संबंध में बताकर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 लाई है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये दोनों विधेयक किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में कम कार्य करेंगे, बल्कि उद्योगपतियों के हित में ज्यादा कार्य करेंगे। जैसा कि सरकार का कहना है कि किसान अपने उत्पाद को राष्ट्र की किसी भी मंडी पर सीधे बेच सकता है, लेकिन सरकार ने यह बताना जायज नहीं समझा कि उन मंडियों का मंडी कर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। यदि सरकार की मंशा सही मायने में किसानों के हित में सर्वोपरि है, तो इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए था कि किसान के उत्पाद पर लगने वाले मंडी कर को समरूप किया जाए।

महोदय, दूसरे अध्यादेश में सरकार का कहना है कि किसानों और व्यावसायिकों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर जिले के एसडीएम और जिला अधिकारी ही सक्षम अधिकारी होंगे, जो विवादों को सुलझा सकेंगे और वे विवाद न्यायालयों में नहीं जाएंगें। इस बारे में मुझे कहना है कि यदि किसान और व्यावसायिक के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी सरकार के नुमाइंदे होते हुए भी उनका सही और गलत क्रियाकलापों में भाग लेना आम बात है। यहां माननीय न्यायालयों द्वारा विवादों को सुलझाने के अधिकार को उनसे छीन कर अधिकारियों के हाथ में देना सुनिश्चित किया गया है। अत: इससे किसानों को न्याय दिलाने की संभावना क्षीण हो जाती है। इस कारण हम इन दोनों विधेयकों को किसानों के हित में कम बल्कि व्यापारियों के हित में अधिक मानते हैं।

(इति)

1957 hours

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020.

Sir, I along with my Party strongly oppose the Ordinance as giving legal sanction to contract farming will help corporate to enter the agriculture sector and may increase productivity. But my question to the hon. Minister is this: Would it help the farmers? The Bill has little to offer to the millions of farmers who are currently engaged in contract farming through informal agreements of *theka* or *batai*. Some form of registration of these tenant farmers without threatening landowners would have been a huge land reform measure.

Instead the Ordinance would lead to disruption of this on-going practice of contract farming. The absentee landlord would now prefer to deal with written contracts of a company over the hassle of dealing with local tenants.

There is nothing in the Ordinance to ensure that the contract agreed to by the small farmer with little bargaining power would be fair. There is an elaborate dispute resolution mechanism. But how would the farmers access it when pitted against big companies?

In our Telangana State, 97 per cent of the farmers are small and marginal ones. They never reach up to inter-State trade. Goods from these farmers are purchased by the State Government and they transport the goods from one State to another. APMC levies market fees on those traders. So, this Bill does not help the farmers in any way.

The Government can keep a watch on the market through the APMC to see whether traders are purchasing the goods from the farmers above the Minimum Support Price. If their intervention is removed, the farmers may in turn suffer a lot.

As per my knowledge, there is no system of farmer agreement prior to production and rearing of any farm produce except the sugarcane in our State of Telangana. This type of agreement can come into existence only if the Government takes initiative to establish Food Processing Units in random and increase the export of agricultural produce. Competition emerges between traders and purchasers of agricultural produce. This way this Bill is also not much useful to the farmers.

(2000/SM/RAJ)

History teaches us that laws do not operate in a vacuum. It all depends on the conditions in which a law is enacted and executed. As scholars of agriculture and mandis remind us, we must not begin by overstating the power of legal reforms in guaranteeing economic freedom and outcomes.

Given the timing, the context and the overall balance of power in which these three Ordinances have been enacted, these are likely to work for the traders, big agriculture businessmen and corporates and not for farmers, least of all small farmers.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please conclude.

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): I will take only half a second, Sir. These reforms may increase agricultural productivity and improve food markets but are unlikely to help farmers' incomes. At best, this may be another example in the long history of policies that work for agriculture, but not for farmers.

(ends)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : हां।

माननीय सभापति : ठीक है। आप बोलने के लिए केवल दो-दो मिनट का समय लीजिए, ताकि हम साढ़े आठ बजे तक काम निपटा सकें।

2001 बजे

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, आज पंथ प्रधान जी का जन्म दिन है तो मैं उनको विदर्भ, अमरावती जिले एवं सभी नागरिकों की तरफ से ढेर सारी बधाइयां देती हूं। आज किसानों को कृषि उत्पादन बाजार समिति के बाहर बेचने की अनुमति दी गई है, हम सभी उसका स्वागत करते हैं और हमें उसका स्वागत करना भी चाहिए। जब किसान फसल बोते हैं, तो उसी समय फसल का मूल्य तय करना चाहिए। सूखा, बाढ़ और तूफान आने पर किसानों को नुकसान होता है, लेकिन उनको बीमे की राशि भी नहीं मिल पाती है। इसलिए बुआई से लेकर कटाई तक उनकी फसल का भाव डेढ़ गुना मिलना चाहिए, तभी देश के किसान सही मायने में मजबूत हो पाएंगे।

मैं मंत्री महोदय से एक विनती करती हूं कि महाराष्ट्र में पंथ प्रधान किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को छ: हजार रुपया सालाना मिलता है। मैं आप से महाराष्ट्र के किसानों की ओर से मांग करूंगी कि जिस तरह से नई शुरुआत किसानों के लिए पूरे देश में पंथ प्रधान जी ने की है, आज उनका जन्म दिन है, तो उन्हें 12 हजार रुपया सालाना दिया जाए। हमारे दादा ने कहा है कि छ: हजार रुपये से क्या होता है, हमारे बंगाल में उससे कुछ भी नहीं मिलता है। मैं कहती हूं कि कुछ नहीं से छ: हजार रुपये

बहुत अच्छा है और छ: हजार रुपये से 12 हजार रुपये और भी अच्छे हैं। इसलिए उनको 12 हजार रुपये मिलने चाहिए। यह हमारी दु:खती रग है।

महाराष्ट्र के किसान हमारी जान हैं। मुझे उनके विषय में बोलने के लिए एक मिनट ;और समय दे दीजिए। प्याज का एक्सपोर्ट कुछ दिनों से बैन किया गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इसे ओपेन कर दिया जाए। अगर प्याज का भाव बढ़ा है, तो उससे किसानों को डायरेक्टली फायदा होगा। जो एक्सपोर्ट बंद किया गया है, उसे खोल दिया जाए। नासिक के माननीय एमपी और हमारे सहयोगी भी इस विषय को लेकर मंत्री जी के पास गए थे और उन्होंने उत्तर दिया है कि हम किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। मैं आपसे विनती करूंगी कि एक्सपोर्ट जो बैन किया गया है, उसे हटा कर उन्हें जल्द से जल्द इसका फायदा दिया जाए। मैं विदर्भ क्षेत्र से बिलॉंग करती हूं, जहां बहुत बड़े पैमाने पर सूखा रहता है। जहां पर फसल बोने से लेकर हर तरह के संकट का सामाना करना पड़ता है, उसके लिए यह बिल बहुत महत्व रखता है। अगर वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे तो उससे किसानों को फायदा ही होगा। साल खत्म होने पर भी उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता है। जहां पर ज्यादा सूखा पड़ता है, वहां के किसानों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON **:** Only one sentence, please.

…(व्यवधान)

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): महाराष्ट्र में 'महाबीज' के माध्यम से किसानों को 90 प्रतिशत नकली बीज दिया गया है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में महराष्ट्र के किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसी कंपनियों पर, ऐसे लोगों पर इमीडिएट कार्रवाई की जाए। मैं उसके लिए आपसे विनती करती हूं। महाराष्ट्र की जो सरकार है, हमारे जो सीएम साहब हैं, गोंदिया भंडारा, चद्रपुर में जिस तरीके से बाढ़ आई है, उस क्षेत्र में हमारी महाराष्ट्र की सरकार वहां पर कमेटी नहीं भेजती है, पर केन्द्र सरकार उसमें दखल देती है।…(व्यवधान)

(इति)

(2005/AK/SKS)

2005 hours

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, Chairperson, Sir, for giving permission to support this Bill that is important for the farmers.

I am sure that our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji's able leadership will take the nation to greater heights of glory in knowledge, science, education, and agriculture. His sincere effort in eradicating the word 'poverty' and doubling farmers income fascinates everyone around the world. Today is his birthday. So, on behalf of my AIADMK Party, I wish the hon. Prime Minister good health and pray to God for his long life to serve our nation.

As regards this Bill, I would like to say that this Government has always been at the forefront of resolving farmers issues. This Bill provides a roadmap for farm protection. The farmers will have their own authority and will not be dependent on the traders. The farmers will not have to face any uncompetitive prices. This Bill creates an ecosystem where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farm produce. Our farmers in India have suffered because of various restrictions. These restrictions will be removed through this Bill. I represent a State and a Constituency whose primary occupation is agriculture. I believe that this Bill will provide a boost to Tamil Nadu's economy.

I have to mention two requests to the hon. Minister. Firstly, most of our farmers are small-scale farmers, and they will not be able to cover large distance to transport their produce due to their financial condition. So, my humble request to the Government would be to provide subsidy in transportation for those small farmers. Secondly, all our farmers are not very sound in electronic trading. I would request providing proper training and high safety regulations to those farmers in online trading to avoid fraud.

Finally, I would like to state that our economic condition has been affected due to the recent COVID-19 crisis. This Bill has presented an opportunity to improve the Indian Agricultural Marketing System, which farmers had required, by law. Through this Bill, our NDA Government has proposed major policy reforms to remove many of the long-standing hurdles that were constraining agricultural growth and doubling farmers income. I support this Bill. Thank you.

(ends)

2008 hours

SHRI PRAJWAL REVANNA (HASSAN): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me an opportunity to speak in this august House about an important issue with regard to agriculture farmers who are the backbone of our country. I take this opportunity by expressing my unhappiness about the Bills introduced in 2020 with regard to the farming sector.

I am not going to raise the technical issues about this Bill, but by bringing this Bill the Government is telling the farmers that they can sell their farm produce across the country, not only in the APMC yard. I really do not understand this as the farmers are already selling the farm produce across the country as free men. To quote an example in my district, Hassan, farmers who were growing potato, which is the main crop, can sell their farm produce anywhere in the country with the RTC documents and there is no objection for it. This practice has been there since several years and it is not anything new according to the Farmers' Produce Trade and Commerce Bill.

Secondly, I have a doubt about this Bill, and I want a clarification from the hon. Finance Minister. Do you have any plans of bringing the medium and large farmers, who are in the informal sector of farm economy, into the purview of Income Tax Act? As of now, the agricultural sector is out of the Income Tax ambit.

Thirdly, there is a strong rumor that, in future, the present Government is going to close all the APMC yards across the country. In that case, the small and marginal farmers, who are 87 per cent in the farm sector, cannot afford long-distance transportation of their farm produce.

(2010/SPR/VB)

It will in turn affect the farmers in these sectors. These farmers are also affected by other problems like the loss of crops due to heavy rain and drought, etc. Farmers are being faced with these problems in their day to day life.

Fourthly, I seriously doubt and I feel that the Government is under pressure from the WTO and economically developed countries which are being used by the large MNCs and global corporate houses and local corporate houses to bring in changes in the policies of the developing countries. These developed countries will take advantage of these Bills.

Sir, it is portrayed by the Government that these three Ordinances – approved in the Cabinet meeting on 3rd June 2020 - were hailed as landmark decisions for the transformation of agriculture sector but I don't see any hope for the agriculture sector as has been explained by me.

In this regard, I want a clarification from the hon. Finance Minister whether our Government is under pressure from the external forces to bring these kinds of Bills which will affect our farmers to a great extent.

(ends)

2011 बजे

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले भारत के कृषि मंत्री आदरणीय नरेन्द्र तोमर जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर यह विधेयक प्रस्तुत करके सदन के समक्ष इस देश के किसानों के उद्धार का जो मार्ग प्रशस्त किया है, वह भारत के किसानों के इतिहास में सदा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।

महोदय, यह जो खुले बाज़ार की नीति आई, उसमें सीमेंट भी खुले में आया। लोहा, सैलून, फर्नीचर, जूते, कपड़े आदि सब कुछ आए। हर सेक्टर में हमें पूंजीपति चाहिए, पूंजी चाहिए। लेकिन किसान एक बेचारी सीधी-साधी गाय है, वहाँ पर कोई पूंजी नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं आने चाहिए, वह चुपचाप जिस दशा में पड़ा हुआ है, उसी दशा में पड़ा रहे। कुल मिलाकर विरोधी दलों की यही मंशा है और यही रखा भी गया। जब इनकी सरकार थी, तो इन्होंने कभी भी किसान को नहीं छुआ, किसान की ओर नज़र नहीं उठाई। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात आई, तो इन्होंने कहा कि पूंजीपति आएंगे, पूंजीपतियों के लिए यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ रही है। मृदा परीक्षण की योजना आई, कहाँ से साधन आएंगे, लेकिन सब कुछ हुआ। किसान सम्मान निधि योजना आई, जहाँ तक इस योजना की बात है, तो जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, वहाँ छोड़कर चाहे बंगाल हो, जब तक यू.पी. में दूसरे पार्टी की सरकार थी, तब तक यू.पी. के किसानों को नहीं लेने दिया गया, महाराष्ट्र की भी यही हालत थी। इस तरह से किसानों का गला दबाने का काम किया गया। आज जब ये दोनों विधेयक आए हैं, तब इसमें भी गला फाड़-फाड़कर कहा जा रहा है कि यह तो पूंजीपतियों के लिए है।

मैं अपने जिले की बात बताना चाहूँगा। हमारा जिला एक बहुत ही विपन्न जिलों में से था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ी, कृषि का उत्पादन बढ़ा। आज प्याज के उत्पादन का एक बहुत बड़ा उत्पादक जिला बनने जा रहा है। अगर हमारे यहाँ ये कानून आ गए, तो इन कानूनों से हमारे किसानों को जो बल मिलेगा, हमारे यहाँ के लोग गाँव में प्याज की इकाइयाँ स्थापित करेंगे, वे चूरा, क्रीम बनाएंगे और प्याज का भंडारण होगा।

अमरावती की सांसद जी भी प्याज के निर्यात की बात कर रही थी। प्याज के आयात की समस्या हमेशा क्यों आती है? इसका कारण यह है कि हमारे पास भंडार गृह ही नहीं हैं। हमारे पास वे संसाधन नहीं हैं, जिनसे हम प्याज को संरक्षित कर सकें। इसलिए जब प्याज की कीमत बढ़ने की समस्या आती है, तो निर्यात रोक दिया जाता है। जब प्याज की कीमतों का संतुलन बनाना होता है, तो आयात किया जाता है। प्याज के आयात-निर्यात की जो समस्या है, सरकार को गिराने और बनाने वाली इस प्याज के मूल कारण पर कभी कोई नहीं गया। कभी किसी ने पूंजी नहीं लगाई। किसी भी सरकार ने प्याज के लिए पूंजी लगाने का काम नहीं किया। भंडार गृह नहीं बनाए गए, उनके संरक्षण का काम नहीं किया गया।

(2015/PC/UB)

श्रीमान जी, यही हालत टमाटर की है। जो लोग आज टमाटर के लिए आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा कि जिस टमाटर को उगाने के लिए किसान वर्षा में, ठंड में, घुटने भर पानी में डूब-डूब कर खेत में घुसता है, वही प्याज और टमाटर सड़क पर फेंक दिए जाते हैं। आज इस कानून के आने के बाद प्रसंस्करण उद्योग को ताकत मिलेगी और इसके माध्यम से प्याज का संरक्षण होगा, आलू का संरक्षण होगा।

अभी कांग्रेस के एक सांसद महोदय आलू की बात कह रहे थे कि वह तो पेप्सी वाला आया, जो कड़े के अंदर आलू घुसेड़ता था और वह अंदर नहीं जाता था तो उसे नहीं लेते थे, कहते थे कि इससे तो शुगर हो जाएगी। आप क्यों परेशान हो? आप कड़े के बराबर क्या, आपके नेताजी तो मशीन से आलू उगा लेते हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप मशीन से आलू उगाओ और ज़िंदाबाद बोलो।

सभापति महोदय, जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी के लिए जिस तरह से मोदी जी की सरकार जब से आई और लगातार हर साल कीमतों में, एमएसपी में बढ़ोत्तरी की गई। आज स्थिति यह है कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट कब्रखाने में पड़ी हुई थी, स्वामीनाथन आयोग की उन सिफारिशों को नई आत्मा दी गई, नया जीवन दिया गया। आज एमएसपी के माध्यम से इसी वर्ष किसानों को फायदा मिला है। उन्हें 1 लाख 13 हज़ार करोड़ रुपये मूल्य की एमएसपी का पैसा मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31 परसेंट अधिक है। क्या कभी मां बेटे की हत्या करेगी? जिस योजना को ज़िंदा किया है, जिस स्कीम को फिर से प्रधान मंत्री महोदय ने पुनर्जीवित किया, उसे आज कोई भी सरकार, चाहे मेरी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, क्या इस देश में किसानों की उपेक्षा कर के कोई ज़िंदा रह सकता है?

महोदय, ये कहते हैं कि ई-मार्केटिंग कैसे होगी, उससे तो हैकिंग हो जाएगी। हैकिंग तो फेसबुक जैसी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स में हो गई। प्रधान मंत्री जी का अकाउंट हैक हो रहा है, अन्य तमाम अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। …(व्यवधान) हैकर्स को कानून रोकेगा, लेकिन हम चोरी करने वाले को रोकेंगे। क्या किसान के लड़के को ई-मार्केटिंग करने का अधिकार नहीं है? …(व्यवधान) क्या किसान को ई-मार्केटिंग की सुविधा लेने का अधिकार नहीं है? …(व्यवधान) क्या किसान को तकनीक से जुड़ने का अधिकार नहीं है? …(व्यवधान) ये चाहते हैं कि किसान किसी तरह से दबा-कुचला पड़ा रहे, लेकिन किसान अब बेचारी गाय बनकर नहीं रहेगा। …(व्यवधान) किसान भी अब ओपन मार्केट से जुड़ेगा और व्यापार करेगा। धन्यवाद।…(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): केवल दो मिनट में अपनी बात पूरी करें, अन्यथा मैं अगला नाम बोल दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री सी.एन. अन्नादुरई।

…(व्यवधान)

2017 hours

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Sir, I am grateful to the hon. Speaker and my beloved leader, Thalapathi, to give me an opportunity to speak on this Bill.

According to the Government, the Bill will create ‘One Nation, One Market’ and provide farmers with a choice to sell their produce for better price and also to attract private investment in the agricultural market. But this Bill is not going to help the farmers as the Bill not only phases out the MSP and the traditional grain market system but will also crush the small and marginal farmers. Besides, the Bill will put an end to the commission agent business which will render them jobless. By ending the job of commission agents, the farmers will also be at a loss as they are dependent on commission agents for loans because banks are hesitant to lend money to the poor farmers. The biggest fear in the Bill is losing the MSP. Today, in the current farm crisis, farmers are heavily dependent on MSP. If the MSP is withdrawn, farming will no longer be a profitable venture. Further, allowing the farmers agreements, the big players and companies will capture farming which will harm the small and marginal farmers. Once the private grain markets are established, the traditional grain market will become history.

With these words, I oppose the Bill and request the Government to withdraw the Bill.

(ends)

(pp. 332-A)

(2020/SPS/KMR)

2020 hrs.

*SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR): Mr. Chairman Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to participate in the discussion on two bills pertaining to farmers.

Sir, farmers are called 'Givers of foodgrains'. They grow foodgrains and feed millions of people. The farmers are themselves half-fed but they provide food-grains to millions of people in the country. These bills seek to turn the farmers into beggars. The farmer writes on his tractor a line: 'King of the cultivable land'. सर, उसके खेतों का राजा ट्रैक्टर है, वह भी बिकाऊ हो जाएगा।

Sir, farmers have had to sell their kidneys in Punjab to sustain themselves and marry off their daughters. Farmers do not have anything else to sell. They were left only with the land. Now, the land of farmers is being given to MNCs and corporates on a platter.

Sir, on Discovery and National Geographic Channels, we see lions hunting. But, later hyenas come in a group and snatch away the hunt from the lions. Lions feel helpless as their quarry is taken away. These bills have made the condition of our farmers like the helpless lions.

Sir, the Punjabi farmers made the land of Terai at Uddham Singh Nagar near Nainital very fertile. They cut the jungles and fought with lions to cultivate this land. Those who can fight with lions should not be messed with.

Sir, earlier the tractor trailer of a farmer used to have slogans like 'Jai Jawan, Jai Kisan' painted on it with the photos of a soldier and a farmer adorning the trolley. But, nowadays, the photos of farmers committing suicides and soldiers getting martyred are being published everywhere.

Sir, Punjabi poet Sant Ram Udasi has rightly said regarding labourers and farmers – "The Jat farmer is crying, tears are trickling down his checks, his fate is in chains. …"

Now, everything is being snatched away from the farmer. This bill must be taken back. We strongly condemn and oppose these Bills tooth and nail.

(ends)

----

*Original in Punjabi.

2022 बजे

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): माननीय सभापति जी, धन्यवाद। कृषि और किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों को अधिनियमित करने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा दो बिल – कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (सवंर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 आज प्रस्तुत किए गए हैं, मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

सभापति जी, वास्तव में इन विधेयकों का उद्देश्य किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, उनकी आय को बढ़ाना, कृषि के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना, एफपीओ का गठन और संवर्धन, कृषि उपज हेतु एक बाजार बनाना, उचित फसल के चुनाव के साथ-साथ उच्च मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करके मध्यस्थों की भूमिका को सीमित करना और बुआई से पहले खरीदार से समझौते करने की अनुमति व संरक्षण हेतु कानूनी ढांचा बनाना, बाजार सूचना मूल्य गारंटी व जोखिम को खत्म करना है। इस तरह से यह अधिनियम किसानों को उच्च आय के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा अपनी फसल का प्रतियोगी मूल्य हासिल करने का अवसर देगा, जो प्रधान मंत्री जी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'आत्मनिर्भर भारत' व आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक बड़ा कदम होगा।

महोदय, जिस तरह से समृद्ध कृषि संभावनाएं हमारे देश में हैं और अच्छा उत्पादन होता है, उसके बावजूद किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि किसानों को अपनी फसल बेचने की स्वेच्छा, किसी मंडी में ले जाना और अपनी उपज का दाम तय करने का पूरा अधिकार मिले। इसके लिए आवश्यक था कि इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए जाएं, उसी के अंतर्गत यह कानून लाया गया है और यह अधिकार किसानों को मिला है। इसमें सरकार ने पूरी तरह से कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक में प्रस्तुत किया है, जिससे देश के किसानों की शेष दुनिया के जो किसान हैं, उनके साथ बराबरी हो पाएगी।

यह कानून किसानों को बुआई पूर्व फसल तय करने, उच्च गारंटीयुक्त मूल्य प्राप्त करने, सूचनाएं ग्रहण करने, खरीददार से समझौता करने व मनचाहा बाजार प्राप्त करने के साथ ही किसी विवाद की स्थिति में भी कानूनी संरक्षण देगा। कई दशकों से हमारे देश के किसान कई कारणों से प्रतिबंधित रहे हैं। छोटी जोतें, मौसम पर निर्भरता के कारण अनिश्चितता तथा अप्रत्याशित मंडी का व्यवहार और कृषि में जोखिम के कारण एक प्रभावी कानून की आवश्यकता थी।

(2025/MM/SNT)

यह कानून अन्य प्रासंगिक प्रविष्टियों के साथ पढ़े गए संविधान की सातवीं अनुसूची–III (समवर्ती सूची) को प्रविष्टि 33 के तहत अधिनियमित किया गया है। 33वीं समवर्ती सूची में व्यापार तथा वाणिज्य में खाद्य सामग्री, जिसमें खाद, तिलहन व तेल भी शामिल हैं, इस कानून द्वारा किसान अपनी फसल, जिसका व्यवसायिक उपयोग करने के लिए दूसरे लोग स्वतंत्र थे, परंतु किसान स्वतंत्र नहीं था, उसको भी अब अधिकार मिला है। आज हमारे बहुत सारे साथियों ने यहां पर विधेयक का

विरोध किया है। उन्होंने 4-5 चीजों को लेकर विधेयक का विरोध किया है। पहली बात तो उन्होंने कही है कि केन्द्र सरकार को यह कानून लाने का अधिकार नहीं था। उनको मैं कहना चाहता हूं कि समवर्ती सूची में यदि प्रविष्टि 33 का उपयोग करते हुए अगर केन्द्र कानून बनाता है तो राज्य के भीतर भी व्यापार और वाणिज्य के राज्य सरकार के कानून केन्द्र सरकार के अद्यधीन ही रहेंगे। कृषि मंडियों को लेकर चिंता जताई गयी थी। दोनों नये विधेयकों में कृषि बाजार और मंडी स्थल के व्यापार में हस्तक्षेप न करके मंडी के बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता किसानों को प्रदान करते हैं। तीसरी बात एमएसपी की कही गयी थी। एमएसपी के लिए सीधा है कि जब हम करार करके मूल्य का निर्धारण करेंगे तो निश्चित रूप से वह एमएसपी से ऊपर होगा। चौथी बात उन्होंने कृषि भूमि को लेकर कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि व कृषि आय को लेकर जताई गई चिंता इस विधेयक में पूर्व में प्राप्त किसानों के लिए…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री हेमन्त पाटिल, आप अपना भाषण प्रारम्भ कीजिए।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): सर, मैं खत्म कर रहा हूं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक वाक्य बोल दीजिए।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): सर, मैं एक वाक्य में बोल रहा हूं। इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि जो भी प्रायोजक होंगे, वे कृषि भूमि में न तो उसके मालिकाना हक के लिए कोई करार कर पाएंगे और न ही उसमें स्थायी परिवर्तन करने की उनको छूट होगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए सबसे सहयोग करने की अपील करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

2027 बजे

श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली): सभापति महोदय, मैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 का समर्थन करता हूं। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। इस देश में दो एकड़ से कम खेती करने वाले 86 परसेंट किसान हैं। इस बिल के माध्यम से किसानों को अपनी उपज किसी को भी बेचने का अधिकार प्राप्त हुआ है। मैं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर साहब, चौधरी जी और रूपाला जी का अभिनंदन करता हूं। पहले किसान एपीएमसी एक्ट के दायरे में आते थे और इस एक्ट के तहत किसान अपनी उपज मंडियों के लाइसेंसधारी आढ़तियों को ही बेचने के लिए बाध्य होते थे। महाराष्ट्र में तो साखर सम्राटों ने जोनबंदी कानून लगा रखा था, जिससे गन्ना किसानों को अपने पास बंधित कर लिया था।

दूसरा, विभागों में यदि अच्छे दाम मिलते, फिर भी किसान उसकी उपज दूसरे जगह बेच नहीं सकता था। कुछ आढ़ती, बिचौलिये और दलादल मनमाने ढंग से तय करते थे कि किसानों को क्या भाव मिले। इस बिल के तहत किसानों को अंतर्राज्यीय कारोबार करने की छूट मिल गयी है। आज देश का उपभोक्ता जब 25 रुपये किलो पर प्याज खरीद रहा है तब किसानों को प्रति किलो 1 रुपया मिल रहा है। आज किसानों को इन दलालों की बेढ़ियों से मुक्त करने के लिए उसकी उपज का वाजिब दाम मिलने की जरूरत है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि चौधरी साहब आप किसान के बेटे हैं, आपने इस विधेयक में एक भुगतान करने के लिए तीन दिन की अवधि दी है। अगर आप मार्किट में कोई टीवी या कोई चीज खरीदने जाएं और आज खरीदकर तीन दिन बाद पैसा देंगे तो क्या ऐसा हो पाएगा? इसके लिए उसी समय इधर कांटा हो और उधर नोटा, इधर कांटा होगा और उधर पैसे मिलेंगे तो ही हिन्दुस्तान का किसान बचेगा, नहीं तो हमारा किसान बच नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि जिला कलेक्टर के पास जो भी इस बारे में विवाद जाएगा, वह 30 दिन में होगा। कलेक्टर से मिलने के लिए वैसे ही टाइम नहीं मिलता है तो किसान कब उसके पास जाएगा? यह जो विवाद होगा यह ताल्लुक स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर निबटाया जाए, यही मेरी विनती है।

महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र में किनवट विभाग में आदिवासी विकास महामण्डल और नाफेड द्वारा मक्का और ज्वार की खरीदारी किए हुए चार महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। मेरी विनती है कि आप जल्दी से जल्दी इसका भुगतान करवाएं।

(इति)

(2030/SJN/GM)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : अगर सदन की अनुमति हो, तो क्या विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

माननीय सभापति : ठीक है।

...(व्यवधान)

2030 बजे

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। महोदय, मुझे सात मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि यह पंजाब के लिए बहुत जरूरी है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बस दो मिनट दिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी बहुत सारे वक्ता बचे हैं। आप अपनी बात शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब) : महोदय, हमारे सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट चाकरी। हमारे धर्म में भी खेती को बड़ा ही पवित्र दर्जा दिया गया है। खेती को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। पंजाब का किसान अपनी मिट्टी और अपने खेत को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। आज यह जो बिल आ रहा है, इसकी वजह से जो हमारा किसान है, उसको अपनी मिट्टी और अपने खेत से दूर किया जा रहा है, जो कि किसी को भी सहन नहीं होगा। अगर हम पंजाब में मंडीकरण की बात करें, तो हमारे यहां 2,000 मंडियां हैं। पंजाब में मंडीकरण का सबसे बढ़िया सिस्टम है। कोई किसान अपनी फसल लेकर आता है, वह तीन घंटे में अपनी फसल बेचकर अपने घर वापस चला जाता है। इस मंडीकरण की कम से कम पंजाब में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब हम छोटे बच्चे थे, तब से हम यह सुनते आ रहे हैं कि जय जवान, जय किसान। जवान गलवान में मर रहा है और किसान आज इस पार्लियामेंट में मारा जा रहा है।

महोदय, किसानी एक ऐसी चीज है, जब हमारी जीडीपी नीचे जा रही है, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो खेती ही एक ऐसा साधन है, जिसने 3.4 प्रतिशत की ग्रोथ की है। हम उस ग्रोथ को भी पूंजिपतियों को देने जा रहे हैं, ताकि वे इससे भी पैसे बना लें। यह होगा, जैसे जियो आया था, तो उसने सभी मोबाइल कंपनियों को खत्म कर दिया था। ऐसे ही बड़े-बड़े लोग आएंगे, छोटे किसानों, छोटे मजदूरों, जिसको हम एमएसएमई भी कहते हैं, जिसको मोदी साहब बहुत बढ़ाना चाहते हैं, तो उसे खत्म कर दिया जाएगा।

महोदय, आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं। आज मुझे बड़ी आस थी कि प्रधान मंत्री जी के जन्मदिन पर कृषि मंत्री जी कोई तोहफा देंगे। तोहफा तो ऐसा दिया है कि आज सारा का सारा किसान सड़कों और पुलों पर बैठा हुआ है। मंत्री जी के बोल बहुत मीठे थे। मुझे लगा कि आज डॉ. स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को इस बिल के जरिए लागू किया जाएगा और किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। लेकिन उन मीठे बोलों के पीछे एक ऐसा शब्दों का जाल बुना है, जो किसानों को उनकी कब्र तक पहुंचाकर ही छोड़ेगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मेरी यह विनती है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए।...(व्यवधान)

महोदय, बस एक मिनट और दे दीजिए। मैं सुखबीर सिंह बादल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न चाहते हुए भी इस बिल का विरोध किया है। यहां पर मेरी बहन जी बैठी हुई हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। बहन जी, यह जो आपका डिपार्टमेंट है, आप उससे इस्तीफा देकर उसको किसानों के सिर पर मारकर यहां पर जमा करवा दीजिए और आज़ाद हो जाइए।...(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : श्री शान्तनु ठाकुर – उपस्थित नहीं।

श्री मलूक नागर जी।

...(व्यवधान)

2034 बजे

श्री मलूक नागर (बिजनौर) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज प्रधान मंत्री जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि वे भी सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मुबारकबाद भेजते हैं। मैं ऊपर वाले परमात्मा से यह कामना करता हूं कि इस कोरोना की महामारी के बाद बेरोजगारी की समस्या, देश की जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसकी समस्या और जो किसानों की स्थिति खराब हो रही है, प्रधान मंत्री जी उससे निपटने में कामयाब हों।

माननीय सभापति जी, आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। आज के इस बिल में गन्ने के लिए क्या है, वह मुझे दिखाई नहीं दिया है। दूसरे, सभी लोग यह कह रहे हैं कि हमने बिचौलिए निकाल दिए हैं। अरे भाई, अगर बिचौलिए निकाल दिए हैं, तो जो किसानों की फसलों को खरीदेंगे और जो एक साल में यह एज्यूम करते हैं कि उनका डेढ़ गुना पैसा हो जाएगा, अगर वे बिचौलिए और दलाल नहीं हैं, तो वे फिर क्या हैं? अगर सरकार को किसानों की मदद करनी है और नगद पेमेंट देनी ही है, तो उनके लिए कम से कम पैसे और लोन की व्यवस्था कराई जाए, जिससे किसानों का काम हो जाए।

(2035/GG/RK)

जो डेढ़ गुना प्रॉफिट बिचौलियों को होगा, वह प्रॉफिट किसानों को हो जाए। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ, जो देश को खाना खिलाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करती रही है। आज उसी तरह, बीजेपी भी उसी रास्ते पर जा रही है। …(व्यवधान) सर, सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान देख रहे हैं, आप मेरा माइक बंद करोगे तो …(व्यवधान)। हम सुखबीर सिंह बादल जी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने कम से कम अपनी बात रखी। प्रजातंत्र और लोकतंत्र होना चाहिए। बीजेपी को भी, सरकार को भी अपने साथियों की बात सुननी चाहिए। …(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री एम.के. राघवन।

प्लीज़ दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें। बहुत से वक्ता बोल चुके हैं। संक्षेप में बोलिएगा।

2036 hrs.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Thank you, Chairman, Sir, for giving this opportunity. I strongly oppose these two major Bills. I also associate myself with the hon. Minister, Shrimati Harsimrat Kaur, who has vehemently opposed these Bills. I congratulate her for having taken a bold decision to resign from Modi Government to fight for the farming community.

I would request the hon. Minister to better change the Title of this Bill as it will not attract the farmers but the corporators. We can call this Bill as the Corporators (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill.

How does this Bill affect farmers? These set of Bills form the crux of the Government's neo-liberal policy aimed at writing off our agri-resources to greedy corporates. The Government has decided to favour sponsors by way of introduction of agricultural contracts. In this context, farmers are facing a burning situation in the country. They have already started massive agitation against this Bill.

Has the Government violated cooperative federalism by way of this Bill? Yes, they have. Agriculture, listed under Entry 14 of the State List, comes well within the legislative domain of the States. States must be consulted before such a move is being made. But here the Centre has failed to bring in effective consultation of the States by evoking legislation under Entry 33. Hence, we see a parliamentary haste into making a law that affects the States the most by exploiting the COVID-19 pandemic situation.

(ends)

2038 बजे

श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव): सभापति महोदय, हम आज यहां किसानों, कृषि क्षेत्र और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने हेतु धन्यवाद।

मैं देश के किसानों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हूँ और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 के समर्थन में बोल रहा हूँ।

महोदय, यह अध्यादेश किसानों के लिए ऐतिहासिक पल के रूप में भी देखा जाएगा, क्योंकि पूरे देश ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र दामोदार मोदी जी के नेतृत्व में आपदा के समय को अवसर में तब्दील किया है। इस समय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश के समक्ष 'आत्मनिर्भर भारत' के माध्यम से विशेष पैकेज का ऐलान किया गया।

'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत, हमारे देश के करोड़ों किसानों को समृद्ध बनाने में सहायता करने के लिए ऐतिहासिक सुधारों और विशेष वित्तीय पैकेजों की एक श्रृंखला की घोषणा की गयी है। इस अध्यादेश से किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे, आश्वस्त लाभ होगा, जोखिम कम होगा और मंडी सूचना प्रणाली सृजन होगी। कई योजना जैसे पीएम-किसान के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ, तीन ऐतिहासिक अध्यादेश, कृषि अवसंरचना कोष, एक राष्ट्र-एक मंडी और प्लाटफॉर्मों में प्लॉटफॉर्म के रूप में ई-नाम – नैशन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का लक्ष्य कुछ प्रमुख पहलु हैं।

(2040/KN/PS)

इस तरह की चुनौतियों को दूर करने हेतु एवं किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए किसानों से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए और इन समस्याओ का आसानी से दीर्घ अवधि समाधान हो, इसके लिए सरकार मजबूत कदम उठा रही है।

सर, इस विषय को देखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें निर्यात बाजार और अधिक प्रभावशाली…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप समाप्त कीजिए।

श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव): सर, एक सैकेंड, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं दु:ख के साथ बोल रहा हूँ कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सरकार केन्द्र सरकार की योजना से राज्य के किसानों को वंचित रख रही है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि अभी देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और बंगाल के किसानों की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। इसलिए राज्य सरकार राजनीति से हट कर मानवता का साथ दे और पश्चिम बंगाल के किसानों को देश के विकास में अपनी भागदीरी का मौका दे। धन्यवाद।

(इति)

2041 hours

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020.

Sir, our country got Independence 74 years ago. However, our farmers are now enjoying the real independence. Today is the birthday of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. On this auspicious day, these bills are brought in for discussion. I, wholeheartedly, support these two bills as they will give better prices to the produces in the nationwide market. Farmers are getting freedom to choose their buyers. It is unfortunate that the Opposition parties have not done any good for the farmers except making false promises during the elections. Our BJP government has taken this historical step for the welfare of our farmers. However, I feel sad as the Opposition parties are not allowing us to do this wonderful work. I am unable to understand their intention as to why they are opposing it if the farmer is getting a better price by selling the produces in the free market, where the buyers from countrywide participate.

As we are aware, in the last 65-70 years, all the Government schemes and programmes failed to reach the beneficiaries as the benefits were swallowed by middlemen. People were getting only 30% of the benefit. Now, our Government has taken a significant step to allow the farmers to sell their products directly.

Sir, I express my wholehearted thanks to the hon. Prime Minister, hon. Minister of Agriculture and Farmers' welfare for bringing these important bills. So, once again, I support this bill and conclude my speech. Thank you, Sir.

(ends)

----

*Original in Kannada

(2040/KN/PS)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

2042 बजे

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। आज खेती, किसानी से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिलों पर काफी लम्बे समय तक चर्चा हुई। अभी पौने 9 बज रहे हैं और अभी भी इसे पूरा होने में समय लगेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बिल पर सभी दलों के प्रमुख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ लोगों ने विरोध किया है, कुछ ने समर्थन किया है, कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप से अपनी बात रखी है, कुछ लोगों ने इसे काला कानून बताया, कुछ लोग काले कपड़े पहन कर ही सदन में आ गए तो भिन्न-भिन्न तरीकों से अपना संदेश देने की कोशिश की है। मैं उन सब सदस्यों के प्रति हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस अवसर पर सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और सम्पूर्ण देश के किसानों को यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि देश में नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं। नरेन्द्र मोदी जी के रहते हुए न तो कभी गाँव, गरीब, किसान का अहित हुआ है और न ही आने वाले कल में होगा। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक और कीमत आश्वासन का विधेयक दोनों लाए गए हैं, ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विधयेक हैं।

(2045/CS/RC)

आप किसी कानून को सिर्फ आज एक कानून की नजर से देख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी ने जब काम संभाला, तब से लगातार गाँव, गरीब, किसान और खेती आगे बढ़ी है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रधान मंत्री जी की लगातार यह कोशिश रही है। आज कानून आ रहा है, लेकिन अगर इस कानून के आने से पहले की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ध्यान में आएगा, वर्ष 2009-10 में यूपीए की सरकार थी, उस समय कृषि मंत्रालय का बजट 12 हजार करोड़ रुपये होता था और आज मोदी जी की सरकार है, एक लाख 34 हजार करोड़ रुपया कृषि का बजट है। अगर मोदी जी की प्रतिबद्धता खेती के प्रति नहीं होती, किसान के प्रति नहीं होती तो क्या ये बजट प्रावधान आज भारत सरकार में होते?

दूसरा, आज तक कभी भी वर्ष भर में 75 हजार करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसान की जेब तक पहुँचे, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। पीएम किसान योजना के माध्यम से आय सहायता की योजना प्रारम्भ की गई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज तक 92 हजार करोड़ रुपया सीधा किसान के एकाउन्ट में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हुआ है। किसान उन्नत हो, किसान ताकतवर हो, किसान संगठित हो, किसान को किसानी के लिए तकनीकी समर्थन मिल सके, इस दृष्टि से 10 हजार देश में नए एफपीओ बनाने की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा की गई है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, इस पर काम प्रारम्भ हो गया है और 6, 850 करोड़ रुपया एफपीओ को समर्थन देने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। आम तौर पर छोटी-छोटी योजनाओं के माध्यम से किसानी के क्षेत्र के कुछ सब्सिडी देने का काम हुआ करता था,

लेकिन पहली बार जो किसानों को ऋण मिलता था, वह 8 लाख करोड़ था। नरेन्द्र मोदी जी ने तय किया कि किसानों को 15 लाख करोड़ रुपये तक का ऋण मिले। जब कोविड के बाद आत्मनिर्भर पैकेज की बात आई तो कृषि अवसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई। फिशरीज के लिए 20 हजार करोड़, पशुपालन के लिए 15 हजार करोड़, हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10 हजार करोड़ और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई और यह सिर्फ घोषणा नहीं है, 8 जुलाई, 2020 को कृषि अवसंरचना पैकेज की मंजूरी मंत्री परिषद से हुई। एक महीने के भीतर 9 अगस्त के दिन प्रधान मंत्री जी के हाथों 1128 करोड़ रुपये का ऋण इस पैकेज के अंतर्गत देश भर में सहकारी समितियों को प्रदान कर दिया गया। आज यह बढ़कर लगभग 15 सौ करोड़ रुपया हो गया है। इन 5 वर्षों में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि बुवाई का रकबा बढ़े, जैविक खेती का रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उपार्जन बढ़े और इस दिशा में लगातार सफलतापूर्वक सरकार काम कर रही है।

(2050/RV/SNB)

आज जो बहुत-सारी बातचीत हुई, उस बातचीत में बहुत सारे लोगों ने मुख्य रूप से एम.एस.पी. की बात की है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। स्वामीनाथन साहब ने कृषि सुधारों के मामले में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की थीं। कांग्रेस के हमारे मित्र भी एम.एस.पी. की बात कर रहे थे। यू.पी.ए. की सरकार दस साल रही, पर स्वामीनाथन साहब की अनुशंसाओं को मंजूर नहीं किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपने भी नहीं किया।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: यह मोदी सरकार है, जिन्होंने एम.एस.पी. को डेढ़ गुणा करने का निर्णय किया।

वर्ष 2015-16 में धान का एम.एस.पी. 1410 रुपये प्रति क्विंटल था और वर्ष 2019-20 में यह 1815 रुपये प्रति क्विंटल है। वर्ष 2014-15 में गेहूं का एम.एस.पी. 1525 रुपये प्रति क्विंटल था, आज यह 1925 रुपये प्रति क्विंटल है। मूंगफली का एम.एस.पी. 4,030 रुपये प्रति क्विंटल था, आज यह 5,090 रुपये प्रति क्विंटल है। सोयाबीन का एम.एस.पी. 2600 रुपये प्रति क्विंटल था, आज यह 3,710 रुपये प्रति क्विंटल है। चना का एम.एस.पी. 3500 रुपये प्रति क्विंटल था, आज यह 4,875 रुपये प्रति क्विंटल है।

महोदय, जहां तक धान के एम.एस.पी. पर उपार्जन का सवाल है, तो यू.पी.ए. सरकार वर्ष 2009 से 2014 तक थी। उस समय 1670 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, जिस पर 2,88,770 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार आई। वर्ष 2014 से 2019 तक 1870 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जिस पर 4,34,788 रुपये खर्च हुए। यह धान का है।

जहां तक गेहूं की बात है तो वर्ष 2009 से 2014 के बीच 1395 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई और उस पर 1,68,000 करोड़ रुपये खर्च हुए। वर्ष 2014 से लेकर 2019 के बीच एन.डी.ए. सरकार में 1457 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई और उस पर 2,27,000 करोड़ रुपये खर्च हुए।

वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक दलहन और तिलहन की जो खरीद हुई, उसमें 5.4 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद हुई और तिलहन की खरीद 50.5 लाख मीट्रिक टन हुई। एन.डी.ए. के छ: वर्ष के काल में, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2020 तक 100 लाख मीट्रिक टन दलहन खरीदा गया और 56 लाख मीट्रिक टन तिलहन खरीदा गया। कुछ राज्यों को छोड़ कर, जो राज्य बिल्स का विरोध भी कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर किसानों को इनके एम.एस.पी. के दाम डी.बी.टी. के माध्यम से दिए जा रहे हैं।

2054 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

इसी प्रकार से, अगर हम देखेंगे तो मैं बहुत सारे आँकड़े बता सकता हूं, जिनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने स्वामीनाथन साहब की अनुशंसाओं को स्वीकार करके एम.एस.पी. को डेढ़ गुना बढ़ाया। लोगों को ज्यादा एम.एस.पी. मिली, ज्यादा उपार्जन हुआ और मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि देश में एम.एस.पी. पर खरीद हो रही थी, खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से किसानों से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि वे राजनीतिक दृष्टि से किए गए किसी भी दुष्प्रचार से प्रभावित न हों। देश में भारत सरकार नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और यह सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

(2055/MY/SRG)

जहाँ तक दोनों एक्ट्स का सवाल है, अब कुछ लोगों के भाषणों से ऐसा लगा कि अचानक ही कुछ हो गया और कुछ लोगों ने काला कानून तक कह डाला। मुझे किसी ने कहा कि हमारे कुछ मित्रों ने उस एक्ट की प्रतियों को फाड़ दिया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है। मैंने इस सदन में एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को उन्हीं के पार्टी की प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए एक्ट को लोक सभा में फाड़ते हुए मैं ने देखा है। इसलिए, मुझे इस मामले में कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है।

दूसरा, मैंने आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो रिफॉर्म है, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 9 अप्रैल, 2005 को दिल्ली में एग्रीकल्चरल समिट हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी वस्तु एवं सेवाओं के लिए स्थानीय मार्केट को एकीकृत किए जाने हेतु उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।

अब समय आ गया है कि कृषि उत्पादों के लिए हमें पूरे देश को एक कॉमन तथा सिंगल मार्केट बनाना है। एक राष्ट्र - एक मार्केट की बात जो इस बिल में है, उसे मनमोहन सिंह जी ने उस समय उद्धृत किया था। हमें व्यवस्थित तरीके से आंतरिक नियंत्रण एवं बाधाओं को हटाना है। हमें किसानों, एनजीओ, सहकारी संस्थाओं एवं प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष विपणन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह माननीय मनमोहन सिंह जी का बयान है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि काँग्रेस पार्टी का जो घोषणा-पत्र है, उसमें साफ-साफ कहा गया है। यह काँग्रेस पार्टी का घोषणा-पत्र है। अब घोषणा-पत्र पर तो प्रतिबद्ध लोगों को रहना ही चाहिए। इस घोषणा-पत्र के आधार पर ही देश में पार्टी के प्रति लोग धारणा बनाते हैं। इस घोषणा-पत्र में 17वें पेज पर देखिए, बिंदु क्रमांक 11 और 21 हैं। बिंदु क्रमांक 11 में कहा गया है कि

काँग्रेस पार्टी कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। यह काँग्रेस पार्टी का घोषणा-पत्र है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने पहले भी आग्रह किया था कि कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर नहीं बोले। मास्क खोलकर और खड़ा होकर तो बिल्कुल ही नहीं बोलें।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: दूसरे, बिंदु क्रमांक 21 को देखें, कल एशेन्सियल कमोडिटी एक्ट पर चर्चा हुई। हमारे मित्रों ने विरोध भी किया। बिंदु क्रमांक 21 पर लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरुरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनाएंगे, जो विशेष आपात परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकेगा। हमने क्या कहा, बल्कि यह काँग्रेस का घोषणा-पत्र है। इसी प्रकार से अगर आप पंजाब काँग्रेस पार्टी का घोषणा-पत्र देखेंगे तो काँग्रेस के घोषणा-पत्र में ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें मेरे घोषणा-पत्र में भी हैं।

(2100/CP/RU)

मैं अपने घोषणा पत्र के प्रति प्रतिबद्ध हूं, मेरी पार्टी भी प्रतिबद्ध है, इसलिए यह कानून बनाने के लिए यहां आए हैं। पंजाब का देखें, तो पंजाब के घोषणा पत्र में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है।

दूसरा, स्वामीनाथन साहब की बात बहुत की जाती है। एक एमएसपी का तो मैंने बता दिया। आप मांग करते हो तो उनकी जो रिकमेंडेशन है, उनके लिए आपको लड़ाई भी लड़नी चाहिए। रिकमेंडेशन को अमल करने के लिए जब हम आते हैं, तो लोग विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। स्वामीनाथन साहब ने कहा कि राज्यों को निर्देश देना चाहिए कि वे निश्चित अवधि में अपने ऑडिटेड रिकार्ड जमा करें, ताकि लाभार्थियों को एमएसपी पर उपार्जन का फायदा तत्काल मिल सके। अनाज और व्यावसायिक फसलों पर अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली को रिव्यू किया जाना चाहिए। अनिवार्य मंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि मंडियों में उपलब्ध अधोसंरचना के इस्तेमाल पर सर्विस चार्ज लिया जाना चाहिए। वर्तमान विधेयक, जो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यह आने वाले कल में मंडियों की अधोसंरचना को विकसित करने की दृष्टि से भी प्रेरित करेगा। एक राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए। संविदा खेती के माध्यम से मार्केट लिंकेज स्थापित करना चाहिए। आज हम मार्केट लिंकेज स्थापित करने के लिए एक्ट लाए हैं, तो आप स्वामीनाथन साहब की बात नहीं मानना चाहते।

शरद जोशी जी श्वेतकारी संगठन के नेता थे और इस देश के बहुत बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों की समस्याओं पर अनुसंधान भी किया और किसानों के लिए जीवन भर संघर्ष भी किया। शरद जोशी जी क्या कहते हैं? किसान व्यापारियों के एकाधिकार पर निर्भर है एवं एपीएमसी एक्ट इसका मुख्य कारण है। दूसरा, वह बोलते हैं कि हम अपने किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए कह रहे हैं, जबकि वह मंडी सिस्टम की जंजीरों से बंधे हुए हैं। यह शरद जोशी साहब ने कहा है। तीसरे पाइंट पर वे कहते हैं कि ईसी एक्ट और एपीएमसी एक्ट खत्म कर देने चाहिए और कृषकों को विभिन्न नियम कानूनों से आजाद किया जाना चाहिए। आज शरद जोशी साहब की जो बात कही गई है, उसको नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में अमल किया जा रहा है। आज के बाद किसान को अपनी फसल बेचने के लिए आजादी प्राप्त हो जाएगी।

नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की 2006 में सिफारिशें आईं। उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें कीं, मंडी टैक्स को हटाने के लिए सिफारिश की, टैक्स खत्म करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा होगी, प्राइवेट मंडियां खोलने की बात कही और उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के समय मंडी आवश्यक थी, लेकिन मंडी की कार्य प्रणालियों में पारदर्शिता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि आंतरिक व्यापार संबंधी सभी बाधाओं को हटाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संविदा खेती भारतीय खेती के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे प्राथमिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। यह फार्मर्स कमीशन की रिपोर्ट है।

अब इसके साथ ही, अगर हम थोड़े और आगे आ जाएं तो ध्यान में आएगा कि 2007 में यूपीए गवर्नमेंट थी। उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने मॉडल एपीएमसी नियम बनाकर राज्यों को लागू करने के लिए कहा था। उस समय क्या स्थिति थी? मंत्रिमण्डल के सेक्रेटरी ने अप्रैल, 2011 में सुझाव दिया था कि कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ाया जाए एवं कृषि मंत्रालय ने एक कृषक उत्पाद अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य विकास और विनियम विधेयक, 2012 भी तैयार किया था। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय फलों और सब्जियों पर एपीएमसी अधिनियम से उनको बाहर करने की बात कही गई थी।

(2105/NK/NKL)

उस समय कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और हरियाणा ने इसे लागू किया था। हुड्डा जी ने इसका उद्घाटन किया था। मैं आज आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण रख सकता हूं। आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने किसी न किसी समय इन सारे कानूनों की वकालत करने का भी काम किया है। आज निश्चित रूप से उनका विरोध है, वह काल्पनिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है लेकिन धरती से जुड़ा हुआ नहीं है।

मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, उसका समय तय होता है। एक महीना या बीस दिन समर्थन मूल्य पर खरीद हो गई, उसके बाद किसान की गारंटी कौन लेता है? उसके बाद भी उसका उत्पादन बचा रहता है, उसको वह मंडी में आकर बेचता है। जब हमने यह बात कही है कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी तो किसी मंडी वाले व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आज जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम पचास व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, 50 की जगह 500 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे। जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि जब स्वाभाविक रूप से बाहर प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका फायदा किसानों को ही मिलेगा।

यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, मजदूर को नुकसान हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अभी एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंसधारी है, वह उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है, इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, किसान भी स्वतंत्रतापूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेचने के

लिए आजाद होगा और व्यापारी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। जहां ट्रेड होगा, जहां माल की ढुलाई होगी, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोगों ने ई-प्लेटफार्म की बात कही है, जो कुछ लोगों को पोसाती नहीं है। स्वाभाविक रूप से बिचौलियों की एक ताकतवर भूमिका रही है लेकिन आप सभी जानते हैं कि मोदी जी पारदर्शिता प्रेमी आदमी हैं और पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने के लिए किसी भी सीमा तक जाते हैं। उसी का परिणाम है कि आज चाहे गैस सब्सिडी का मामला हो, चाहे पीएम किसान योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डालने की बात हो, इसमें एक भी बिचौलिया नहीं है। एक जमाना था और कहा जाता था कि दिल्ली से सौ रुपये भेजते हैं तो गांव में पन्द्रह रुपये जाते हैं। आज आप दावे के साथ कह सकते हैं कि सौ भेजते हैं तो सौ के सौ जाते हैं।

पिछले दिनों हम लोगों ने ई-नाम प्रोजेक्ट पर खरीद शुरू की। इसमें पहले 585 मंडियां जोड़ी गई थीं, अब हजार मंडियों पर काम हो रहा है। ई-नाम प्लेटफार्म पर 35,000 करोड़ रुपये का काम हुआ है। इस एक्ट के बाद तमाम सारे जिलों और ब्लॉक स्तरों पर ई-नाम प्लेटफार्म खड़े होंगे। हम उन प्लेटफार्मों के माध्यम से पारदर्शिता से ट्रेड करेंगे। कोई भी ई-प्लेटफार्म, कोई भी व्यापारी अमानत में खयानत नहीं कर सकता है।

(2110/MK/KSP)

मंडी का कोई भी कानून किसान को तीन दिन में पेमेंट की गारंटी नहीं देता। आज का यह विधेयक किसान को तीन दिन में पेमेंट होने की गारंटी देता है। मैंने पहले जो कहा था कि व्यापारी बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ई-प्लेटफार्म बढेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पढ़े-लिखे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। इसलिए, मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में एक्ट के कारण, एक लाख करोड़ के कृषि असंरचना कोष के कारण और किसान की बढ़ती हुई आय के कारण जो परिस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे डेवलप होगा, उससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी, समृद्धि आएगी और किसान की आय बढ़ेगी। अभी तक हम किसान की सामान्य माली हालत पर विचार करते थे। कुछ योजनाएं चालू करके हम उसकी मदद कर देते थे। लेकिन, पहली बार हमारे इस मूल्य आश्वासन और कृषि करार विधेयक के माध्यम से किसान के खेत की फसल की बात शुरू हुई है। हम मूल्य आश्वासन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहकर आलोचना कर देते हैं। यह करार तो है, लेकिन यह करार किसी कार्पोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है। यह करार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है। बात कोई भी राजनीतिक दल करे, बात कोई भी नेता करे, लेकिन किसान के फार्म पर जाकर उसकी मदद कोई नहीं करता है। देश में 86 परसेंट छोटे किसान हैं। ये जो 86 परसेंट छोटे किसान हैं, इनकी खुद की अपनी माली हालत ऐसी नहीं है कि अपने खेत में निवेश कर सकें। वह छोटा किसान है। उसके खेत का रकबा छोटा है। इसलिए, कोई भी प्रोसेसर, उद्योगपति, व्यापारी, स्टार्ट-अप उसके पास नहीं पहुंच पाता। ये संगठित हों। ये इकट्ठे हों। छोटा-छोटा रकबा मिलकर एक एफपीओ के माध्यम से बड़ा रकबा बने, बड़े वॉल्यूम की पैदावार हो और बड़े वॉल्यूम का करार भी हो तो निश्चित रूप से फायदा किसको होगा? हमारे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए, जो लोग विधेयक की आलोचना कर रहे

हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि ये जो दोनों एक्ट हैं, ये दोनों एक्ट कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने वाले हैं। जहां तक किसान के संरक्षण का सवाल है, मेरी बहुत सारे राज्य सरकारों से बात हुई है, आज किसान के साथ अन्याय होता है तो किसी राज्य में कौन-सा कानून है, जिससे उसकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन, इन कानूनों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अमानत में खयानत करेगा तो उसकी सुरक्षा का प्रावधान इन दोनों एक्टों में किया गया है। मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत करारकर्ता और किसान जब दोनों आपस में करार करेंगे तो यह करार ऐसा करार नहीं होगा कि कोई किसी गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर सके। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि करार करते समय भूमि से संबंधित कोई भी करार नहीं होगा। अगर किसी ने भी भूमि से संबंधित लिखा-पढ़ी की तो यह कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। इसका विधेयक में प्रावधान नहीं है।

(2115/YSH/KKD)

दूसरी बात यह है कि अगर किसान की जमीन पर करारकर्ता उसके साथ मिलकर काम कर रहा है और कोई फसल ऐसी है, जिसके लिए उसको कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है तो इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनों की रजामंदी से बन तो सकता है, लेकिन उस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किसान का ही स्वामित्व होगा, करारकर्ता का कोई स्वामित्व नहीं होगा। करार जिस दिन खत्म होगा, उस दिन करारकर्ता या तो अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को उखाड़कर ले जाएगा और अगर नहीं उखाड़ेगा तो किसान ही उसकी भूमि का मालिक होगा और वह उस अधोसंरचना का भी मालिक हो जाएगा। अगर किसान और करारकर्ता के बीच में कोई विवाद होता है तो हमने यह व्यवस्था की है कि वह विवाद एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम दोनों पक्षों से कहेगा कि आप एक-एक या दो-दो पंच नियुक्त कर लीजिए। किसान के भी दो प्रतिनिधि होंगे और व्यापारी के भी दो प्रतिनिधि होंगे और उसके बाद एसडीएम कहेगा कि आप इसमें सुलह करके आइए। अगर पंचायत सुलह कर लेती है तो ठीक है और अगर सुलह नहीं करती है तो किसान एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका अनिवार्य रूप से फैसला देगा। हमने इसमें ऐसा प्रावधान किया है। साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो करार हुआ है, उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो विवाद के विरुद्ध एसडीएम कोर्ट में फैसले के लिए जाता है और ऐसा लगता है कि इसमें किसान की गलती है और अगर किसान से वसूली का आदेश होता है तो सिर्फ उतना ही आदेश हो सकता है, जितना कि करारकर्ता ने आदान-प्रदान करने के लिए किसान को दिया हो। जैसे उसने बीज उपलब्ध करवाया हो, पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाया हो या और कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई हो तो कुल मिलाकर अगर उसने 100 रुपये उपलब्ध करवाए हैं तो 100 रुपये ही किसान के द्वारा देय होंगे। साथ ही एसडीएम कोर्ट भी किसान की भूमि के विरुद्ध पारित आदेश की राशि की वसूली नहीं कर सकता है। किसान की भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। यह किसान तय करेगा कि वह अगली फसल पर देगा तो अगली फसल पर ही होगा, लेकिन अगर व्यापारी गड़बड़ करता है तो उसे करार का 100 प्रतिशत पालन करना होगा और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। इसका भी प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। किसान पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं होगा। मूल्य आश्वासन का मायना ही यही है कि जिस दिन करार होगा, वह करार बुआई से पहले होगा और बुआई

के समय एक मिनिमम कीमत दोनों लोग मिलकर तय करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए केला है तो मिनिमम मूल्य निकाला जाएगा। अगर केला 10 रुपये किलो है तो करार में 10 रुपये किलो आएगा। चाहे ओला, पाला, इल्ली या प्राकृतिक आपदा कुछ भी आए, लेकिन करारकर्ता को मिनिमम मूल्य का भुगतान किसान को ही करना पड़ेगा। यह उसके लिए बाध्य है और साथ ही करारकर्ता किसान को भुगतान करेगा।...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): There is no provision.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : आप देखिए, प्रोविजन है। उसके बाद फसल आई और उसकी कीमत 20 रुपये किलो हो गई तो करार करते समय इस बात उल्लेख किया जाएगा कि कीमत दोगुनी होने पर किसान को कुछ प्रतिशत अधिक दिया जाएगा।

(2120/RPS/RP)

यह प्रावधान भी उसमें किया गया है। किसान की संरक्षा दोनों विधेयकों में की गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मण्डी परिधि के बाहर का जो प्रिमाइसेस है – चाहे वह किसान का घर हो, चाहे वह किसान का खेत हो, चाहे वह किसान का माल जहां रखा है, वह वेयरहाउस या कोल्ड स्टोरेज हो, अगर उस पर से खरीद की जा रही है तो उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। उस पर न राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, न केन्द्र सरकार टैक्स लगा सकती है। मैं आपको टैक्स का स्लैब पढ़कर बताऊं तो राज्य सरकारों का मण्डी टैक्स दो प्रतिशत से लेकर साढ़े आठ प्रतिशत तक है। पंजाब के हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे, सर्वाधिक टैक्स पंजाब में साढ़े आठ प्रतिशत है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मण्डी के बाहर ट्रेड होगा तो यह साढ़े आठ प्रतिशत टैक्स नहीं लगेगा और इस साढ़े आठ प्रतिशत का फायदा सीधे-सीधे किसान को होने वाला है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये खेती और किसानी से संबंधित विधेयक हैं, ये किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले विधेयक हैं, किसान की जिन्दगी को बदलने वाले हैं, हिन्दुस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं, हिन्दुस्तान के किसान को निर्यातक से जोड़ने वाले हैं और हिन्दुस्तान के किसान को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले हैं। इसलिए इन विधेयकों को कृपया राजनीतिक चश्मे से न देखें। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन विधेयकों को पढ़ें और अपने ज़मीर पर हाथ रखकर सोचें कि अगर विधेयक किसान को फायदा पहुंचाने वाला है तो विधेयक का समर्थन करें और अगर आपको लगता है कि राजनीतिक बात करनी है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद और समर्थन इन विधेयकों को मिलना चाहिए। ...(व्यवधान) सिर्फ आपसे नहीं, मैं सबसे कह रहा हूं।...(व्यवधान) मैं सबसे ही कह रहा हूं। ...(व्यवधान) आपका समर्थन और आशीर्वाद इन विधेयकों को मिलना चाहिए। इन विधेयकों में अगर किसान देखना है और इन विधेयकों में किसान का हित देखना है तो मेरे मित्रों, राजनीति का चश्मा उतारकर किसान का चश्मा लगा लीजिए, तब किसान का हित इसमें आपको दिखाई देगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, राइट टू रिप्लाई।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, तोमर साहब का भाषण सुनने में, मुझे एक बात स्वीकारनी पड़ेगी कि आप मोदी जी के अच्छे शिष्य बनते जा रहे हैं। लोगों को भ्रमित करने में आप भी मोदी जी जैसे माहिर होते जा रहे हैं। हिन्दुस्तान में 14 करोड़ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स हैं। क्या आप इन सारे 14 करोड़ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स के बारे में किस एसडीएम कोर्ट में क्या विवाद हो रहा है, कहां कोई डिस्प्यूट हो रहा है, उसे कृषि भवन से चलाएंगे? इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने यह कहा था कि एक मॉडल एक्ट बनाने की कोशिश की जाए। यह जरूरी है, जिसमें हर सूबे को साथ लेना चाहिए, In consultation with the respective State Governments and by taking all the State Governments into confidence. यह कांग्रेस सरकार के समय में कहा गया था। यह अच्छा लग रहा है कि हर बात में आप यूपीए सरकार का जिक्र करते रहे, हर बात में कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते रहे। यह अच्छा लगा है, कम से कम कांग्रेस पार्टी से आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपने सीखा होगा तो पहली बात सुन लीजिए। हिन्दुस्तान में हरित क्रान्ति कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी की देन है। यह सत्य मानकर चलिए।

(2125/IND/RCP)

उसी समय से हिंदुस्तान में मंडी व्यवस्था शुरू हुई थी। आप कहते हैं कि इसमें सब कुछ ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, आप मुझे बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। यह सदन बोलने के लिए ही है। आप यदि बोलना चाहते हैं, तो विधेयक पर बोलिए, आप राजनीति कर रहे हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, क्या तोमर जी ने सारी बातें विधेयक के बारे में कही हैं?

माननीय अध्यक्ष : आपका राइट टू रिप्लाई है, इसलिए आपको विधेयक पर बोलना पड़ेगा। यदि आप कोई क्लैरीफिकेशन मांगना चाहते हैं, तो कहिए। मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मंत्री जी विधेयक पर एमएसपी की बात कर रहे हैं। मैं विधेयक की ही बात कह रहा हूं। मंत्री जी ने एमएसपी की बात कही है, इसलिए मैं एमएसपी की बात उनसे कह रहा हूं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कही गई। उस मैनिफेस्टो में कहा गया था –

“We will establish farmers’ markets with adequate infrastructure and support in large villages and small towns to enable the farmer to bring his or her produce and freely market the same.” कांग्रेस का यह मुद्दा था। हम मानते हैं कि कांग्रेस ने यह कहा था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप चाहते हैं कि मार्केट में डिरेग्यूलेशन हो जाए। आप देखिए कि हिंदुस्तान में डिरेग्यूलेटर मार्केट कहां-कहां है – बिहार, केरल में है। आप वहां का हाल देखिए। पंजाब, हरियाणा में रेग्यूलेटर मार्केट है। यहां के किसानों की हालत अच्छी है, क्योंकि रेग्यूलेटर मार्केट है। डिरेग्यूलेटर मार्केट की वजह से आप बिहार की स्थिति देखें और वहां की

सरकार से पूछें कि डिरेग्यूलेटर करने के बाद बिहार का हाल क्या हुआ। इसलिए कहते हैं कि धीरज से काम कीजिए। आप कहते हैं कि सारे किसानों का इससे भला होगा। आप हिंदुस्तान का एक किसान दिखाइए, जो इस विधेयक के आने से खुश हो। आप पंजाब और हरियाणा में देखिए, किसान इस विधेयक से दुखी हैं, वहां आग लग गई है। Both the States are in ferment. आपकी पार्टी की मंत्री इस्तीफा देने के लिए खड़ी हैं। I would appreciate the sentiment and the emotion of Madam Harsimrat Kaur who had displayed her guts and gumption by opposing this draconian legislation. आपके तीन आर्डिनेंस टाक्सिक ट्राइएंगल हैं। It is nothing but a toxic triangle.

महोदय, मैं अपने कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने ई-नाम शुरू किया। यदि ई-नाम है, तो आपको अलग मार्केट की क्या जरूरत है? आपने स्वयं कहा कि ई प्लेटफार्म में इतना कारोबार होता है। जब सब कुछ हो रहा है, तो मंडियों को खत्म करने की क्या जरूरत है? आप पीएम किसान योजना की बात करते हैं। पीएम किसान योजना के लिए आपने असम में क्या किया? आपको बताना पड़ेगा कि आपने ग्राम स्कीम में क्या किया? हिंदुस्तान के गांवों में 23 हजार हाट्स हैं। इन हाट्स में से कितनी हाट्स में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है? इन समस्याओं के समाधान के लिए यह सिल्वर बुलेट नहीं है। मैं आपसे एक मांग करता हूं कि यदि आप किसान को प्यार करते हैं और दिल में उनके लिए दर्द है। आप सारे सदन को एक मुद्दे पर बुलाते हैं - All India Kisan Sangharsh Coordination Committee has evolved a statutory framework to guarantee remunerative prices to all farmers. It is high time that Governments considered conferring such a legal entitlement on all farmers of the country and enacted such a statute as the Farmers' Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Prices for Agricultural Commodities Bill.

(2130/RAJ/SMN)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Farmers contribution is the kingpin of our Indian economy. Everybody will definitely appreciate this. My pointed clarification to the hon. Minister is that instead of bringing the legislation in bits and pieces, why do you not establish a permanent agriculture commission so that you can understand issues of the farmers and the problems that are happening in the crops and fields? It will help to redress the problem then and there. Instead of bringing new bills every now and then, farmers problems must be understood first and corrective measures have to be taken accordingly.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपने डिटेल में जवाब दे दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या मैं दोबारा बोल सकता हूं?

माननीय अध्यक्ष : अगर आप बोलना चाहते हैं, तो बोलें।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी और बालू जी बहुत सीनियर माननीय मैम्बर्स हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो। आपके नेता बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : उन्होंने एपीएमसी वाली बात कही है। मैं उनको फिर क्लियर करना चाहता हूं कि राज्य के एपीएमसी एक्ट पर यह एक्ट बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं करता है। किसानों के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। वे चाहें तो साढ़े आठ प्रतिशत टैक्स देकर अपनी फसल को बेचें या वे चाहें तो उसे फ्री में बेचें। उनके लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं।...(व्यवधान) जब यह लागू होगा तो सब हो जाएगा। आप चिंता नहीं करिए।...(व्यवधान) दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक पेड की बात कही गई है। इलेक्ट्रॉनिक पेड जितना होगा, उतनी ट्रांसपैरेंसी आएगी, उतना किसानों का हक सही समय पर उनको मिल सकेगा। इस दृष्टि से हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी और पीएम आशा के बारे में जो प्रोग्रेस है, वह मैं आपको बता चुका है। हम ही हैं, जिन्होंने स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी को डेढ़ गुना किया है और उसे खरीद रहे हैं। अभी खरीफ की एमएसपी भी आने वाली है। हम आने वाले समय में भी खरीफ की फसल को खरीदेंगे। बालू साहब ने जो आयोग वाली बात कही है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर पहले फार्मर्स कमीशंस बनते रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती रही हैं और अभी नीति आयोग समय-समय पर इस मामले में बातचीत करता रहता है, संबंधित समस्याओं की खोज-खबर करता रहता है। हम लोग उसके आधार पर विचार-विमर्श करके इस पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। अभी एकदम आयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप मिल कर मुझे बताएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, उस विचार करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब श्री डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2000 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।"

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है

"कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध

करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझने गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

…(व्यवधान)

खंड-2

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ कर बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रेकमेंडेशन का सी-2 प्लस फिफ्टी प्रतिशत कब होगा?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन, क्या आप संशोधन संख्या- 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, I am moving amendment No. 6 to clause 2. I beg to move:

Page 2, line 10, -

after “selling”

insert “and auctioning”. (6)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री टी. एन. प्रथापन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

… (*Interruptions*)

2133 hours

(At this stage, Shri T. R. Baalu and some other hon. Members left the House.)

…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड - 3

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

2134 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.)

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving Amendment No. 11 to clause 4. I beg to move:

Page 3, *omit* lines 36 to 39. (11)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(2135/VB/MMN)

खण्ड 5

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन - उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving amendments No.12 and 13 to clause 5. I beg to move:

Page 4, line 10,--

after "Government"

insert "or State Government". (12)

Page 4, line 18,--

after "Central Government"

insert "or State Government". (13)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

श्री अधीर रंजन चौधरी - उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving amendment No.14 to clause 6. I beg to move:

Page 4, line 26,--

omit "No" (14)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 15 से 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving amendments No.15 to 17 to clause 7. I beg to move:

Page 4, *for* line 29,--

Insert "7. (1) The Central Government or State Government may, through any Central Government Organisation or State Government Organisation,". (15)

Page 4, line 32,--

after "Central Government"

insert "or State Government". (16)

Page 4, line 35,--

after "Central Government"

insert "or State Government". (17)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 से 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8

माननीय अध्यक्ष: श्री श्याम सिंह यादव - उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 और 10

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 और 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 11 से 20

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन - उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 से 20 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 11 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

HON. SPEAKER: Shri Premachandran Ji.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I will take only two minutes.

माननीय अध्यक्ष: नो, ओनली वन मिनट।

2138 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): All right, I will take only one minute.

My specific point regarding the contract farming is, contract farming will lead to corporatisation of the agriculture. I want to share the experience and it has been published in the Journal of Peasant Studies, Volume 16, Issue-1 regarding the labour process in Latin American Contract Farming. I would like to quote what Claw had said in 1998.

"Agri-business in general, and contract farming in particular, reinforces the trend towards proletarianization of the peasantry. The trend towards proletarianization appears in a disguised form whereby peasant producers preserve their access to land but lose their productive autonomy to agri-corporations and become piece-workers with their own tools for the job."

That means the farmers will become the piece-workers of their own land. That is the world over experience of contract farming. That is why, I am still sticking on to the Statutory Resolution disapproving this Ordinance. Thank you very much.

(ends)

(2140/VR/PC)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि-कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण और उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खण्ड 2

माननीय अध्यक्ष: श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

श्री टी.एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, including a farmer and a sponsor is okay, but avoid the third party.

I am moving my amendment No.20 to clause 2 of the Bill.

I beg to move:

Page 2, line 21, -

omit "or a farmer, a Sponsor and any third party,". (20)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 20 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

माननीय अध्यक्ष: श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 21 से 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment Nos. 21 to 23 to clause 3 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 36, -

for "five"

substitute "three". (21)

Page 3, line 39, -

for "five"

substitute “three”. (22)

Page 3, line 41, -

after “agreement”

insert “which shall not be more than one crop season”. (23)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 से 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 24 और 25 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment Nos. 24 and 25 to clause 4 of the Bill.

I beg to move:

Page 4, line 9, -

omit “or any agency authorised by such Government for this purpose.” (24)

Page 4, line 16, -

for “third party qualified assayers”

substitute “the authority constituted by the Government as prescribed”. (25)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 और 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5

माननीय अध्यक्ष: श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment No.26 to clause 5 of the Bill.

I beg to move:

Page 4, line 25, -

after "benchmark prices"

insert "as notified by the appropriate Government from time to time". (26)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment No.27 to clause 6 of the Bill.

I beg to move:

Page 4, line 41, -

for ", but not later than thirty days"

substitute "within fifteen days". (27)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, in protest against this Bill, I am also walking out.

2144 hours

(At this stage, Shri N.K. Premachandran left the House.)

....(Interruptions)

खण्ड 7

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन – उपस्थित नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8

माननीय अध्यक्ष: श्री हिबी इडन– उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 से 12

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 से 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 13 से 15

माननीय अध्यक्ष: श्री हिबी इडन– उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 से 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 16 से 25

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 से 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(2145/SPS/SAN)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2146 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 / 27 भाद्रपद, 1942 (शक) के पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।